20 दिसम्बर, 2020 (नवम्बर–दिसम्बर संयुक्तांक) ❊ वर्ष–29, पृष्ठ संख्या 84, अंक–11–12

राजस्थान सुजस

दो वर्ष जन सेवा के

कोरोना से अपना जीवन बचाएं

‘नो मास्क–नो एन्ट्री’

हर वक्त, हर जगह अपनाएं

सर्दियों के मौसम, त्यौहार तथा विवाह जैसे अवसरों पर विशेष सावधानी रखें

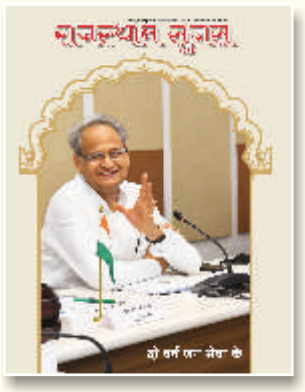

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005

e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com

Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 29 अंक : 11-12 **20 दिसम्बर, 2020 (नवम्बर-दिसम्बर संयुक्तांक)**

साक्षात्कार

07

उपलब्धियाँ

24

सामयिकी

60

इस अंक में

सम्पादकीय	04
मुख्यमंत्री का संदेश	05
सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री का संदेश	06
प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, सुरक्षित जनजीवन	56
कृषक-भूमिधारक वर्ग को मिलीं अनेक सौगातें	58
जल संसाधन में राज्य की देशभर में सराहना	78

विधानसभा में कोविड प्रबंधन

76

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

महत्त्वपूर्ण फैसले

11

सहकारिता

53

पर्यावरण संरक्षण

81

कोरोना से बचाव और राज्य के विकास हेतु प्रतिबद्धता

राज्य सरकार के लिए वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना से लोगों की सुरक्षा हो या टिड्डियों से फसलों के बचाव सहित हर चुनौती का राज्य सरकार ने डटकर मुकाबला किया। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने सभी राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, विषय विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों को साथ लेकर रणनीति बनाई। राज्य के कोरोना प्रबन्धन की देश-दुनिया में सराहना हुई। हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर व मजबूत करके कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में बदलने में राज्य कामयाब रहा।

जनहित के सिद्धान्तों पर चल रही राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए महत्त्वपूर्ण फैसले लिये हैं। इन्दिरा रसोई योजना, मेट्रो परियोजना, वन स्टॉप शॉप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक को फलदायक हो रही हैं। श्रमिकों को रोजगार, पेयजल, खाद्यान्न व अन्य क्षेत्रों में भी पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक रफ्तार के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोएक्टिव एप्रोच अपनाई। राज्य में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों को 3 साल तक किसी भी सरकारी अनुमति व निरीक्षण से मुक्ति प्रदान की गई है। नरेगा से प्रवासी परिवारों सहित लगभग 53 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार ने रोजगार के लिए कटिबद्धता प्रदर्शित की है।

लोगों के जीवन और आजीविका को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार की रणनीति का ही परिणाम है कि संकटकाल में भी विकास का पहिया निरन्तर गतिमान है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कठिन परिस्थितियों में लोगों में सेवा और सुरक्षा के लिए विश्वास जगाया है। कोरोना के विरुद्ध 'नो मास्क-नो एन्ट्री' सहित जन जागरूकता अभियान चलाकर समाज में चेतना पैदा की जा रही है। राजस्थान ने मास्क अनिवार्य रूप से पहनने का कानून बनाकर देश के सामने एक मिसाल पेश की है।

वर्तमान सरकार ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने, युवाओं को रोजगार प्रदान करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण, ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण योजना, हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा, उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर नई आशा का संचार किया है। तेल रिफाइनरी स्थापना की माइक्रो मॉनिटरिंग व तीव्र क्रियान्विति जैसे महत्त्वपूर्ण कदम ने राज्य के लोगों में रोजगार के प्रति नया विश्वास पैदा किया है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 400 मण्डियों व 500 ग्राम सेवा व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को खरीद लाइसेंस तथा 1530 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के लाइसेंस जारी कर अन्नदाताओं को संबल दिया है। करीब 20 लाख किसानों को खरीफ फसली ऋण के तहत 25 प्रतिशत ऋण बढ़ाकर किसानों के जीवन को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों के दर्द में भागीदार बनी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में 150 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लगभग सभी विभागों की समीक्षा की। छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित की गई। राज्य सरकार ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लेकर 29 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देकर खेल-खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया है।

सरकार ने सुशासन के संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया। जनकल्याण के फैसले लिए और प्रदेश में सामाजिक समरसता व सद्भाव का वातावरण बनाया। कुल मिलाकर राज्य में जनहित सर्वोपरि रहा है।

(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

संदेश

राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के सुअवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए सभी की खुशहाली, सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन के साथ ही प्रदेश के चहुंमुखी विकास की कामना करता हूं।

जब-जब भी हमारी सरकार बनी हमने अपने जनघोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर उसे लागू करने और प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए तेज गति से कदम बढ़ाए। ''जो कहा, वही किया'' के दृढ़ निश्चय के आधार पर सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों को इस बार हमने गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, 2020 को आमजन के सामने रखा।

राजस्थान के कोरोना प्रबन्धन मॉडल की देश-विदेश में मिसाल के रूप में प्रशंसा हुई। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का त्वरित गति से मुकाबला करते हुए लॉकडाउन के दौरान ''कोई भूखा ना सोए'' के संकल्प को साकार किया। लोगों का जीवन और आजीविका को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता रही। इससे आमजन में नई आशा और विश्वास का संचार हुआ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं और सूचना क्रांति के जनक एवं युगदृष्टा भारतरत्न राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके आदर्शों को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया। जनसूचना पोर्टल पर आमजन के अभाव-अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण से शासन-प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी।

प्रदेश में जनघोषणा पत्र में किए गए वादों में से दो साल की अल्प अवधि में राज्य सरकार ने पचास प्रतिशत से अधिक को लागू कर दिया जो विकास और प्रगति के प्रति हमारी संकल्पबद्धता का परिचायक है। प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा और सामुदायिक सेवाएं, महिलाओं, बालक-बालिकाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंचाया गया। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए किए गए प्रयासों से समावेशी विकास और जनआकांक्षाओं के अनुरूप परिणाम आगामी तीन वर्षों में प्रदेश को विकास के शिखर की ओर अग्रसर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

आइए! हम सभी मिलकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा से संकल्पबद्ध होकर अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन एवं कर्म से अपनी सार्थक भूमिका निभाएं।

प्रदेश सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने पर पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान सरकार

संदेश

संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की खुशहाली की मंगलकामना करता हूं।

जननायक श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जनघोषणा पत्र के जरिए जनता से जो भी वादे किए उन्हें न केवल पूरा किया अपितु किए गए वादों को नीतिगत दस्तावेज मानकर उन पर अमल करते हुए जो विकास कार्य करवाए उनका रिपोर्ट कार्ड भी आमजन के सामने रखा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने नीतिगत निर्णयों को लागू करवाते हुए वादों पर खरे उतरकर योजनाओं की क्रियान्विति एवं किए गए कामों का लेखा-जोखा ''जनघोषणा पत्र क्रियान्विति रिपोर्ट'' आमजन के समक्ष पेश की है ताकि ''जो कहा, वही किया'' इस बात की जानकारी हर एक प्रदेशवासी को हो सके।

कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों के बीच लॉकडाउन के दौरान ''कोई भूखा न सोए'' संकल्प की अक्षरश: पालना की गई। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में किए गए प्रभावी कोरोना प्रबन्धन की देश व दुनिया में सराहना हुई तथा इससे कई अन्य राज्यों ने भी सीख ली। राज्य, कोरोना प्रबन्धन के लगभग सभी पैरामीटर्स में बेहतर स्थिति में बना हुआ है। हमने गत 9 माह में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूत किया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 151वीं जयंती वर्ष एवं सूचना क्रांति के सूत्रधार भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी की 76वीं जंयती वर्ष पर राजस्थान सरकार ने जनमानस को उनके विचारों से अवगत कराते हुए सत्य, अहिंसा एवं सूचना तकनीकी के योगदान व उनकी आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को लाभान्वित किया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन द्वारा दर्ज शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण और मॉनिटरिंग इसके प्रमाण हैं।

अभी दो वर्ष के अल्पकाल में ही घोषणा पत्र में किए गए वादों में से पचास फीसदी वादों की क्रियान्विति पूर्ण कर लेना हमारी सरकार की शानदार उपलब्धि है। आमजन के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी तबकों को न्याय व समता के साथ निरन्तर सुनिश्चित किया जा रहा है। हम जनहित आधारित समावेशी विकास के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं।

आइये, हम सभी मिलकर राजस्थान को सर्वांगीण विकास की राह पर आगे और आगे बढ़ाने में साझी भागीदारी निभाएं।

प्रदेश सरकार के सफलतम दो वर्ष पर शुभकामनाएं।

(डॉ. रघु शर्मा)

मंत्री
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास सरकार का ध्येय : मुख्यमंत्री

राजस्थान को दूरदर्शी सोच के साथ गुड–गवर्नेंस का मॉडल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड–19 महामारी जैसे बड़े संकट और इसके कारण उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। सुशासन के मूलमंत्र को साकार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों, सर्वांगीण और सतत विकास को लेकर सरकार की नीति और आगामी वर्षों में प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री ने रखा अपना दृष्टिकोण।

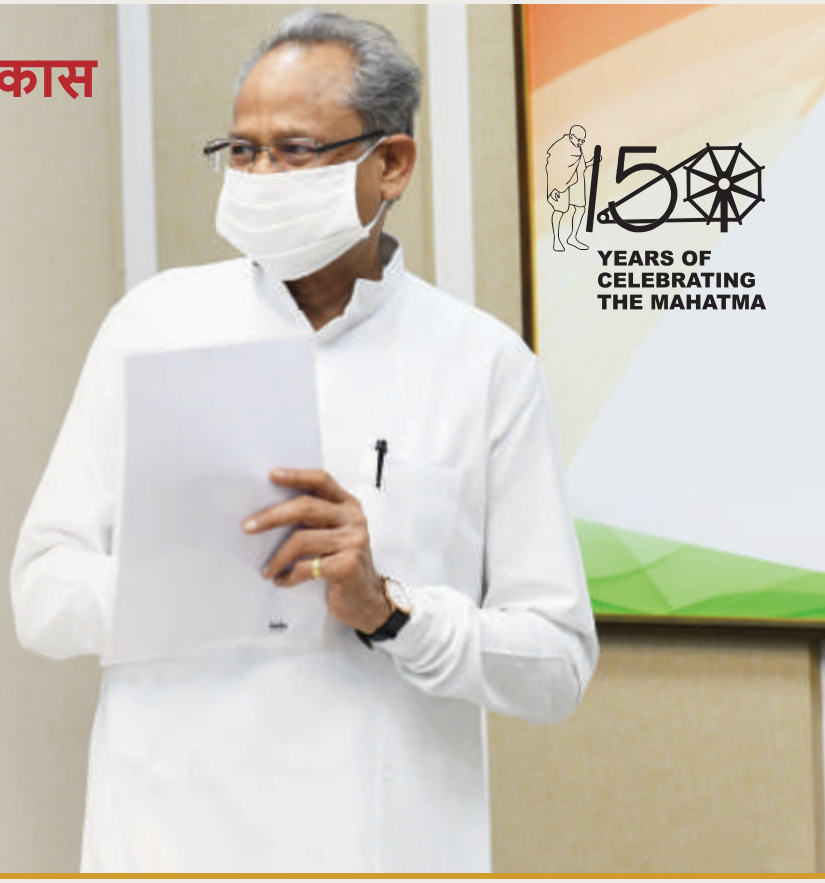

महेन्द्र सोनी, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
एवं तरुण कुमार जैन, सहायक निदेशक
द्वारा किए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश

सरकार के दो साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं ?

संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन हमारी सरकार का मूलमंत्र रहा है। जो भी फैसले हमने किए वह इसी संकल्प की क्रियान्विति पर आधारित रहे हैं। **आमजन को गुड–गवर्नेंस के माध्यम से बेहतर सर्विस डिलीवरी मिले, उनके दुःख–दर्द और तकलीफ कम हों, समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो और प्रदेश विकास के अग्रणी पायदान पर खड़ा हो। इसके लिए हमने जनता से किए वादे पूरे करने का हरसम्भव प्रयास किया है।** कैबिनेट की पहली ही बैठक में हमने जनघोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि करीब 9 माह से कोरोना महामारी जैसे बड़े संकट का सामना करते हुए भी सरकार ने विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया और जनघोषणा पत्र के 501 वादों में से आधे से अधिक को पूरा किया। मुझे इस बात की भी संतुष्टि है कि हमारी सरकार ने तमाम कानूनी अड़चनों को दूर कर गुर्जरों सहित एमबीसी की अन्य जातियों को सरकारी सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण में अचल सम्पत्ति की बाधाओं को दूर किया और 8 लाख रुपये अधिकतम वार्षिक आय को ही योग्यता का आधार रखा। हमारी ही सरकार है जिसने हमेशा बातचीत एवं संवैधानिक उपायों से प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाया है।

कोविड–19 की चुनौती का राजस्थान ने सफलतापूर्वक सामना किया है, इसके पीछे क्या रणनीति रही ?

राजस्थान ही नहीं पूरा देश और दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। प्रदेश में इसके मामले सामने आने से पहले ही हमने पूरी सजगता, सतर्कता और गम्भीरता रखते हुए निर्णय लेना प्रारम्भ किया। **राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया। जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, संत–महंत, व्यापारी, उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन सहित हर वर्ग को इस लड़ाई में साथ लिया। 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की करीब तीन चौथाई आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें गेहूं एवं चना उपलब्ध करवाया गया।** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत करीब 80 लाख लाभार्थियों को तीन माह की 1950 करोड़ रुपये की पेंशन का अग्रिम भुगतान करने के साथ ही आगे भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित गरीबों, निर्माण श्रमिकों, असहायों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेण्डर्स आदि विभिन्न श्रेणी के 32 लाख से अधिक परिवारों को प्रति परिवार 3500 रुपये की नकद सहायता दी गई।

चिकित्साकर्मियों, प्रशासन, पुलिसकर्मियों, स्थानीय निकाय कर्मियों सहित सभी राज्यकर्मियों, भामाशाह, स्वयंसेवी संस्थाओं और सभी कोरोना वॉरियर्स का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो

इस जंग में पूरे जज्बे के साथ जुटे हुए हैं। इस महामारी की आशंका को भांपते हुए लगातार राजधानी से लेकर निचले स्तर तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां इस महामारी के आने तक हमारी जांच क्षमता शून्य थी और सैम्पल दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे वहीं अब हमारी जांच क्षमता करीब 60,000 प्रतिदिन हो गई है एवं हर जिले में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटीलेटर्स, क्वारंटीन बेड्स, आइसोलेशन बेड्स, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन, प्लाज्माथैरेपी, कोविड हेल्पलाइन 181, डे केयर उपचार, पोस्ट कोविड क्लिनिक, रेमडेसिवीर व टोसीलीजुमेब जैसी महंगी जीवनरक्षक दवाओं एवं उपकरणों सहित व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। मास्क लगाने को जन आंदोलन बनाया गया। **मास्क की अनिवार्यता के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान इस महामारी से लड़ाई में एक मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया है। कोरोना से मृत्यु एवं रिकवरी दर के मामले में हमारा प्रदेश कई बड़े राज्यों से बेहतर स्थिति में है। आगे भी हमारा प्रबंधन बेहतरीन रहे इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो मॉनिटरिंग के साथ व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाया जा रहा है।**

प्रदेश में अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसे कई नवाचार किए गए, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में इनका क्या प्रभाव रहा?

यह ऐसा विषय है जो विकास को सीधे प्रभावित करता है। जिस राज्य में शांति, अमन-चैन तथा पब्लिक फ्रेंडली पुलिस नहीं होगी वहां तरक्की एवं खुशहाली की बात ही बेमानी है। हमने पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। **थानों को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए स्वागत कक्ष बनाए गए। थानों में हर फरियादी की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस विशेष जांच इकाई के गठन के साथ ही उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए।** जघन्य अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए एक अलग यूनिट बनाई जा रही है। इन नवाचारों का नतीजा रहा कि अदालतों में इस्तगासों के जरिए दर्ज होने वाले बलात्कार के प्रकरणों की संख्या 34 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गई है। दुष्कर्म जैसे गंभीर प्रकरणों में पुलिस अनुसंधान का औसत समय 268 दिन से घटकर 119 दिन रह गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की लंबित जांचों का राष्ट्रीय औसत 34 प्रतिशत के मुकाबले प्रदेश का औसत मात्र 9 प्रतिशत है। हमने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था कायम की। राजस्थान की अनिवार्य एफआईआर की नीति को अन्य राज्यों में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को मैंने पत्र लिखा है।

आपकी पिछली सरकार में शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना आमजन के लिए वरदान साबित हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमारा प्रदेश सिरमौर बने। हर व्यक्ति को अपने घर के नजदीक बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलें, एक भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न हो और इलाज के भारी भरकम खर्च से किसी का घर बर्बाद न हो। इसी को ध्यान में रखकर पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना जैसी कल्याणकारी

योजनाओं की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, मूक पशुओं के लिए भी हमने मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। इस बार हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग जैसी गम्भीर बीमारियों की दवाओं को शामिल करते हुए इनकी संख्या 607 से बढ़ाकर 709 कर दी है। जांचों की संख्या भी 70 से बढ़ाकर 90 की है और वरिष्ठ नागरिकों एवं बीपीएल परिवारों के लिए सीटी स्कैन तथा एमआरआई जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। प्रदेशवासियों को रोगों से बचाने के लिए जीवनशैली में बदलाव के लिए निरोगी राजस्थान जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। घर के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए जनता क्लीनिक खोले जा रहे हैं। करीब 80 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है।

प्रदेश के हर जिले में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तीसरे चरण में 15 और जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। जालोर, प्रतापगढ़ एवं राजसमन्द के लिए भी स्वीकृति मिलने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में हम किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है ?

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रदेश का हर बच्चा पढ़ लिखकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनें, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। यूपीए सरकार के समय हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने अभिभावकों की आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी है। **सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकें, इसे देखते हुए जिला स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्रारम्भ करने के बाद अब ब्लॉक स्तर पर भी अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले हैं। प्रदेश के 875 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मात्र दो साल से भी कम समय में 76 नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए स्वीकृति जारी की गई है।**

देशभर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा हमारी योजनाओं एवं नीतियों का केन्द्र बिन्दु रहे हैं। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने गम्भीरता से कदम उठाए हैं। **दो साल से भी कम समय में 79 हजार से अधिक नौकरियां दी गई हैं तथा 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही 2600 से अधिक मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दी गई।** तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर जल्द भर्ती होगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा हुनरमंद बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। **स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त की गई है।**

किसान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

किसान और पशुपालक हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी रहे हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी आशानुरूप तरक्की नहीं हो पाई। इस बार सरकार बनते ही हमने सबसे पहला निर्णय किसानों की कर्जमाफी का किया। प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला। हमारी सरकार ने किसानों को उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने एवं उनके कल्याण के लिए दो हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष का गठन किया है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की गई। कोविड के दौर में भी राज्य में करीब 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई जो पिछले वर्ष के मुकाबले डेढ़ गुना है। वृद्धावस्था पेंशन से वंचित लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019' जारी किए गए। इसके तहत 2.79 लाख पात्र किसानों को लाभ मिल रहा है। पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी 5 वर्षों तक कृषि की बिजली दर नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है। राज्य में 1 लाख 50 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में

करीब 4 लाख पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। हाल ही विधानसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पारित किए गए हैं जिनके माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो राजस्थान के किसान को सम्पन्न बनाने में मददगार होंगे।

उद्योगों के बिना किसी भी प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति है ?

उद्योगों को बढ़ावा देना और राजस्थान को निवेश के लिए 'बेस्ट डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, पर्यटन नीति 2020, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई हैं। **बिना किसी प्रशासनिक बाधा के एमएसएमई उद्योग स्थापित हो सकें, इसके लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फेसिलीटेशन ऑफ एस्टेब्लिसमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। इसमें उद्यमी को किसी भी विभाग से 3 साल तक कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप प्रणाली की स्थापना के लिए विधानसभा में कानून पारित कर दिया है। हमारी नीतियों से प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बना है।**

कोविड-19 महामारी के कारण सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में बेहतर वित्तीय प्रबंधन कैसे संभव हुआ ?

विगत कुछ वर्षों से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक हालात और बिगड़ गए। विभिन्न स्रोतों से होने वाले राजस्व अर्जन में भारी गिरावट आई है। राजस्थान इससे अछूता नहीं है। दूसरी ओर भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि प्राप्त नहीं होने के कारण 5500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया जा रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारा यही प्रयास है कि हमारे पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन हो। इसके लिए राज्य सरकार ने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाते हुए विकास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए राजस्व लीकेज को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देकर छीजत कम करने और राजस्व अर्जन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है राजस्थान हर विषम परिस्थिति का सामना करते हुए आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ेगा।

अगले तीन वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी ?

सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। पिछले दो साल में इसी अवधारणा को केन्द्र में रखकर हर वर्ग के विकास के लिए निर्णय लिए गए हैं। आगे भी इसी सोच के साथ फैसले लिए जाएंगे कि एक भी वर्ग विकास से वंचित नहीं रहे। **शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, उद्योग सहित हर क्षेत्र में विकास की मिसाल पेश कर राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाना हमारा सपना है। जनता से जो वादे हमने किए हैं उन पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगले तीन साल हम इन वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।** ●

कोरोना काल में भी रहा विकास का पहिया गतिमान

जनहित में लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले

कोरोना से लोगों का जीवन बचाना रही प्राथमिकता

- फारुक आफरीदी

सुशासन के संकल्प के साथ राजस्थान की तीसरी बार बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में जन कल्याण के अनेक फैसले लेकर सिद्ध कर दिया है कि वे जन-जन के मुख्यमंत्री हैं। यह सरकार संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की कार्यशैली में गांधीवादी दर्शन स्पष्ट झलकता है। भारत में राजनीति के बदले परिदृश्य में अपने सिद्धांतों पर अडिग श्री गहलोत सामाजिक समरसता, सद्भाव और समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करने और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं।

वर्तमान सरकार ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण, ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, जल संरक्षण, हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, खेलों को प्रोत्साहन, लोकतंत्र की मजबूती, गौ-सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, तेल रिफाइनरी की स्थापना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कदम उठाकर जनता में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है। सरकार ने अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और फैसलों के माध्यम से इन दो वर्षों में समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान दिया है। इस दौरान सरकार को लोकतंत्र बचाने की बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ा। सरकार ने जनता और जनप्रतिनिधियों के अपार समर्थन से सदन में विजय प्राप्त की।

गुर्जर समुदाय द्वारा आरक्षण को लेकर हुए विशाल आंदोलन का सरकार ने पूर्व की भांति एक बार फिर सूझबूझ से सामना किया और इसका शांतिपूर्वक समाधान कर बता दिया कि संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है। आंदोलन के दौरान गोली चलाना तो दूर लाठी तक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाल ही मुख्यमंत्री श्री गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।

इस बार टिड्डी प्रकोप ने भी राजस्थान को बुरी तरह प्रभावित किया। करीब तीन दशक के बाद राजस्थान में टिड्डी दलों का हमला एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिला कलक्टरों, टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि अधिकारियों के साथ वीसी करके प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया। इस वर्ष राज्य में 29 जिलों में करीब 1 लाख 90 हजार हैक्टेयर कृषि क्षेत्र टिड्डी दलों के हमले से प्रभावित हुआ।

कोरोना बचाव प्रबन्धन बेमिसाल और ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री ने विश्वव्यापी महामारी कोरोना का मुकाबला करने के लिए सभी राजनैतिक दलों के सांसदों, विधायकों, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के जन प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, सभी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, एक्टिविस्टों, चिकित्सा विशेषज्ञों, राज्य कर्मचारियों के सभी 151 कर्मचारी संगठनों आदि से जीवंत संवाद कर उनके सुझावों को शामिल किया और कोरोना बचाव की रणनीति पर काम शुरू किया। इससे राजस्थान मॉडल की देश और दुनिया में सराहना हुई। प्रधानमंत्री ने भी इसे अनुकरणीय बताया।

कोरोना काल में देश और दुनियाभर में जीवन एक प्रकार से थम सा गया लेकिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लोगों का जीवन और आजीविका बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सूझबूझ और अपने कौशल का परिचय दिया। कोरोना काल में भी विकास गतिविधियों को थमने नहीं दिया। इस अग्नि परीक्षा समय में राजस्थान सरकार द्वारा पहल भरे कदम उठाये गये। प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री श्री गहलोत का पल-पल राजस्थान की जनता के हित चिंतन में बीत रहा है। कोरोना काल के 8-10 महीनों में उन्होंने 150 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके न केवल अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया

> **"वर्तमान सरकार ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण, ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, जल संरक्षण, हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, खेलों को प्रोत्साहन, लोकतंत्र की मजबूती, गौ-सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, तेल रिफाइनरी की स्थापना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कदम उठाकर जनता में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है।"**

बल्कि वे प्रदेश के लोगों के साथ भी जीवंत संवाद बनाए रखने में सफल रहे। उनका प्रत्येक कदम जनता की सेवा, सुरक्षा और विकास के लिए समर्पित रहा। इस दौरान उन्होंने हर चुनौती का दृढ़ता से सामना किया और सफलता प्राप्त की। वे इस सफलता का श्रेय अपने प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया और फीडबैक लेने के लिए मई में सरपंचों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। सभी सरपंचों ने राज्य सरकार के कदमों की मुक्त कंठ से सराहना की। गौरतलब है कि इस वीसी में 11 हजार 341 प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री का सीधा संवाद हुआ।

मुख्यमंत्री हर समय कोरोना की स्थिति पर नजर रखते हुए निरंतर समीक्षा बैठकें लेते रहे हैं। कोरोना के प्रति आमजन को सावचेत करने के लिए ''कोरोना के विरुद्ध जन आन्दोलन'' और ''नो मास्क नो एंट्री अभियान'' चलाया गया। अमेरिका में हाल ही निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन मास्क को अनिवार्य करने की सोच रहे हैं लेकिन राजस्थान ने इसे न केवल प्राथमिकता से लागू किया बल्कि इसके लिए कानून भी बना दिया। प्रदेश में मृत्युदर 1 प्रतिशत के आसपास है और रिकवरी दर भी

अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है।

जन आन्दोलन बना कोरोना का जागरूकता अभियान : राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना से बचाव के लिए जन-जागरूकता अभियान के बाद इसे जन-आंदोलन का रूप दिया। इससे सरकारी मशीनरी के साथ जनप्रतिनिधियों और आमजन को सक्रिय रूप से जोड़ा। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान प्रदेश के करीब 11 हजार 500 स्थानों से वीसी के माध्यम से 1 लाख लोग सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े। कोरोना के दौर में बच्चों के टीकाकरण अभियान को भी निर्बाध रूप से जारी रखा गया। इसी प्रकार राजकीय चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुनिश्चित बनाए रखा। कोरोना जांच के मामले में राजस्थान इतना सक्षम बन गया कि अपने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के प्रतिदिन 5 हजार कोविड-19 के टेस्ट कर उनकी सहायता करने की स्थिति में पहुंच गया।

चिकित्सकों की नियुक्ति : कोरोना से मुकाबले के लिए 2 हजार चिकित्सकों की भर्ती की गई। इसी प्रकार सीएचओ के 6310 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती को मंजूरी दी गई। प्रदेश में करीब 12.5 हजार एएनएम-जीएनएम की भर्ती का काम पूरा कर नियुक्तियां दे दी गईं। प्रदेश में कहीं भी हैल्थ मैन पॉवर को कमजोर नहीं होने दिया गया। ईसीजी टेक्नीशियन्स के 195 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दी।

कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा विकसित करने को प्राथमिकता दी गई ताकि भविष्य में कोरोना जैसी गंभीर चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की सम्पूर्ण राशि को उक्त कार्यों के लिए उपयोग करने का नीतिगत निर्णय किया गया। जोधपुर और जयपुर में प्लाज्मा थैरेपी से गंभीर रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधाएं तथा लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 550 मेडिकल मोबाइल वैन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की निर्धारित दरें कम की गईं। अब यह जांच 800 रुपये में हो सकेगी। राज्य में 22 जिलों में टेस्टिंग लैब सुविधा उपलब्ध है और शेष जिलों में लैब स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के हर गंभीर मरीज को आवश्यकतानुसार जीवनरक्षक इंजेक्शन टोसीलीजुमेब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लगभग 40 हजार रुपये कीमत के इस इंजेक्शन की पहुंच गरीब व्यक्ति तक हो गई है। अब किसी भी जरूरतमंद मरीज के लिए यह उपलब्ध है।

निरोगी राजस्थान अभियान : कोरोना से पहले ही राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी थी। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। प्रदेश के 40 हजार राजस्व गांवों में एक पुरुष एवं एक महिला का चयन कर 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाए गए जिनका कोरोना काल में पर्याप्त सहयोग लिया जा रहा है।

"कोरोना के प्रति आमजन को सावचेत करने के लिए ''कोरोना के विरुद्ध जन आन्दोलन'' और ''नो मास्क नो एंट्री अभियान'' चलाया गया। अमेरिका में हाल ही निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन मास्क को अनिवार्य करने की सोच रहे हैं लेकिन राजस्थान ने इसे न केवल प्राथमिकता से लागू किया बल्कि इसके लिए कानून भी बना दिया। प्रदेश में मृत्युदर 1 प्रतिशत के आसपास है और रिकवरी दर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है।"

प्रधानमंत्री के समक्ष मजबूती से रखा राज्य का पक्ष : कोरोना से कब तक जंग लड़ी जाएगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में कोविड-19 के खिलाफ राज्यों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वीडियो कॉफ्रेंस और पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को बताया गया कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए राज्यों को चिकित्सा संसाधनों हेतु केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था के संकट पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। अधिकांश औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के उत्पादन में आई भारी कमी के मद्देनजर जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। मंदी से जूझ रहे उद्योगों के श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 का शत-प्रतिशत अशंदान देने साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 का करीब 961 करोड़ रुपये का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान जारी किए जाने का आग्रह किया। अप्रैल-मई में औद्योगिक गतिविधियां बंद रहीं। इससे इन दो महीनों का जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान करीब 4500 करोड़ का है, जिसका जल्द भुगतान किया जाए। कोरोना से प्रभावित कुटीर, लघु एवं वृहद् उद्योगों के साथ सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को एकमुश्त ब्लॉक ग्रांट के रूप में एक लाख करोड़ की स्वीकृति देने की मांग की गई।

राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले केन्द्र सरकार के कानूनों में बदलाव के लिए भी मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने हमेशा अपना मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को पत्र लिखकर बैंकिंग रेगुलेशन (बी.आर.) एक्ट के कुछ प्रावधानों में संशोधनों को राज्य के सहकारी बैंकों और सहकारिता की मूल भावना के विपरीत होना बताया और उस पर पुनर्विचार कर पूर्व व्यवस्था को बहाल करने का आग्रह किया।

'कोई भूखा न सोए' : मुख्यमंत्री श्री गहलोत के आह्वान पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 'कोई भूखा न सोए' जैसा महत्त्वपूर्ण संकल्प लिया। इसे साकार करने के लिए जहां जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई वहीं दूसरी ओर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इसमें जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध भोजन रियायती दर पर प्रति थाली 8 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसमें राज्य सरकार 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दे रही है। इससे प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बैठाकर भोजन करवाया जा रहा है।

> **"प्रदेश में श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सके और उद्योगों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए 'राजकौशल राजस्थान एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज' की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए मई के अंत तक 95 रेलों के माध्यम से बाहरी राज्यों के 1 लाख 35 हजार से अधिक श्रमिकों को अपने-अपने राज्यों में भेजा गया।"**

इस योजना में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को भोजन और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। साथ ही पक्षियों को दाना-पानी मुहैय्या करवाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परिण्डे बांधने का अभियान चलाया गया।

सामाजिक सुरक्षा : कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में गरीबों, असहायों एवं जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य सामग्री वितरण के मामले में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं देने का प्रावधान है जबकि राज्य सरकार ने अन्त्योदय अन्न योजना, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणी के तहत आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश में 3.7 करोड़ असहायों एवं जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं पकी हुई सामग्री वितरित की गई। प्रवासी व्यक्ति एवं अन्य विशेष श्रेणी के लोग जो इस योजना सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें 2 माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं नि:शुल्क दिया गया। जनवरी, 2019 से मई, 2020 तक 46 लाख नए लाभार्थी जोड़े गये और 11 लाख लोगों के नाम हटाए गए। ऐसे 65 लाख लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं हो रहे हैं, उनका डाटा सर्वे का निर्देश दिया गया। अब 4.4 करोड़ लोगों को गेहूं वितरण किया जा रहा है। एक वर्ष में 70 लाख लोगों को जोड़ा गया।

हर वर्ग का रखा ध्यान : लॉकडाउन के दौरान 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 2800 करोड़ रुपए पेंशन राशि का वितरण, 31 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय निर्माण श्रमिकों और असहाय लोगों को प्रति परिवार 3500 रुपए के हिसाब से 1145 करोड़ रुपए की नकद सहायता, 39 लाख परिवारों को सूखे राशन किट वितरण, 4 करोड़ से अधिक पके हुए भोजन पैकेट वितरण कर प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखा गया।

आजीविका गंवाने वाले श्रमिकों को रोजगार : मई में देश के विभिन्न राज्यों में जब कोरोना का कहर जारी था और प्रवासी राजस्थानी श्रमिक प्रदेश में लौट रहे थे तब आजीविका का संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें रोजगार देने की रणनीति बनाई ताकि उनके परिवारों को कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। इससे स्थानीय ही नहीं प्रवास से लौटे श्रमिकों का यह विश्वास दृढ़ हुआ कि कष्ट की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इस कष्टदायक समय में एक ओर लॉकडाउन के कारण श्रमिक पहले से ही पीड़ित थे तो दूसरी ओर आजीविका छूटने से दोहरी मार झेल रहे थे। प्रदेश में श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सके और उद्योगों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए 'राजकौशल राजस्थान एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज' की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए मई के अंत तक 95 रेलों के माध्यम से बाहरी राज्यों के 1 लाख 35 हजार से अधिक श्रमिकों को अपने-अपने राज्यों में भेजा गया। इनमें 45 ट्रेनों से 64 हजार श्रमिक बिहार भेजे गए। इसी प्रकार 12 हजार 650 बस फेरों के माध्यम से 4 लाख 11 हजार श्रमिकों को विभिन्न राज्यों से लाया और ले जाया गया।

"प्रदेश में 'कोई भूखा न सोए' जैसा महत्त्वपूर्ण संकल्प लिया गया। इसे साकार करने के लिए जहां जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई वहीं दूसरी ओर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इसमें जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध भोजन रियायती दर पर प्रति थाली 8 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसमें राज्य सरकार 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दे रही है। इससे प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बैठाकर भोजन करवाया जा रहा है।"

सभी विभागों की समीक्षा : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में भी विकास कार्यों की गति रुकने नहीं दी। वे निरन्तर विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना काल में सभी राजकीय विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का क्रम जारी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास कार्यों में कहीं शिथिलता नहीं आए। विकास कार्यों के लिए जहां भी बजट आवंटन की आवश्यकता महसूस की गई उसकी तुरन्त स्वीकृति दी गई।

मनरेगा कार्यक्रम हुआ वरदान सिद्ध : पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के समय में प्रारंभ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश के गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। संकट के वर्तमान दौर में इस योजना ने देशभर में करोड़ों लोगों को संबल दिया। ऐसे समय में जब लोगों का रोजगार छिन गया तब मनरेगा ने राहत दी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की कि मनरेगा में प्रति वर्ष कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं।

मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में राजस्थान अव्वल रहा है। करीब 54 लाख लोगों को प्रतिदिन काम दिया गया जो अब तक सर्वाधिक है। बाहर से आए प्रवासियों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम पर लगाया गया। मनरेगा के तहत स्थायी संपत्तियों के निर्माण के साथ ही 83 प्रतिशत काम व्यक्तिगत श्रेणी के करवाए गए। श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया गया जिससे उन्हें कोई कष्ट न हो। राज्य में वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल 37 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है जो देश में सर्वाधिक है। अभी तक 27.12 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास सशक्तीकरण : मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर मनरेगा सहित अन्य गतिविधियों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। जब उनके ध्यान में लाया गया कि 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने तुरन्त 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने नई पंचायत समितियों के लिए भी ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी के पद जल्द सृजित करने के निर्देश दिए।

नई भर्तियां : राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेण्डर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करने पर बल दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही समय पर भर्ती के विज्ञापन निकलें, नियमित परीक्षा हो और साक्षात्कार भी समय पर हों ताकि भर्तियां ज्यादा लंबित नहीं रहें। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 अगस्त, 2020 तक 76 हजार 265 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 2560 के परिणाम जारी हो चुके हैं, 1571 के साक्षात्कार होने हैं, 7053 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परिणाम जारी करना शेष है जबकि 21500 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं।

> **"मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में राजस्थान अव्वल रहा है। करीब 54 लाख लोगों को प्रतिदिन काम दिया गया जो अब तक सर्वाधिक है। बाहर से आए प्रवासियों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम पर लगाया गया। मनरेगा के तहत स्थायी संपत्तियों के निर्माण के साथ ही 83 प्रतिशत काम व्यक्तिगत श्रेणी के करवाए गए। श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया गया जिससे उन्हें कोई कष्ट न हो।"**

प्रदेश के 294 उपखण्ड कार्यालयों में 588 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर और इसके संघटक महाविद्यालयों में 83 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इसी प्रकार राज्य सरकार ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी है। वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं। राज्य में पहली बार अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के लिए **महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों** की स्थापना की गई। सरकार का संकल्प है कि गांव और ढ़ाणियों तक के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलें और वे निजी स्कूलों से पीछे नहीं रहें। राज्य में शनिवार को **'नो बैग डे'** जैसे अनेक नवाचार किए गए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित स्विपर, धोबी, कुक, मोची, नाई, दर्जी, सईस, खाती, फिटर, बागवान, फर्राश के पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 2020-21 में खोले जाने वाले 200 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में पशुधन सहायक और जलधारी के कुल 400 नए पद सृजन की मंजूरी दी।

संवेदनशीलता के नायाब उदाहरण : मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में शिथिलता देते हुए 71 आश्रितों को नियुक्ति दी गई। आयु सीमा, देरी से आवेदन करने, प्रशासनिक विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित अन्य कारणों से लंबित मामलों में मानवीय आधार पर आवेदकों की नियुक्ति की राह आसान की गई। अनुकम्पा नियुक्ति के विभिन्न लंबित 489 प्रकरणों में नियुक्ति दी गई। विशेष परिस्थितियों और नियमों के अनुरूप पात्रता न होने पर भी 4 मामलों में मृतक परिवार की पुत्रवधू को नियुक्ति दी गई।

कोरोना के बावजूद राज्य सरकार ने संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए प्रदेश के 7.30 लाख कर्मियों को बोनस दिया। साथ ही कोरोना के लिए वेतन कटौती को स्वैच्छिक कर दिया गया।

कोरोना के दौरान स्वर्गवासी हुए लोगों की उनके परिवारजनों द्वारा अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार (उत्तराखंड) तक नि:शुल्क यात्रा के लिए राज्य सरकार ने जिला और संभाग मुख्यालयों से मोक्ष कलश विशेष बसों का प्रबंध किया।

प्रत्येक विधानसभा में 25-25 लाख के पेयजल कार्यों को मंजूरी : प्रदेश में गर्मी के मौसम में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों अर्थात् प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की अनुशंसा पर पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। इससे हैण्डपम्प ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवेल, पम्प मशीनरी बदलने, सूख चुके नलकूप के स्थान पर नए बनाने, पुरानी और जर्जर पाइपलाइन बदलने तथा उनके विस्तार जैसे अति आवश्यक काम होने से आमजन को राहत मिल सकी।

सड़कें : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक, सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत के कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

किसानों और व्यापारियों को राहत : राज्य में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने पहला फैसला किसानों के हक में किया। राज्य में 20.50 लाख किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए गए। इसी प्रकार 28,000 से अधिक सीमान्त एवं लघु किसानों के 290.14 करोड़ रुपए के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किए गए। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारियों और उद्योगों की चिंता को समझते हुए ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन जिंसों पर मंडी शुल्क पचास पैसे प्रति सैकड़ा है, उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर दो रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा

> **"राज्य में पहली बार अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की गई। सरकार का संकल्प है कि गांव और ढ़ाणियों तक के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलें और वे निजी स्कूलों से पीछे नहीं रहें। राज्य में शनिवार को 'नो बैग डे' जैसे अनेक नवाचार किए गए।"**

करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार तिलहन, दलहन, गेहूं सहित जिन जिंसों पर मंडी शुल्क की दर एक रुपया और एक रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रुपया प्रति सैकड़ा प्रभारित करना तय किया। इनको कृषक कल्याण कोष से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क के कारण व्यापारियों और उद्योगों को हो रही तकलीफ का हमें अहसास है। इससे व्यापारियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बड़ी राहत मिली। राज्य सरकार ने मंडी व्यापारियों के हित में पहले भी कई निर्णय लिए हैं। सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा मिले और ईमानदारी से व्यापार करने वालों को प्रोत्साहन मिले। सरकार भली-भांति परिचित है कि कोरोना काल में प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने राज्य सरकार के 'कोई भूखा ना सोए' संकल्प को साकार करने में पूरी मदद की है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों को देय राज्यांश के लिए 250 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष से करने का निर्णय लिया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिग्गी निर्माण के बकाया

"विश्व आदिवासी कल्याण दिवस 9 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित क्षेत्र को 127.85 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी 41 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।"

दायित्वों के भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की। इन स्वीकृतियों के बाद फसल बीमा कम्पनियों को प्रीमियम तथा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान का भुगतान जल्द से जल्द हो सकेगा। मुख्यमंत्री की पहल पर सहकारिता का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के लिए करीब 8 लाख नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा गया। वर्ष 2020-21 में भी 2 लाख 93 हजार नए किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया है। इनमें से एक लाख 60 हजार किसानों को 248 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। कोरोना संक्रमण के दौरान किसानों को उनके खेत के निकट ही उपज बेचने की सुविधा मिल सके, इसके लिए 783 खरीद केन्द्र खोले गए।

राज्य विधानसभा में किसानों के हित में तीन संशोधन विधेयक : कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) संशोधन विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संशोधन विधेयक तथा आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध संशोधन विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित किये गये।

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र : मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त को भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 75 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया जो वर्ष 2022 तक तैयार होगा।

कृषि मंडी विकास : किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से प्रदेश की 10 कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना से जोड़ने का फैसला किया गया। राज्य की 25 कृषि उपज मंडियों में यह परियोजना चल रही है और शेष 119 मंडी समितियों को इससे जोड़ा जा रहा है। प्रथम क्लस्टर में कोटा, बारां, रामगंज मंडी, बूंदी और दूसरे क्लस्टर में श्रीगंगानगर, नागौर, बीकानेर, मेड़ता सिटी और जोधपुर अनाज मंडी में सम्पूर्ण व्यवहार ई-नाम पर हो सकेगा।

गौ संवर्धन एवं संरक्षण : राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर देय 20 प्रतिशत अधिभार का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेशभर में संचालित

गौशालाओं को गायों के संरक्षण तथा गौवंश के संवर्धन के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। विगत दिनों प्रदेशभर के गौशाला संचालकों तथा गौ-वंश प्रेमियों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में की गई मांग पर मुख्यमंत्री ने यह संवेदनशील निर्णय लिया है।

आर्थिक सुधार : कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् की प्रथम बैठक ली। राजस्थान अब पहले जैसा बीमारू प्रदेश नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, उद्योग आदि क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है। समिति के सदस्य प्रसिद्ध उद्योगपति श्री एल.एन. मित्तल ने राजस्थान में हो रहे नवाचार और प्रबन्धन को शानदार बताया। उन्होंने राज्य की सौर ऊर्जा नीति का स्वागत करते हुए कहा कि उनका समूह इस क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करेगा। एयरटेल के पूर्व प्रेसीडेंट श्री नवेद खां, चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. एस.के. सरीन, कृषि अर्थशास्त्री डॉ. अशोक गुलाटी, प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. देवी शेट्टी सहित अनेक विशेषज्ञों ने राजस्थान के बढ़ते कदमों की सराहना की।

भ्रष्टाचार पर प्रहार : भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। इसी को आधार मानते हुए एसीबी ने पिछले करीब पौने दो साल में ट्रैप की 500 से अधिक कार्रवाई अंजाम दी है। इस मामले में राजस्थान देशभर में दूसरे स्थान पर है। ट्रैप के प्रकरणों में सजा का औसत 54 प्रतिशत रहा। एसीबी को मजबूत बनाया गया। आमजन की सुविधा के लिए एसीबी हेल्पलाइन 1064 का शुभारंभ किया गया। हेल्पलाइन पर आय से अधिक सम्पत्ति, पद के दुरुपयोग और रिश्वत मांगने की 1107 शिकायतों पर कार्यवाही की गई। भू-माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, अवैध खनन माफिया, रॉयल्टी के जुड़े माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। मादक पदार्थों की अवैध बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' का आगाज किया और मिलावटखोरों पर अपना शिकंजा कसा। बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया। राज्य सरकार ने संगठित मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने का फैसला किया।

आदिवासी कल्याण : विश्व आदिवासी कल्याण दिवस 9 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित क्षेत्र को 127.85 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी 41 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

राज्य सरकार ने टीएसपी क्षेत्र से बाहर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिलों में बिखरे भील समुदाय के परिवारों के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्णय लिया। जोधपुर संभाग में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए जोधपुर में हॉस्टल और कोचिंग संस्थान खोलने पर विचार किया गया। कोरोना काल में भी जनजाति युवाओं को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग दिलाई जा रही है। टीएसपी क्षेत्र के 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के मक्का बीज उपलब्ध कराए गए। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रखा गया और जिलों में अनके कार्यक्रम हुए।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाएं कराने का साहसिक निर्णय : प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हजारों बालक-बालिकाओं के भविष्य से जुड़े सवाल को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सुनियोजित रूप से कोरोना से बचाव सम्बन्धी सभी मानकों की पालना करते हुए परीक्षाएं यथा समय करवाकर एक नया इतिहास रचा। यह एक दुरूह कार्य था जिसे निर्बाध रूप से संपन्न किया गया।

गजेटियर्स : किसी भी क्षेत्र की विकास योजना बनाते समय उस क्षेत्र की आबादी, मानव संसाधन, शिक्षा, व्यवसाय, कुटीर, लघु और बड़े उद्योगों की स्थिति को आधार बनाया जाता है। इसमें जिला गजेटियर्स का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के पूर्व प्रकाशित गजेटियर्स

15 से 40 साल पुराने होने से वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में नए सिरे से गजेटियर्स के प्रकाशन का निर्णय लिया गया ताकि वहां अधिकाधिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब हर साल कम से कम 6 जिलों में नए गजेटियर्स तैयार किए जाएंगे।

राजस्व सेवाएं ऑनलाइन : मुख्यमंत्री गहलोत ने आमजन के जीवन से जुड़ी राजस्व सेवाओं का ई-लोकार्पण किया। इससे भू-रूपान्तरण गिरदावरी रिपोर्ट, पंजीयन जैसे कामों के ऑनलाइन होने से विशेषकर ग्रामीणों को राजस्व विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की 16 विभिन्न नवसृजित एवं क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करते हुए उनमें तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड : प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 'स्टेट सोशल सिक्यूरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स' के गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने वंचित पात्र निर्माण श्रमिकों का भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीयन के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्देश दिया।

वन और पर्यावरण : राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी पूर्ण सजग है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा की और सामाजिक वानिकी योजना को जीवन्त करने, वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने, राजस्थान राज्य वन विकास निगम का शीघ्र गठन करने पर बल दिया। 'नगर वन योजना' के तहत उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर में नगर वन विकास की योजना केन्द्र को भेजी गई है।

सूचना का अधिकार : राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के संकल्प के अनुरूप सूचना का अधिकार लागू किया था। बाद में यूपीए की सरकार ने इसे देशभर में लागू किया। राज्य में इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए 'जन सूचना पोर्टल' का शुभारम्भ किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने की 15वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्यमंत्री ने इस अधिनियम को और मजबूती प्रदान करने के संकल्प को एक बार पुन: दोहराया। इससे पूरे देश की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि ग्लोबल आरटीआई इन्डेक्स में एक समय हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर था लेकिन 2018 आते-आते भारत की रैंकिंग छठे स्थान और उसके बाद और भी नीचे आ गई। हमारी सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2011, सुनवाई का अधिकार-2012 और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिकार-2012 जैसे कानून लागू किए थे। हमारी मंशा है कि 31 दिसम्बर तक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए। इससे शासन की पारदर्शिता को बल मिलता है।

उद्योग : मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को गति देने वाले महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली-मुबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) की समीक्षा की। इस योजना से प्रदेश में निवेश, रोजगार, और नगरीय विकास की विपुल संभावनाएं हैं। उन्होंने खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इंडस्ट्रीयल नोड के तहत भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के काम को गति देने के लिए प्लानिंग विभाग और इंजीनियरिंग शाखा को मजबूत करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ निवेश क्षेत्र को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में घोषित कर दिया गया है।

पेट्रोलियम रिफाइनरी की मॉनिटरिंग : बाड़मेर में निर्माणाधीन महत्त्वाकांक्षी पेट्रोलियम रिफाइनरी की समीक्षा अब मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर की जाने लगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया है। मुख्यमंत्री जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर रिफाइनरी के कार्य को प्रतिबद्धता के साथ एवं समय पर पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

पर्यटन : पर्यटन राजस्थान अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी है। इससे प्रदेश के 40 लाख लोगों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए विश्वास दिलाया कि करीब 20 साल बाद नई पर्यटन नीति लाई जा रही है जिससे पर्यटन क्षेत्र को पुन: पटरी पर लाया जा सकेगा। कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है।

राज्य सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके चलते लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में पर्यटन, अपेरल और टेक्सटाइल क्षेत्रों को राहत देने के निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के तहत अतिरिक्त लाभ एवं अनुदान में छूट के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।

पर्यटन को रिप्स-2019 के अन्तर्गत 'थ्रस्ट सेक्टर' के अन्तर्गत शामिल करने और इसके साथ ही सामान्य लाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पर्यटन इकाई में न्यूनतम दो करोड़ रुपये का निवेश करने पर 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी की छूट अधिकतम 25 लाख रुपये तक अथवा ऋण पर ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान 5 वर्ष तक अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष देय होगा। इन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए यहां अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करने पर देय अनुदान की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक कर दी है।

युवा कौशल : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे प्रदेश के युवाओं में स्किल डवलपमेंट कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके और प्रदेश स्किल डवलपमेंट में सिरमौर बने। पिछले दो सालों में किए प्रयासों से राजस्थान आईटी आधारित गवर्नेंस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की मंशा है कि राजकीय कार्यालयों में फाइलों का बोझ कम हो और डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ा जाए। श्री गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'सक्षम युवा कार्यक्रम' को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़ा गया। राज-कौशल पोर्टल पर करीब 53 लाख कामगारों और 11 लाख नियोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा : मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद् विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) का दर्जा मिल गया है। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इससे अब आयुष के क्षेत्र में उच्चकोटि का शिक्षण और शोध कार्य हो सकेगा। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जड़ी-बूटियां मिलती हैं। इन जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का गठन किया। वर्ष 2004 में अजमेर में आयुर्वेद औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। 2010 में होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अलग से होम्योपैथिक निदेशालय तथा यूनानी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए यूनानी निदेशालय स्थापित किया गया। 2013 में देश में पहली बार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् का गठन किया गया ताकि आयुर्वेद नर्सिंग सेवा को विधिक मान्यता दी जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संवाद में केन्द्रीय आयुष मंत्रालय को ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 में संशोधन कर आयुर्वेद स्टोर संचालन में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता लागू करने, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् को वैधानिक दर्जा देने के लिए केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् का गठन करने और केन्द्रीय आयुष नर्सिंग परिषद् की स्थापना संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने राजस्थान को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विशेष दर्जा देने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान का काफी महत्त्व है। ऐसे में इसका अधिक से अधिक प्रसार किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य चिकित्सा पद्धतियों को भी प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री

श्री गहलोत ने कोरोना से आमजन का बचाव करने में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साकर्मियों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने सभी के योगदान को सराहा। काढ़ा और अन्य औषधियों के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम आए हैं। आधुनिक जीवन शैली में इन पद्धतियों की प्रासंगिकता बढ़ी है। उन्होंने इन पद्धतियों में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ योग और नेचुरोपैथी पर भी बल दिया।

आतिशबाजी पर रोक : कोरोना का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के आधार पर राजस्थान पहला राज्य है जिसने दीपावली पर पटाखों के प्रयोग और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जयपुर में पर्यावरण प्रदूषण के मामले में व्यापक सुधार हुआ जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित में उचित ठहराया।

बाल संरक्षण : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह एवं बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम जैसे बाल अधिकार से जुड़े विषयों पर प्रभावी कदम उठाए हैं। बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ बालकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम 'बाल संगम' में श्री गहलोत ने 'वात्सल्य योजना' एवं 'समर्थ योजना' के दिशा-निर्देशों की पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केन्द्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण की दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें साधुवाद दिया। बाल अधिकारों के संरक्षण के समक्ष मौजूद चुनौतियों का हम सभी को मिलकर सामना करना होगा।

परिवहन सेवा क्षेत्र को मिली संजीवनी : कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण निजी बसों का संचालन नहीं होने से निजी बस ऑपरेटर्स का अप्रैल, मई एवं जून तीनों माह का पूरा मोटर वाहन टैक्स माफ किया गया। जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में भी टैक्स राहत देने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के करीब 30 हजार निजी बस ऑपरेटर्स को टैक्स में 75 प्रतिशत राहत मिल सकी, जो परिवहन क्षेत्र के लिए एक संजीवनी सिद्ध हुई।

सैनिकों को दिया गया सम्मान : राजस्थान वीर प्रसूता भूमि मानी जाती है। हमारे बहादुर वीर सैनिकों की देश और दुनिया में एक खास पहचान है। कारगिल हो या अन्य युद्ध सभी में हमारे जांबाज देश की सरहदों पर तैनात रहकर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहूति देने में सदैव अग्रणी रहे हैं। इनके त्याग और बलिदान के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। राज्य सरकार ने समय-समय पर इनके और शहीद सैनिक परिवारों के आश्रितों के कल्याण के लिए हमेशा पहल की है। इसमें शहीदों के परिवारों को विशेष पैकेज देना भी शामिल है। राज्य सरकार ने अब सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र विजेता सैनिकों के लिए रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा का ऐलान किया है। इससे राज्य के 700 सैनिकों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में सैनिक कल्याण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 14 फरवरी, 2019 के बाद शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बल के जवानों के परिजनों के लिए कारगिल पैकेज के तहत देय राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की विधवाओं की पेंशन राशि 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की गई है। शहीद सैनिकों की आश्रित पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं माता-पिता के पक्ष में भूमि हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया

है। इसके अलावा राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की वृद्धि, शौर्य पदक धारकों को रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा, 49 शौर्य पदक धारकों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन जैसे फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि पहली बार प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने सीधे पूर्व सैनिकों के साथ संवाद की पहल की है।

पत्रकारों के हित में निर्णय : मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ-साथ मेडिकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पत्रकार कल्याण कोष के एफडीआर से प्राप्त ब्याज से संचालित मेडिकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी देने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में देय 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (पेंशन योजना) की प्रतिमाह राशि 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया।

खेल-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन : खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में भी राज्य सरकार अग्रणी रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 29 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी है। साथ ही खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी दोगुना कर दिया है। प्रदेश के 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान शिक्षा विभाग एवं तकनीकी अभियांत्रिकी सेवा में नियुक्ति दी गई है। खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस एवं सहायक वन संरक्षक के पद पर भी नियुक्ति दी गई है।

11 खिलाड़ियों को पुलिस उप निरीक्षक, एक खिलाड़ी को आबकारी रक्षक, पांच खिलाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा एक खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-द्वितीय के पद पर नियुक्ति गई है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 300 रुपये के स्थान पर 600 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्री रजत चौहान तथा श्री राजूलाल ढाका ने 'नो मास्क - नो एंट्री' अभियान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सराहना की है। श्री चौहान एवं श्री ढाका ने कहा कि खिलाड़ियों को संबल देने के लिए ऐसी पॉलिसी किसी अन्य राज्य में नहीं है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल जैसे अन्तरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी 13 खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1980 से अब तक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 58 खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की जा चुकी है। ●

सुशासन से विकासमान राजस्थान उपलब्धियों की एक झलक

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के तीसरी बार कमान संभालने के बाद विगत 02 वर्षों के सुशासन का ही परिणाम है कि अनेक चुनौतियों के बावजूद विकास का लक्ष्य गौण नहीं बल्कि प्रथम प्राथमिकता पर केन्द्रित रहा है। प्रदेश के हर वर्ग चाहे किसान हो या युवा, महिला हो या उद्यमी, छात्र हो या सैनिक, समाज के वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए किए गए हर संभव प्रयास काबिल-ए-तारीफ़ है। कोरोना महामारी से मुकाबला करते हुए भी प्रदेशवासियों के हित में संलग्न रहकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विकास पुरुष के रूप में जिस कौशल से राजस्थान प्रदेश में विकास का परचम फहराया है उसकी बानगी के रूप में कुछ उपलब्धियां -

कृषक कल्याण

- दस दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ। 20.55 लाख किसानों के 7726.90 करोड़ रुपये के **अल्पकालीन फसली ऋण माफ**। 29,262 सीमान्त एवं लघु किसानों के 336.49 करोड़ रुपये के **मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ** कर 1.24 लाख बीघा भूमि रहन मुक्त।
- सहकारी **फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना,** 2019 प्रारम्भ की गई। 19,323 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण एवं 1190 करोड़ रुपये के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये।
- किसानों को उनकी कृषि उपज का यथोचित मूल्य दिलवाये जाने व कृषक कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित किये जाने की दृष्टि से 2 हजार करोड़ का **कृषक कल्याण कोष** का गठन किया गया है।
- राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से **राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019** लागू की गई। नीति के अन्तर्गत किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग आदि लगाये जाने पर 1 करोड़ रुपये तक पूंजीगत एवं 1 करोड़ रुपये तक ब्याज अनुदान कुल 2 करोड रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 84 आवेदनों पर 34.62 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और इसी अनुरूप स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में भू-रूपान्तरण या अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने के आदेश दिनांक 14.09.2020 को जारी किये गये।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अधीन स्थापित होने वाली इकाइयों, उद्योगों की स्थापना एवं कृषि जिंसों हेतु बनाये जाने वाले वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन देय प्रीमियम से शत प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की अधिसूचना दिनांक 14.09.2020 को जारी की गयी।
- किसानों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर लघु/सूक्ष्म/कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत प्रदान की गई। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर 10 हैक्टेयर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।** खातेदार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रयोजन हेतु अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने के 30 दिवस में तहसीलदार को आवेदन करने पर मात्र एक Certificate दिया जाएगा, जिससे काश्तकार को बैंक

ऋण लेने में सहायता होगी।

- ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत **राज किसान साथी पोर्टल** विकसित करवाया जा रहा है। योजनाओं के लिए पेपर लेस प्रक्रिया के तहत आवेदनों की ऑनलाइन जांच, मोबाइल एप से भौतिक सत्यापन, जियो टेगिंग और ऑनलाईन प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति व डी.बी.टी. आधारित भुगतान की प्रक्रिया विकसित की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने, जिससे कृषक को कम दामों में फसल बेचने को मजबूर न होना पड़े, के दृष्टिगत सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत **''कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण''** दिनांक 1 जून, 2020 से उपलब्ध करवाना प्रारम्भ किया गया। कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई। सहकारी बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत 2018 कृषकों को राशि रुपये 20.46 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाये गये है।
- किसानों को अपनी जिन्सों के सुगम बेचान के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 460 पैक्स/लैम्पस तथा 90 क्रय विक्रय सहकारी समितियों का चयन कर अधिसूचना दिनांक 10.4.2020 से इन 550 प्राथमिक समितियों को **गौण मण्डी का दर्जा प्रदान** किया गया।
- 4 वर्षो में चरणबद्ध तरीके से 2000 **नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन** किये जाने के निर्णय की पालना में वर्ष 2020-21 में 80 पैक्स व 15 लैम्पस के गठन की स्वीकृति दी गई है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित लघु एवं सीमान्त वृद्ध किसानों के लिए **''राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019''** जारी किये गये। इसके अन्तर्गत 55 वर्ष व इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 750 एवं 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजनान्तर्गत 2.79 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- 17 दिसम्बर 2018 से नवम्बर, 2020 तक 41 हजार 245 हैक्टेयर क्षेत्र में **ड्रिप** तथा 89 हजार 448 हैक्टेयर क्षेत्र में **फव्वारा संयंत्रों** की स्थापना की गई ।
- बूँद-बूँद सिंचाई के साथ फसलों को वांछित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फर्टिगेशन, फोलियर उर्वरीकरण तथा ड्रिप ऑटोमेशन की आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया जाना भी प्रारम्भ किया गया है। 352 हैक्टेयर फर्टीगेशन, 150 हैक्टेयर फोलियर उर्वरकीकरण तथा 4 संयंत्रों का ऑटोमेशन किया जाकर राशि रुपये 1 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया।
- कृषकों के खेत पर 7,174 **सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों** की स्थापना की गई।
- देश में अब राजस्थान ऐसा एक मात्र राज्य हो गया है जिसकी सभी 144 स्वतंत्र मण्डियों के लिए **ई-नाम प्रोजेक्ट** स्वीकृत हुआ है। ई-नाम प्रोजेक्ट से किसानों को उनकी कृषि उपज प्रतिस्पर्धी मूल्य ई-निलामी के माध्यम से मिलना संभव हो सकेगा।
- तीन **नवीन कृषि महाविद्यालय** कोटपुतली (जयपुर), बसेड़ी (धौलपुर) एवं किशनगढ़बास (अलवर) में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीन स्थापित किए गये है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नए संघटक महाविद्यालय के रूप में श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर, 2020 के मध्य कुल राशि रुपये 7421.68 करोड़ के बीमा क्लेम 53.26 लाख कृषकों को दिया गया।
- वर्ष 2019-20 में 5.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्र एवं वर्ष 2020-21 में 5.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों का नियंत्रण किया गया।
- **जल प्रबन्धन** के तहत नहरी क्षेत्र में 4 हजार 120 डिग्गी, कूप नलकूप सिंचित क्षेत्रों में 1 हजार 116 जलहौज, वर्षा जल के संग्रहण हेतु 8 हजार 106 खेत तलाइयों (फार्म पोण्ड) का निर्माण करवाया गया एवं कुओं से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए 15 हजार 216 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित करवाई गई।
- राज्य में 17 दिसम्बर 2018 से 30 नवम्बर, 2020 तक 373 **कस्टम हायरिंग केन्द्र**/ कृषि यंत्र किराया केन्द्र की स्थापना की गई है।
- कृषकों को 6.92 लाख फसल **बीज मिनिकिट** तथा 1.04 लाख **चारा मिनिकिट** उपलब्ध करवाये गये। साथ ही कृषकों के खेतों पर 2.58 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।
- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सम्वत 2075 एवं सम्वत 2076 में सूखा, बाढ, ओलावृष्टि एवं टिड्डी आक्रमण से हुए फसल खराबे से प्रभावित कृषकों को **कृषि आदान अनुदान** वितरण हेतु 2521 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
- राज्य की ऑनलाइन तहसीलों में जमाबंदी की ई-साइन प्रमाणीकरण युक्त नकल आमजन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। राजस्व विभाग द्वारा विकसित **धरा एप** द्वारा आमजन किसी भी कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
- **ऑनलाइन गिरदावरी की ई-हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि** ई-मित्र व मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा आमजन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

- 1 लाख 61 हजार से अधिक किसानों को **कृषि कनेक्शन** जारी।
- 5 वर्षों तक **कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढाने का निर्णय**।
- **कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित** करने के लिये प्रथम चरण में 1,367 फीडरों का कार्य पूर्ण।
- दिसम्बर, 2018 से नवंबर, 2020 तक किसानों को बिजली के बिलों में **27 हजार 229 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।**

पशुपालन

- पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत राज्य की समस्त राजकीय पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं पशु चिकित्सा शिविरों के माध्यम से पशुधन की नि:शुल्क चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवा कर योजनान्तर्गत 567 लाख पशुओं का उपचार तथा 786 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।
- 1 फरवरी, 2019 से **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना** अन्तर्गत दुग्ध संकलन पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान। 223.48 करोड़ रुपये का भुगतान कर 4 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
- पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग 51,000 **पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड** से जुडवाया गया है।
- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जहाँ वर्तमान में कोई पशु चिकित्सा संस्था स्वीकृत नही है वहाँ 600 नवीन उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी करते हुये 600 पशुधन सहायक तथा 600 जलधारी के नये पद (कुल 1200 पद) स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जा चुके हैं।
- जोधपुर में एक नया राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी।
- राज्य का 14वां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र झुन्झुनूं में शुरू किया गया।
- जिला जोधपुर एवं झुन्झुनू में सेक्स सोर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करने के पायलेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 90 प्रतिशत मादा संतति का उत्पादन हुआ।
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुओं के अत्याधुनिक सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। इस ब्लॉक में सी.टी. स्केन इकाई, सोनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, लेजर सर्जरी इकाई, नेत्र रोग इकाई, ऑर्थोपेडिक इकाई तथा दंत रोग इकाइयां हैं, जिसका सीधा लाभ पशुपालकों व किसानों को मिल रहा है।
- गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिये सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रुपये 40 तथा छोटे गौवंश हेतु रुपये 20 प्रति दिन प्रति गौवंश की गई।
- गौशालाओं में संधारित गौवंश के चारा-पानी के लिए 17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 02.12.2020 तक रुपये 821.45 करोड़ की सहायता गौशालाओं को दी गई।

युवा कल्याण

- **79 हजार 671 पदों पर नियुक्तियाँ दी गई-** (तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1)- 23,238, वरिष्ठ अध्यापक-9041, प्रधानाध्यापक-1149, शारीरिक शिक्षक-4493, प्रयोगशाला सहायक-1084, चिकित्सा अधिकारी-735, नर्सिंग ग्रेड-द्वितीय-6692, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता-4758, ईसीजी टेक्निशियन-112, कनिष्ठ सहायक-13201, आयुर्वेद कनिष्ठ कम्पाउन्डर/नर्स-394, नायब तहसीलदार-210, कृषि पर्यवेक्षक-1691, सहायक कृषि अधिकारी-248, जेल विभाग- वार्डर-633, सूचना सहायक-1305, ऊर्जा विभाग-हेल्पर ग्रेड-II-2487, पशुधन सहायक-2115, सहायक सांख्यिकी अधिकारी- 206) साथ ही 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों को कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 14.10.2020 जारी कर भरा गया जिससे आयोग पूरी क्षमता के साथ कार्य को संपादित कर सकेगा।
- **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना** 1 फरवरी, 2019 से प्रदेश में लागू की गई। योजनान्तर्गत प्रथम बार ट्रांसजेण्डर वर्ग को भी महिलाओं में शामिल कर 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया गया। प्रथम बार पुरुष बेरोजगारों को 650 रुपये के बजाय 3000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन को 750 रुपये के बजाय 3500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ दिनांक 01.02.2019 से 30.11.2020 तक 2,45,270 स्नातक(पात्र) बेरोजगारों को **बेरोजगारी भत्ता** स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 740.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2020-21 में 30.10.2020 तक कुल 58,749 नवीन पात्र स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया।
- बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 1519 **डेयरी बूथ** आवंटित किये गये।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हुनरमंद बेरोजगार युवाओं को

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना प्रारम्भ कर वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 हजार 321 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया। वर्ष 2020-21 में माह नवंबर, 2020 तक 15 हजार 502 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

- ''मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना'' में 75 महाविद्यालय परिसर में स्थापित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग 4 हजार छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।
- **राजीव@75 फंड** की स्थापना आगामी पाँच वर्ष में स्टार्टअप के विकास के अन्तर्गत equity fund हेतु की जानी है। इस परियोजना के अन्तर्गत SEBI Registered Alternate Investment Fund Structure की स्थापना हेतु प्रशासनिक आदेश दिनांक 15.09.2020 को जारी किए गए है।
- प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो इसको दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 से 18 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यमान ब्रांच की क्षमता में परिवर्तन करते हुये व्यवसाय उन्मुख नवीन ब्रांच यथा रोबोटिक्स, मैकेट्रोनिक्स, साइबर फोरेंसिंक इन्फोर्मेशन तथा तीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में Artificial Intelligence & Data Science, Machine Learning, Internet of Things प्रारंभ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अल्प अवधि के कोर्स यथा ऑटोकैड, रेफ्रिजरेशन, अनुरक्षण विषय के कोर्स प्रारंभ किये गये।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण में अचल संपत्ति से संबधित प्रावधानों के कारण आ रही बाधाओं को दूर किया गया तथा इस बाबत संपत्ति संबंधित प्रावधान में संशोधन कर केवल 8 लाख रुपये की अधिकतम वार्षिक आय को योग्यता का आधार बनाया गया।
- अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में 1 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलेयर की सीमा रुपये 2.50 लाख से बढ़ाकर रुपये 8 लाख की गई।
- **कौशल प्रशिक्षण** कार्यक्रमों के अंतर्गत 99 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- **प्लेसमेंट सत्यापन** की प्रक्रिया में सुधार लाने एवं प्लेसमेंट पर कार्यवाही करने के लिये आरएसएलडीसी द्वारा 04.10.2019 को परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, पिछले तीन महीनों का वेतन पर्ची, बैंक पासबुक एवं बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज शामिल हैं को अनिवार्य कर दिया गया है।
- दिसम्बर, 2018 से अक्टूबर, 2020 तक 512 **रोजगार सहायता शिविर**/कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर/कैम्पस प्लेसमेन्ट शिविर आयोजित कर 63,374 युवाओं को लाभांवित किया, जिसमें से 41,036 आशार्थियों को रोजगार अवसरों हेतु प्राथमिक चयनित किया गया।
- कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल/ऑनलाइन/डिजिटल 143 जॉब शिविरों का आयोजन कर 5395 आशार्थियों को रोजगार के अवसरों हेतु प्राथमिक चयनित किया गया।
- राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियम लागू किया। इससे प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर सरकारी नौकरी हेतु पात्र माना जायेगा। स्कूल गेम्स फैडरेशन व अखिल भारतीय विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता के पदक विजेता भी इन नियमों के तहत शामिल है।
- राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दिये जाने हेतु राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉन्इटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स नियम (संशोधन) 2020 लागू किया गया है। विभिन्न विभागों में 29 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार राज्य खेलों का आयोजन किया गया। राज्य खेल प्रतियोगिता में 18 खेलों के लगभग 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जायेगा।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण, भण्डारण एवं विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- राज्य में हुक्का बार संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिये राज्य सरकार के द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कर माननीय राष्ट्रपति महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।
- Food Safety and Standards Regulation 2011 के नियम 2.3.4 के तहत गुटखा (पान मसाला एवं जर्दे का मिश्रण) पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
- राज्य के निवासियों को यू.पी.एस.सी./आर.पी.एस.सी./आर.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार हेतु नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी।
- राजस्थान राज्य के परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुम्बई जाने पर राजस्थान भवन, वाशी-नवीं मुम्बई में रियायती

दर पर आवास/भोजनादि की सुविधा प्रदान की गई।

- भर्ती में स्वीकृत पदों के तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। इससे अभ्यर्थियों के जॉइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार-बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगवानी पडेगी। जिससे न्यायालय में चक्कर नहीं लगाना पडेगा।

महिला सशक्तीकरण

- राज्य के चार जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में **इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना** प्रारंभ, दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 रुपये का नकद लाभ।
- **इंदिरा महिला शक्ति निधि** में से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना तथा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का शुभारम्भ दिनांक 18.12.2019 को किया गया।
- **इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना** में महिलाओं, स्वयं सहायता समूह तथा स्वयं सहायता समूह संघों को उद्यम (निर्माण, सेवा एवं व्यापार) स्थापित करने या स्थापित उद्यम के विस्तार विविधीकरण हेतु ऋण अनुदान (25 प्रतिशत अनुदान) योजना में रुपये 47.16 करोड़ के ऋण स्वीकृत करने हेतु 735 आवेदन बैंक को भिजवाये गये।
- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं गंभीर प्रकृति के अपराधों के अनुसंधान हेतु राज्य के समस्त 41 जिलों में Special Investigative Units for Crime against Women का गठन किया गया है। इस हेतु उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी पदस्थापित किया गया है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसी व्यवस्था प्रत्येक जिले में स्थापित की गयी है।
- महिलाओं की सहायतार्थ एवं सुरक्षा हेतु राज्य के जिले **अलवर एवं श्रीगंगानगर में एम.पी.वी. (महिला पुलिस कार्यकर्ता) योजना का पायलट प्रोजेक्ट** के रूप में चयन किया गया है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु दिनांक 01.01.2020 से राज्य के समस्त जिलों में **महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्रों** का शुभारंभ किया गया है। जनवरी, 2020 से 15 नवम्बर, 2020 तक कुल 28541 महिला/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- दिनांक 29.04.2020 से **सहयोग एवं उपहार योजना** में संशोधन किया जाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000/- हथलेवा राशि एवं यदि कन्या 10 वीं पास हो तो 10000/-रूपये एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 21,000/- हथलेवा राशि, व दसवी पास कन्या को 10,000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- विधवा विवाह उपहार योजना में विधवा की शादी पर दी जा रही उपहार राशि को दिनांक 19.07.2019 से 30 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई।
- अकेली निराश्रित महिला एवं भूमिहीन महिला को आवासीय योजना में प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान इम्प्रुव्मेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड) रूल्स, 1974 में आवश्यक संशोधन दिनांक 16.09.19 द्वारा किया गया।
- नॉन-टीएसपी की महिला द्वारा टीएसपी क्षेत्र के व्यक्ति से विवाह करने पर टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश दिनांक 21.10.2019 को जारी किये है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
- चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा के रूप में नियुक्त महिलाओं को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति में कम्प्यूटर योग्यता से मुक्त रखा गया है।
- 17 दिसम्बर, 2018 के पश्चात् सामूहिक विवाह में 6162 जोड़ों को लाभान्वित किया गया एवं 13.48 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
- महिलाओं को **नि:शुल्क कम्प्यूटर बेसिक कोर्स प्रशिक्षण** योजना में 92,739 महिलाएं/बालिकाएं प्रशिक्षित।
- **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** योजनान्तर्गत बालिकाओं के जन्म को समर्पित फलदार पौधारोपण कार्यक्रम के तहत **कन्या वाटिका** निदेशालय, महिला अधिकारिता तथा टेक्नोलॉजी पार्क, मानसरोवर, जयपुर में विकसित की गई।
- **पोषण वाटिका** विकसित किए जाने हेतु दिनांक 30.07.2020 को वृहद स्तर पर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 1 से 15 अगस्त तक पोषण वाटिका पखवाड़ा मनाया गया।
- पूरक पोषाहार के अन्तर्गत 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को

दाल एवं खाद्यान्न का वितरण, लाभार्थियों की संख्या में लगभग 8 लाख की वृद्धि हुई।

- राज्य की 60 हजार से अधिक आंगनबाड़ियों में पोषण अभियान के अन्तर्गत पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एएनएम को पीसीटीएस (PCTS) सॉफ्टवेयर से इंटिग्रेशन करते हुए कुल लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से एनआईसी द्वारा नवीन पोर्टल एवं एप के विकास से विभागीय कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6,000 रुपये से बढाक़र 7,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,750 रूपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये किया गया। आशा सहयोगीनियों एवं साथिनों का मानदेय 200 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- **मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत** उपलब्ध करवायी जा रही दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए **कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नयी दवाओं** को **शामिल** कर नि:शुल्क दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर 712 की गई है।
- जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही और जनचेतना कार्य करने के लिये दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया।
- **''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना''** का प्रदेश में दिनांक 01.09.2019 से शुभारम्भ किया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले परिवार के सदस्य एवं आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार के सदस्य योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना से 17 दिसम्बर 2018 से 06 दिसम्बर 2020 तक 33.48 लाख क्लेम रुपये 1884.79 करोड़ के सबमिट किये जा चुके हैं जिसमें 19 लाख 46 हजार 897 लोगों को लाभान्वित किया गया।
- दिनांक 22.06.2020 के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण** के गठन के आदेश जारी किए गये हैं।
- राज्य में समस्त उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इस हेतु दिनांक 26.10.2020 से **शुद्ध के लिये युद्ध अभियान** चलाया जा रहा है। जिनमें प्रशासनिक अधिकारी/ पुलिस अधिकारी/ खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ प्रवर्तन अधिकारी/ विधिक माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी के प्रतिनिधि आदि को सम्मिलित किया गया है।
- 100 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 200 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी। 53 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 12 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया। कोटपूतली–जयपुर एवं केकड़ी–अजमेर के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
- 05 सामुदायिक केन्द्र व 01 उप जिला चिकित्सालय (रावतभाटा, मेडता सिटी, लक्ष्मणगढ़, बालोतरा, राजगढ़, पोकरण) तथा 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा हिण्डोली (बूंदी), नोहर (हनुमानगढ़), सावर (अजमेर) एवं भिवाडी (अलवर) में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.05.2020 को जारी।
- राजकीय चिकित्सालय, कुचामनसिटी (नागौर) में **ब्लड बैंक की स्थापना** की दिनांक 15 जनवरी 2020 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी।
- जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ की क्षमता 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 शैय्यायें करने के आदेश दिनांक 9.01.2020 को जारी।
- **दूदू** के **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** को **उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत** तथा ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने के पदों सहित आदेश दिनांक 31.01.2020 को जारी।
- **राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 2,464 बैड (शैय्या वृद्धि)** की स्वीकृति जारी।
- गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी।
- **सांगानेर** के **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** को **सैटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत** करने के आदेश दिनांक 17.08.2020 को जारी किये गये ।
- नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में मौहल्ले/गली में 12 **जनता क्लिनिक** खोले गये हैं। (जिसमें से 07 जनता क्लिनिकों का शुभारम्भ जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना लॉकडाउन में हुआ है)। अब तक 1.20 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया।
- राज्य के सभी आंगनबाड़ी, सरकारी विद्यालयों एवं मदरसों में **बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण** कर लगभग 7.16 लाख बच्चों (केसेज) को उपचार हेतु रैफर किया गया है, जिसमें से 5.50

लाख बच्चों का इलाज करवाया गया है। कुल इलाज कराये गए बच्चो (केसेज) में से 3158 बच्चों की सर्जरी करायी गयी जिसमें से 1529 बच्चों की हार्ट सर्जरी व 1629 बच्चों की अन्य आवश्यक सर्जरी करवाई गई।

- राज्य में 22 जुलाई, 2019 से **''खसरा–रूबेला अभियान''** प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत 09 माह से 15 वर्ष तक की आयु के लगभग **1.91 करोड़ बच्चों को खसरा रूबेला से बचने हेतु टीके लगाये गये हैं।**
- राज्य में 01 सितम्बर 2019 से सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को T T वैक्सीन के स्थान पर Td वैक्सीन दी जा रही है।
- **पीसीवी वैक्सीन–15 सितम्बर, 2019** से 1 वर्ष तक के बच्चों को पीसीवी वैक्सीन की तीन खुराक नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर नि:शुल्क दी जा रही है।
- **जननी सुरक्षा योजना** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 से अक्टूबर, 2020 तक 19.56 लाख प्रसूताओं को लाभान्वित किया गया।
- नवजात बालिका शिशु मृत्यु दर की रोकथाम व प्रबंधन हेतु राज्य के समस्त राजकीय संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं हेतु **इन्दिरा प्रियदर्शनी बेबी किट** का राज्य स्तर से क्रय कर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 18.05.2020 को शुभारम्भ उपरान्त जिलो को वितरण प्रारम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय **टेली–कंसल्टेशन नेटवर्क** (e-sanjeevani OPD services) दिनांक 4.5.2020 को प्रारंभ। जिससे मरीज घर से सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन चिकित्सक की सेवाएं नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। राजस्थान में यह सुविधा चिह्नित 100 चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी जा रही है। टेली–कंसल्टेशन का समय सोमवार से शनिवार प्रात: 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक है। राजस्थान राज्य में दिनांक 12.11.2020 तक कुल **6530** टेली–कंसल्टेशन किये जा चुके हैं।
- 472 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 206 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 63 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये गये। 214 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर, 299 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, 103 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एवं 7 चिकित्सालयों पर आवासीय भवन निर्माण करवाये गये। निर्माण कार्यों पर 806.60 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
- दूरस्थ क्षेत्रों में आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 280 **मोबाइल मेडिकल वैन** संचालित की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा

- **बी.पी.एल. एवं वरिष्ठ नागरिकों को एम.आर.आई. एवं सीटी स्केन की नि:शुल्क सुविधायें** एस.एम.एस. अस्पताल की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़ एवं आर.यू.एच.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, जयपुरिया अस्पताल में भी नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है।
- राज्य के जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, झालावाड़ एवं आर.यू.एच.एस. के चिकित्सालयों में **नि:शुल्क जांचों** की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गयी है। अब हेपेटाइटिस, स्क्रबटाइफस, डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाइन फ्लू आदि की विभिन्न जांचे मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों मे नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है।
- वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी। नये मेडिकल कॉलेजों के लिये राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत हिस्सा राशि की सहमति देने के फलस्वरूप **15 नये मेडिकल कॉलेज** (अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनु, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर) खोलने की अनुमति भारत सरकार से लेने में सफल हुये। उक्त मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सीज के साथ एमओए सम्पादित किया जा चुका है।
- भारत सरकार से 950 **पीजी सीट** एवं 11 सुपरस्पेशियलिटी सीटों की बढ़ोतरी की स्वीकृति वर्ष 2019–20 में प्राप्त की गई।
- विभिन्न मेडिकल कालेजों में **एमबीबीएस सीटों** में वर्ष 2019–20 में 650 एवं वर्ष 2020–21 में 230 सीटों की बढ़ोतरी की गयी, इस प्रकार कुल 880 सीटों की बढ़ोतरी हुई जो 2018 तक की कुल 1950 एमबीबीएस सीटों का 45 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019 में बाड़मेर में **नया मेडिकल कॉलेज** प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 में सीकर में नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी अनुमति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से प्राप्त हो गयी है।
- 150 करोड़ (प्रति कॉलेज) की लागत से कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में **सुपरस्पेशयलिटी ब्लॉक** का निर्माण कार्य पूर्ण। जयपुर में 200 करोड रूपये की लागत से निर्मित किये जा रहे सुपरस्पेशयलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
- एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) एवं कॉर्डियो थोरेसिक हृदय प्रत्यारोपण ओटी एवं गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण। इसी क्रम में अन्य मेडिकल कॉलेज के लिये जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर, न्यू हॉस्पीटल मेडिकल कॉलेज कोटा, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर एवं पी.बी.एम. हॉस्पीटल बीकानेर को 29.07.2020 को ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत 5 साल के लिये Organ/Tissue

Retrieval Performing के लिये प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।

- जयपुर में **राज्य कैंसर संस्थान** का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण। परिसर में ओपीडी का कार्य शुरू किया गया है।
- जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर में दिनांक 30.01.2020 से बच्चों में ब्रोन्कोस्कोपी की शुरूआत की गयी है, जिससे श्वसन रोगी बच्चों को फायदा हुआ है।
- पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में प्रसूताओं को दर्द रहित प्रसव सुविधा प्रारंभ की गई है।
- एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेजो में सर्जिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग शुरू किये गये हैं तथा रियूमेटोलोजी, ट्रोमोटोलोजी, स्पोर्ट मेडिसिन, ट्रोपिकल मेडिसिन, पेलियेटिव मेडिसिन विषय प्रारंभ किये गये हैं।

आयुर्वेद

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1954 के तहत् भ्रामक एवं जादुई उपचार के विज्ञापनों को रोकने के दृष्टिकोण से **पहली बार जिला स्तर पर अधिकारियों को अधिसूचित किया** गया है।
- शुद्ध एवं प्रामाणिक औषधि के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर आयुर्वेद औषधि गुणवत्ता की जांच हेतु **समस्त सहायक निदेशकों को अधिसूचित किया** गया है।
- राज्य में पहली बार समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के परामर्श पर मुख्य मंत्री नि:शुल्क जाँच योजना के तहत जाँच का लाभ आमजन को प्राप्त हो रहा है।
- जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर में संभाग स्तरीय **आरोग्य मेलों** का आयोजन कर कुल 2 लाख से अधिक लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित किया गया।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा 179 आयुर्वेद औषधालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 26.28 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिसके तहत 53 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा शेष निर्माण कार्य प्रगति पर।
- ''आयुष्मान भारत योजना'' के तहत राज्य में 500 आयुर्वेद औषधालयों को **आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स** के रूप में विकसित किये जाने हेतु राशि 50.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें पूर्व की अवशेष रही राशि 12.71 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन करते हुए राशि 37.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर स्थित पंचकर्म सेन्टर को "Center of Excellence for Panchkarma (CEPK)" के रूप में विकसित किया गया है जिसमे पक्षाघात, आर्थराइटिस (जोड़ों का दर्द), सायटिका, सरवाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, मानसिक व्याधियों आदि की चिकित्सा हेतु विशेष सुविधाएं वातानुकूलित कॉटेज वार्ड के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

शिक्षा

- प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/ महिलाओं को प्रारम्भ से अन्त तक की राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा को मुफ्त करने की अनुपालना में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की छात्राओं/महिलाओं के प्रवेश के समय लिये जाने वाली **राजकीय निधि कोष की राशि माफ** की गई ।
- **78 नवीन राजकीय महाविद्यालय** प्रारम्भ किये गये।
- 9 महाविद्यालयों को राज्याधीन करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी।
- राज्य के 12 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी।
- वर्ष 2019 में 91 तथा वर्ष 2020 में 164 सहित कुल 255 नवीन निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति पत्र जारी किए गए।
- हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को पुन: प्रारंभ किया गया।
- महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति जारी।
- दिनांक 01.01.2019 के पश्चात् 230 सहायक आचार्यों को नियुक्ति प्रदान की गई एवं दिनांक 02 नवम्बर 2020 को सहायक आचार्यों के 918 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगिता दक्षता कक्षाएं नि:शुल्क आरंभ की गई है।
- महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित होकर एक अनिवार्य **आनंदम पाठ्यक्रम** आरम्भ किया गया। इस नवाचार का उद्देश्य विद्यार्थी वर्ग में समाज सेवा एवं परोपकार की भावना को विकसित करना है। सत्र 2020–21 में राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में **आनंदम पाठ्यक्रम** प्रारंभ।

- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई कठिनाइयों के मध्यनजर राजकीय महाविद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों हेतु राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों द्वारा उनके विषय के वीडियो व्याख्यान तैयार किये गये हैं जो कि **राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक** के तहत यू-टयूब चैनल, वाट्सऐप, गूगल ड्राईव इत्यादि द्वारा साझा किये जा रहे है साथ ही संकाय सदस्यों द्वारा विद्यार्थियों को इन्हीं मध्यमों से पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करवाये जा रहें हैं। वर्तमान में लगभग 1.27 लाख वीडियों व्याख्यान एवं लगभग 1.35 लाख नोट्स अपलोड किये जा चुके हैं।
- समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आई.आई.आई. (Industry Institute Interaction) सेल में स्टूडेन्ट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो चालू किये गये हैं।
- पॉलिटेक्निक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के लिए सत्र 2020-21 से सेमेस्टर आधारित नवीन पाठ्यक्रम समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में लागू किया गया है। इसमें उद्योगों के साथ इन्टर्नशिप को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है।
- आरटीयू, कोटा द्वारा बी.टेक., एम.टेक., एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. के पाठ्यक्रमों को वर्ष 2012 के बाद पहली बार रिवाइज किया गया।
- एम.सी.ए. कार्यक्रम की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई है।
- निदेशालय तकनीकी शिक्षा जोधपुर द्वारा पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी विषयों के लगभग 40 हजार **ई-लेक्चर्स** तैयार कराये गये हैं जिन्हें यू-टयूब चैनल्स के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा की सुविधा के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, केलवाड़ा, जिला बारां हेतु मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर सहरिया आदिवासी क्षेत्र में यह संस्था सत्र 2019-20 से प्रारम्भ की गई। 2020-21 से प्रवेश क्षमता दुगुनी कर दी गई है।
- राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)''** कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोले गए जिनमें 68,540 विद्यार्थी नामांकित हैं।
- इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में कक्षा 8 से 12 तक की 1208 बालिकाओं को 992.45 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** के माध्यम से राजकीय विद्यालयों एवं केजीबीवी में अध्ययनरत 29 लाख बालिकाएं आत्मरक्षा प्रशिक्षण/मार्शल आर्ट गतिविधि से लाभान्वित।
- नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अभिभावकों की आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गई।
- गत सरकार द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 1101 किया गया है। जिसके तहत वर्ष 2019-20 में 726 शिक्षकों को रुपये 58.17 लाख एवं वर्ष 2020-21 में 849 शिक्षकों को रुपये 64.88 लाख पुरस्कार के रूप में दिये गये।
- 39 नवीन प्राथमिक विद्यालय (5 संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों सहित) खोले जाने के आदेश जारी।
- 69 (6 संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों सहित) प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 478 (10 संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों सहित) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में तथा 405 (49 संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों सहित) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।
- 2916 विद्यालयों एवं 282 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किए गए।
- 35 मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण किया गया।
- 4 मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावास एवं 4 नवीन केजीबीवी का निर्माण किया गया।
- भारत में राजस्थान पहला राज्य है, जो शिक्षा के मनोविज्ञान आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्त्व देते हुए प्रत्येक शनिवार को **''नो बैग डे''** प्रारम्भ कर रहा है।
- प्रत्येक शनिवार सीखने की गतिविधि का थीम अलग-अलग होगा। पहला शनिवार - राजस्थान को पहचानना, दूसरा शनिवार - भाषा कौशल विकास, तीसरा शनिवार - खेलेगा राजस्थान, बढेगा राजस्थान, चौथा शनिवार - मैं भी हूं वैज्ञानिक, पांचवां शनिवार - बालसभा ''मेरे अपनो के साथ''।
- **ज्ञान संकल्प पोर्टल** पर Donate to a school में भामाशाह/दानदाताओं द्वारा किसी भी इच्छित विद्यालय के लिए दान दिया जा सकता है। जिसके तहत दानदाता आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल Donate to a school तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में ऑनलाईन कुल 11.60 करोड़ की राशि एकत्र हुई। 70.79 करोड़ की राशि के 203 प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया।
- शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को पुत्री के विवाह पर 11,000/- रुपये (सेवाकाल में एक बार) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 प्रकरणों में यह लाभ प्रदान किया जायेगा।

- सभी श्रेणी के शिक्षाकर्मियों के पुत्र या पुत्री जिन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित कक्षा Xth की परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें 11,000/- रुपये एकमुश्त छात्रवृति के रूप में प्रदान किये जाएंगे। यह लाभ 950 सैकण्डरी के छात्र/छात्राएँ एवं 50 छात्र/छात्राएँ वरिष्ठ उपाध्याय (संस्कृत शिक्षा) को देय है।
- प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढाने के लिए इसे राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 के पाठ्यक्रम में शामिल कर पाठ्य पुस्तकों में मुद्रित करवा दिया गया है।
- 104 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं 56 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किये गये।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान के पुनर्गठन पश्चात् समग्र शिक्षा अभियान के नये वेब पोर्टल का लोकार्पण करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।
- विद्यार्थियों की समस्या के निराकरण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर **राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसिलिंग सैल पोर्टल** प्रारम्भ किया गया है।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के अनुरूप वृक्षारोपण करवाया जाकर नव प्रवेशी विद्यार्थियों के नाम से **वृक्ष मित्र योजना** का शुभारम्भ किया गया। विद्यालयों में 21.91 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट e-कक्षा के माध्यम से समस्त विद्यालयों के लिए कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए **नि:शुल्क डिजिटल शिक्षा** देने की शुरूआत की है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 से 12 के सभी विषयों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो के रूप मे डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है। यह शिक्षण सामग्री एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन, आई.सी.टी. लैब, e-कक्षा का यू-टयूब चैनल एवं ''एप'' के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।
- इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश की 1 लाख 3 हजार स्कूलों में **ई-लाइब्रेरी** बनेगी। यह ई-लाइब्रेरी आगामी दो माह मे सभी स्कूलों तक पहुंच जाएगी ।
- **दीक्षा पोर्टल** पर कक्षा 01 से कक्षा 10 की समस्त पुस्तकों की सहायक पाठ्य सामग्री QR Code के माध्यम से उपलब्ध है।
- शाला दर्पण पोर्टल पर नागरिकों के सुझाव के लिए Citizen window तथा शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी कार्यो / परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए Staff window प्रारम्भ किये गये हैं।
- समस्त राजकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कोविड-19 संक्रमण पश्चात् सुरक्षा एवं बचाव, कोविड-19 हैल्प लाईन नम्बर, चाइल्ड हैल्प लाइन नम्बर को विद्यालय दीवार अंकन हेतु 336.33 लाख रुपये जारी किए गए।
- विभागीय पोर्टल शाला दर्पण पर विद्यार्थियों को विषय सम्बंधित शंकाओं के समाधान हेतु ऑनलाइन **''शाला संवाद''** की सुविधा विकसित कर प्रारंभ की गयी है। जिससे विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान सीधे विज्ञ शिक्षकों से प्राप्त कर सकता है।
- शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में सोमवार से शनिवार दूरदर्शन राजस्थान पर रोज सवा तीन घण्टे (12.00-2:00 बजे) एवं (3:00 से 4:15 बजे तक) सभी कक्षाओं के लिये प्रसारित किया गया। नवम्बर अंतिम सप्ताह से शिक्षा दर्शन पुन: प्रारम्भ किया जा रहा है।
- राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, बौंली, सवाई माधोपुर एवं दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया तथा 49 वरिष्ठ उपाध्याय, 10 प्रवेशिका, 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गए हैं तथा 5 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये हैं।
- संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा **''देववाणी एप''** का दिनांक 18.08.2020 को शुभारम्भ किया गया है। इस एप से 38000 शिक्षक एवं विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इससे संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो रही है।
- संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये **800 से अधिक ई-कन्टेन्ट्स** (पाठ्यसामग्री) तैयार कर यू-ट्यूब पर अपलोड किये जा चुके हैं।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतवर्ष के प्रमुख तकनीकी व शोध अनुसंधान संस्थानों (DST's, DBT's, CSIR's, IIT's, DAE's, ICAR's, IIMR's व अन्य) में वर्ष 2019-20 में 27 विद्यार्थियों को आठ सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया व वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण 76 विद्यार्थियों को ऑनलाईन माध्यम से भारतवर्ष के प्रमुख तकनीकी व शोध अनुसंधान संस्थानों में ई-ईन्टर्नशिप करने का अवसर दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा

- विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी एवं वृद्धावस्था **पेंशन में रुपये 250 रुपये की प्रतिमाह बढ़ोतरी** की गई।
- **पालनहार योजनान्तर्गत** ऐसे वयस्क जो अपने अनाथ सगे भाई/बहन के भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है, वह वयस्क अपने सगे भाई/बहन हेतु पालनहार होगा। उक्त संशोधन दिनांक 3.07.2019 से लागू किया गया है।
- पालनहार आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया, जिसके

अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक के प्रकरण में आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवास की बाध्यता दिनांक 18.03.2019 से समाप्त की गई।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न छात्रावासों में प्रवेश हेतु वार्षिक आय की सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आवासरत छात्र/छात्राओं के पुन: प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता के स्थान पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता की गयी।
- जयपुर जिला मुख्यालय को भिक्षावर्ती मुक्त किये जाने हेतु पुनर्वास गृह का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- सहयोग योजना अंतर्गत बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 44.24 करोड़ रुपये व्यय कर 13,148 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के नियम 5 में आवश्यक संशोधन प्रतिस्थापन कर स्वत: **सत्यापन स्वीकृति की व्यवस्था** लागू की गई है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु दो माह की अवधि का निर्धारण (माह नवम्बर से माह दिसम्बर) किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के द्वारा पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध RAJSSP पोर्टल पर ऑनलाइन अपील संबंधित जिला कलक्टर को किए जाने एवं जिला कलक्टर द्वारा अपील पर 15 दिवस में निर्णय किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 के नियम 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत देय राहत राशि के प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट को CCTNS से विभागीय Financial Assistance for SC/ST Atrocity Prevention वेबपोर्टल को दिनांक 01.03.2020 से इंटीग्रेटेड किया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप अधिनियम अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वत: ही विभागीय वेबपोर्टल पर प्रदर्शित हो जाती है।
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न सरलीकरण/संशोधन किये गये हैं। सरलीकरण से विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु आवेदन करने एवं भुगतान प्राप्त करने में आसानी हुई है, जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन 21 दिवस में एवं स्वीकृतकर्ता स्तर पर 21 दिवस में आवेदन निस्तारित करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन स्वत: अग्रेषित होकर स्वीकृत हो जाता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के राजकीय छात्रावासों, राजकीय भिक्षावृति पुनर्वास गृहों, राजकीय वृद्धाश्रमों में प्रति आवासी मैस भत्ते की राशि बढाकर 2500 रुपये की गई।
- दिनांक 18.12.2019 को **''राजस्थान जन–आधार योजना, 2019''** का शुभारम्भ किया गया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन तथा कार्यकारिणी समिति के गठन से संबंधी अधिसूचना दिनांक 07.05.2020 को प्रकाशित की जा चुकी है।
- दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में चयनित परिवारों के 100 लाख से अधिक **जन–आधार कार्ड** मुद्रित किये जा चुके है तथा 80 लाख से अधिक जन आधार कार्ड लाभार्थी परिवारों को वितरित किये जा चुके हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि 114 योजनाओं/सेवाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतु **जन आधार प्लेटफार्म** से जोड़ा जा चुका है।
- भारत सरकार (UIDAI) के परिपत्र दिनांक 09.05.2020 के द्वारा **जन आधार कार्ड को** परिवार एवं उसके सदस्यों की **पहचान** (Proof of Identity) तथा **पते** (Proof of Address) के **दस्तावेज के रूप में मान्यता** प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।
- स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह एवं चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढाक़र 5 हजार रुपये प्रतिमाह की गई।
- राजस्थान राज्य के बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों के पूर्व अध्यक्षगण (जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था) को पूर्व विधायकगण की भांति राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में माह विशेष में केवल 5 दिवस तथा राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में माह विशेष में केवल 3 दिवस तक राजकीय केटेगरी अ–।।। (ग्रुप–सी) की दर पर आवास एवं भोजनादि की सुविधा प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को उनके एक सहयोगी अथवा एक परिवारजन के साथ यात्रा करने पर एक बार में 3 दिवस तथा माह विशेष में 5 दिवस तक राजस्थान स्थित समस्त सर्किट हाउसेज एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ग्रुप–ए/राजकीय केटेगरी (अ)(।) की दर पर आवास/भोजनादि की सुविधा प्रदान की गई।
- राजस्थान के मूल निवासियों को गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय

रोग, अल्जाईमर, किडनी/लीवर प्रत्यारोपण) से पीड़ित व्यक्तियों को राजस्थान भवन, वाशी-नवीं मुम्बई में आवास/भोजनादि की सुविधा प्रदान की गई।

- राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय धर्मशालाओं में राज्य के बी.पी.एल कार्ड धारकों को धार्मिक यात्राओं/तीर्थाटनों के दौरान नि:शुल्क ठहरवाने की व्यवस्था की गई है।
- 4.40 लाख निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन किया गया तथा 2.86 लाख हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री सहायता कोष

- मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये तथा मृत्यु पर आश्रितों को सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष से राजकीय अस्पतालों में इलाज की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये एवं निजी अस्पतालों में 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये की गई। चिकित्सा सुविधा के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई।
- बीपीएल सहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आयु 18 वर्ष होने तक **कॉकलियर इम्प्लांट** के रख-रखाव पर होने वाले वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये की सीमा तक सहायता प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिये जाने के दिशा-निर्देश जारी।

दिव्यांग कल्याण

- राज्य में सिलिकोसिस पीडित एवं उनके परिवारजनों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए दिनांक 03.10.2019 को **राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019** लागू की गयी।
- सिलिकोसिस नीति, 2019 के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय विशेष योग्यजन को नोडल बनाया गया है।
- सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति व परिवार को दी जाने वाली सहायता।
  - पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए राशि 3 लाख रुपये की सहायता।
  - पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को राशि 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
  - मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन की पात्रता के अनुरूप पेंशन।
  - पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ।
  - मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये तक की सहायतां।
  - परिवार के सदस्यों को विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आस्था योजना (बी.पी.एल. के समान लाभ) के अंतर्गत लाभ।
- विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों हेतु 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान किये गये।
- विशेष योग्यजनों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी दिये जाने हेतु कॉल सेंटर का संचालन दिनांक 26.8.2019 से प्रारम्भ किया गया। जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 है।
- आस्था कार्ड योजना को ऑनलाईन किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित 6 मुख्य योजनाओं में दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2020 तक 15.13 करोड़ रुपये व्यय कर 10096 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।
- 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' के अन्तर्गत प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियो के लिए सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 हजार रुपये) की गई।
- सरकारी कार्मिकों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण नोएडा डेफ सोसाइटी के माध्यम से 20-20 के दो बैच में पूर्ण किया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

- 1.18 लाख सहरिया व्यक्तियों, 9066 खैरवा जाति के व्यक्तियों एवं 3253 कथोडी व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति युनिट 500 ग्राम दाल, 500 मि.ली. तेल व 250 मि.ली. देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 5 **नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** आम्बापुरा-जिला बांसवाड़ा, गोगुन्दा एवं सराड़ा -जिला उदयपुर, पीपलखूंट-जिला प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर-जिला डूंगरपुर में प्रारंभ कर दिये गये है।
- दो **नवीन आश्रम छात्रावास** बालिका राजसमन्द - जिला राजसमन्द तथा बालक खजुरा, कुशलगढ़ - जिला बांसवाड़ा

प्रारंभ किये गये।

- जनजाति क्षेत्र में **सामुदायिक जलोत्थान परियोजना** के माध्यम से 49 सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें से 16 कार्य पूर्ण किये गये। शेष प्रगतिरत।
- **वनाधिकार अधिनियम** के अंतर्गत दावों के त्वरित निस्तारण हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर आवेदन आमंत्रित कर निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
- 31,342 जनजाति छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में अध्ययन करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- 2,987 जनजाति छात्रों को बोर्ड व विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने से प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
- 518 जनजाति विद्यार्थियों को पी.एम.टी./पी.ई.टी/आई.आई.टी में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान कर लाभान्वित किया गया।
- सहरिया क्षेत्र के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के 27,105 विद्यार्थियों को पोशाक, पुस्तकें व स्टेशनरी प्रदान कर लाभान्वित किया गया।
- विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक मामलात तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय और बेहतर मॉनिटरिंग के लिये दिनांक 21.01.2020 के द्वारा राज्यस्तरीय समिति के गठन के आदेश प्रसारित किये गये।
- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा 381 लाभार्थियों को 483.68 लाख रूपये का **व्यावसायिक ऋण** उपलब्ध कराया गया। 268 विद्यार्थियों को 354.50 लाख रुपये का **शिक्षा ऋण** उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।
- **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना** में 48 मदरसों में विनिर्माण कार्यों हेतु राशि 776.95 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी इनमें से 40 मदरसों की राशि 321.86 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी।
- **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना** अन्तर्गत 51,949 विद्यार्थियों को 38.72 करोड़ रुपये की छात्रवृति वितरित की गई।
- **मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना** अन्तर्गत 6749 विद्यार्थियों को 18.54 करोड़ रुपये की छात्रवृति वितरित कर लाभान्वित किया गया।
- **अनुप्रति योजना** (राज्य प्रवर्तित) अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहे 64 अभ्यर्थियों को 17.48 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित कर लाभान्वित किया गया है।
- **कौशल विकास प्रशिक्षण** योजनान्तर्गत 209.15 लाख रुपये व्यय कर 1160 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **राज्य मदरसा बोर्ड** को अधिक स्वायत्त बनाने के लिये राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक-2020 विधानसभा के 15वें सत्र में पारित किया गया तथा 23.09.2020 को अधिसूचना जारी की गई।
- राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 दिनांक 06.10.2020 को अधिसूचित किया गया है।
- **मदरसों में आधुनिक शिक्षा** प्रदान करने हेतु 260 मदरसों में स्मार्ट बोर्ड एवं 448 कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तथा इनके उपयोग हेतु मदरसा शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में 1 अप्रेल, 2020 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- अल्पसख्यंक समुदाय के लोगों को व्यवसायिक एवं शैक्षणिक ऋण की सुविधा का सरलीकरण कर राज्य स्तर पर **''एकीकृत ऋण स्वीकृति''** प्रक्रिया आरम्भ की गई।
- 18,950 वक्फ सम्पत्तियों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लगभग 5500 वक्फ सम्पत्तियों की जी.आई.एस./जी.पी.एस. मैपिंग की जा चुकी हैं तथा 3669 वक्फ सम्पत्तियों का डाटा WAMSI पोर्टल पर अपलोड किया ज ा चुका है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजनान्तर्गत 135.04 करोड़ रुपये के 353 कार्य यथा महाविद्यालय भवन, छात्रावास भवन निर्माण अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, लाईब्रेरी कक्ष, कॉमन सर्विस सेन्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आवासीय विद्यालय भवन निर्माण आदि स्वीकृत किये गये। निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 28.21 करोड़ रुपये कार्यकारी एजेन्सीज को हस्तान्तरित किए गए।
- हज यात्रा 2019 में कुल 6,786 व्यक्तियों को **हज यात्रा** कराई गई।

सैनिक कल्याण

- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.2.2019 एवं इसके पश्चात् सैनिक बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों/स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों के कल्याणार्थ जारी पूर्व

में जारी **कारगिल पैकेज** में देय राशि 25 लाख रुपये को बढ़ोर 50 लाख रुपये किया गया।

- द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक जिनको किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे सैनिकों/सैनिकों विधवा की मासिक पेंशन राशि को 4,000 रुपये से बढाकर 10,000 रुपये किया गया।
- शौर्य पदक विजेता और शहीद के आश्रितों को भूमि आवंटन के संबंध में समान व्यवस्था लागू करते हुए दिनांक 01.08.2019 से 25 बीघा भूमि या भूमि की ऐवज में 25 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया। पूर्व में शौर्य पदक विजेताओं को भूमि के बदले 4 लाख रुपये दिये जाते थे।
- देश के लिए शहीद होने वाले सैनिको के सम्मान में उनके आश्रित पत्नी, पुत्र ,पुत्री, माता या पिता के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा आंवटित/हस्तान्तरित आवासीय भूखण्ड /भवन के दस्तावेज पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क में सम्पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 01.04.1999 से पूर्व के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को प्रदान की जा रही सम्मान भत्ता राशि को जुलाई, 2019 से रुपये 1,500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 3,000/- प्रतिमाह किया गया।
- परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के द्वारा **भूतपूर्व सैनिकों को दोहरे आरक्षण का लाभ** दिया गया है अर्थात् सीधी भर्ती के ऐसे पदों पर जहां निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजन होने के कारण ऐसे सैनिकों का आरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होगा।
- शौर्य पदक धारकों को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है।
- सी.डी.एस./एन.डी.ए./आई.एम.ए./ओटीए/एयरफोर्स/नेवल एकेडमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को 15,000 रुपये की एक मुश्त कोचिंग अनुदान।
- व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु पूर्व सैनिकों के बच्चों को 15,000 रूपये की छात्रवृत्ति के आदेश जारी।
- पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी 2 कन्याओं के विवाह हेतु 25,000 रुपये प्रत्येक के लिए आर्थिक सहायता।

पेयजल

- घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं के बिलों पर देय पेयजल शुल्क में संशोधन कर चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों पर प्रतिमाह 15,000 लीटर तक जल उपभोग करने पर पेयजल **शुल्क में शत-प्रतिशत छूट** प्रदान की है।
- परियोजनाओं से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में डी.डी.पी. ब्लॉक में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं शेष योजनाओं में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक के उपभोग पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। अन्य ग्रामीण जल योजनाओं में भी जल उपभोग पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।
- इस छूट से शहरी क्षेत्र के 56 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 280 लाख आबादी को सीधा लाभ मिला है।
- गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभान्वित करने के लिए 813 आर.ओ. प्लान्ट स्थापित किये गये है।
- 922 सौर ऊर्जा आधारित **डी-लोरिडेशन यूनिट** स्थापित किये गये।
- 5339 नये नलकूप लगाकर चालू किये गये है। 11,317 **नये हैण्डपम्प** लगाकर चालू किये गये है। 4.63 लाख खराब पाए गये हैण्डपम्पों को सुधार कर पुन: चालू किया गया है।
- **वृहद पेयजल परियोजनाओं** के माध्यम से सतही जल स्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 14 शहरों को आंशिक, 2544 ग्राम एवं 2497 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में **9 वृहद पेयजल परियोजनाओं** (इन्द्रगढ़-चाकन पेयजल परियोजना जिला बूंदी, चम्बल-बून्दी कलस्टर परियोजना (विस्तार चम्बल-भीलवाडा परियोजना), बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना जिला कोटा, अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन का कार्य, जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना (खोनागोरियन), बांसवाडा-प्रतापगढ़ की 344 ग्रामों की पेयजल परियोजना, राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला झालावाड़ एवं पांचला घेवरा चिराई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना जिला जोधपुर) **के कार्य पूर्ण** किये जाकर लाभार्थी क्षेत्र को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया है।
- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) द्वारा 16 वृहद पेयजल परियोजनाओं के निर्माण तथा 27 वृहद पेयजल परियोजनाओं की डी.पी. आर. (DPR) बनाने की स्वीकृति दी गयी है। इनके माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जल कनेक्शन प्रदान किये जा सकेगें।
- जयपुर शहर की बढ़ी हुई पेयजल मांग एवं आगामी दिनों में बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दीर्घकालीन प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये, जो अभी लम्बित है, किन्तु पेयजल की बढी हुई मांग के मध्यनजर सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए **बीसलपुर परियोजना स्टेज-2 फेज-I लागत** रुपये 288.90 करोड़ की स्वीकृत की, जिससे जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों को 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा।

परियोजना के कार्य हेतु कार्यादेश रुपये 173.16 करोड़ का दिनांक 12.03.2020 को दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है एवं दिनांक 14.10.2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

- जयपुर में **पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लिए** रुपये 563.93 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत किया है। इस योजना से 175 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित होगा एवं पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों को अक्टूबर, 2022 तक घर-घर पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के कार्य हेतु कार्यादेश रुपये 295.51 करोड़ का दिनांक 12.03.2020 को दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक राशि रुपये 8261 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिससे 555 एकल परियोजनाएं, 15 पूर्ण/प्रगतिशील बृहद एवं 1 नवीन परियोजना शामिल है। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 11.56 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
- घर-घर मे जल सम्बन्ध देने हेतु विभागीय नीति में परिवर्तन किया है इससे पूर्व केवल 4000 से अधिक जन संख्या वाले ग्रामों में जल सम्बन्ध देने का प्रावधान था, इस सीमा को समाप्त कर नई नीति के अनुसार प्रत्येक घर को जल सम्बन्ध दिया जा रहा है।

सड़क

- नाबार्ड आरआईडीएफ-25 में 699 कार्यों की 2252 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किये जाने के लिए 383 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी एवं कार्य प्रारम्भ। नाबार्ड आरआईडीएफ-26 में 602 कार्यों की 2243 किलोमीटर लम्बाई के लिए 404 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5883 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों को उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण करने का कार्य पूर्ण किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज तृतीय प्रथम चरण उन्नयन में 237 कार्यो के लिये 2198 किलोमीटर लम्बाई में लागत 1139 करोड़ रुपये प्राप्त। द्वितीय चरण उन्नयन में 374 कार्यों के लिये 3623 किलोमीटर लम्बाई में एवं 6 पुल हेतु 1937 करोड़ रुपये प्राप्त।
- विभिन्न मार्गो पर 25 आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर। 3 आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण। 13 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण व 19 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों के विकास पर 10,579 करोड़ रुपये का व्यय कर 24,100 किलामीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
  - 1650 करोड़ रुपये व्यय कर 3923 कि.मी. में **नवीन सड़कों का निर्माण।**
  - 2158 करोड़ रुपये व्यय कर 592 कि.मी. में **राष्ट्रीय राज मार्गो का विकास** किया गया।
  - 3356 करोड़ रुपये व्यय कर 3022 कि.मी. में **रा. रा. मार्गो व मुख्य जिला सड़कों का विकास** किया गया।
  - 3415 करोड़ रुपये व्यय कर 16,563 कि.मी. में **ग्रामीण सड़कों का विकास** किया गया।
- 2011 की जनगणनानुसार 500 व अधिक आबादी के 330 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिये 393 करोड़ रुपये लागत के कार्य प्रगति पर है।
- प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में 174 किलोमीटर लम्बाई में वाल टू वाल सीमेन्ट ब्लॉक्स के **विकास पथ** का निर्माण करने के लिए 143.53 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।
- माह दिसम्बर, 2020 से सार्वजनिक निर्माण विभाग में संवेदकों का ई-पंजीयन आरम्भ किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेशभर में संवेदक बिना कार्यालय में उपस्थित हुए ऑनलाईन पंजीयन करवा सकेगे। वर्तमान में GIS based work flow management system **(GWMS)** के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

ऊर्जा

- 18 दिसम्बर, 2019 को **नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति** जारी की गई।
- आगामी 3 वर्षो में 4 हजार 885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा व 1 हजार 426 मेगावाट क्षमता की **पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना** हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर सौर ऊर्जा क्षमता को विकसित करने हेतु 2500 मेगावाट क्षमता का आंवटन।
- छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की छठी इकाई एवं **सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना** की 660 मेगावाट की इकाई 7 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू।
- **सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना** की 660 मेगावाट की इकाई 8 से विद्युत उत्पादन मार्च, 2021 से प्रारम्भ करने का लक्ष्य।
- दिसम्बर, 2018 से अब तक 1497 मेगावॉट सहित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21,836 मेगावॉट हो गई है।

- दिसम्बर 2018 से **1963 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 27 मेगावॉट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित** किये गये हैं।
- दिसम्बर 2018 से **286 मेगावॉट सोलर रूफटॉप स्थापित** किये गये हैं।
- 400 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, 220 केवी के तीन ग्रिड सब-स्टेशन, 132 केवी के 19 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 387 सब-स्टेशन स्थापित।
- ग्रामीण क्षेत्र में 9.50 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 2.20 लाख घरेलू कनैक्शन जारी।
- **765 केवी ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर** में स्थापित किये जाने हेतु 2,741 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत।

वन

- 20,952 हैक्टेयर क्षेत्र में **वृक्षारोपण** का कार्य एवं 1.22 करोड़ पौधो का वितरण आमजन को किया गया।
- 550वीं गुरूनानक जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य के पांच सिख बाहुल्य जिले यथा हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में **वृक्ष वाटिका** की स्थापना की गई ।
- राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु सम (जैसलमेर) में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ किया गया। अब तक गोडावण पक्षी के 16 चूजे पैदा हो चुके हैं।
- राजस्थान सरकार के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा **राज्य कैम्पा फण्ड** में राशि 1748 करोड़ रूपये प्रदान की गयी। वर्ष 2020-21 में कैम्पा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के चयनित 22 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत दिनांक 21.09.2020 तक 4.41 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये गये। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 1.21 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया।
- National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) के तहत नाबार्ड से प्राप्त ग्रान्ट से बाड़मेर जिले में 1195 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल व मृदा संरक्षण कार्यों हेतु राशि 76.91 करोड़ के प्रस्ताव भारत द्वारा स्वीकृत किये गये।
- सरिस्का व मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्वस में **विशेष बाघ संरक्षण बल** (STPF) की स्थापना बॉर्डर होमगार्ड लगाकर की गई है।

पत्रकार कल्याण

- **राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना** मार्च 2020 से आरम्भ की गई। इसके तहत मार्च, 2020 से नवम्बर, 2020 तक राज्य के 210 वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को 71.80 लाख रुपये सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। मासिक सम्मान राशि 5,000 रुपए से बढाकर 10,000 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया।
- 18 दिसम्बर, 2018 से 04 दिसम्बर, 2020 तक 155 अस्थाई अधिस्वीकरण कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा 1360 अधिस्वीकृत पत्रकारों के डिजीटल कार्डों का एवं 216 अस्थाई अधिस्वीकरण कार्डों का नवीनीकरण किया गया।
- पत्रकार व उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री एवं माता-पिता को अब 6 गम्भीर बीमारियों के स्थान पर सभी गम्भीर बीमारियों के लिए वर्तमान में देय एक लाख रुपये की **आर्थिक सहायता राशि** में वृद्धि कर 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- राज्य के 805 अधिस्वीकृत पत्रकारों को उनके व उनके आश्रितों के इलाज के लिए दवाइयां क्रय करने के लिए मेडिकल डायरी की सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा दी जायेगी।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वातानुकूलित एवं वॉल्वो बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त है। इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख रुपये की राशि व्यय होती है।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों को 3 लाख रुपये की कैश लैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी जारी की जा रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा लघु समाचार पत्रों के विज्ञापनों को दोगुना कर दिया गया है। पूर्व में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व अन्य अनुमोदित प्रकाशन को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर एक-एक सजावटी विज्ञापन जारी किये जाते थे। वर्तमान सरकार द्वारा उक्त तीन दिवस के साथ-साथ और तीन अवसर राजस्थान दिवस (30 मार्च), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) एवं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस (20 अगस्त) सम्मिलित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत अन्त्योदय के 28 लाख, बीपीएल के 1.17 करोड़ एवं स्टेट बीपीएल के 29 लाख, कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को मार्च, 2019 से **1/- रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं** उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- मृतक डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किए जाने में विभिन्न प्रकार की शिथिलता देते

हुए परिपत्र दिनांक 29.11.2019 जारी किया गया।

- **वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में** आधार सीडिंग का कार्य ई-मित्र के माध्यम से कराया जा रहा है। 37 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दिनांक 01.11.2020 से विशेष अभियान के तहत जोडा गया। अब तक 4.04 करोड लाभार्थियों की आधार सीडिंग हो चुकी है।
- उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 22 मई, 2020 को आदेश जारी किए गए।

उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

- देश में पहली बार एमएसएमई उद्योगों को राज्य में बिना किसी प्रशासनिक बाधा के स्थापना एवं क्रियान्वयन का वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **एमएसएमई (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019** लागू किया गया। अधिनियम के तहत अब किसी भी एमएसएमई इकाई को राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग से 3 वर्ष तक कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज उद्योग मित्र पोर्टल पर दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक 7979 आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें **प्राप्ति का प्रमाण पत्र** जारी किये जा चुके है।
- प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंको के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** प्रारंभ की गई है।

  योजनान्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये रहेगी। योजनान्तर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8%, 5 करोड रुपये तक के ऋण पर 6%, 10 करोड रुपये तक के ऋण पर 5%, तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। योजनान्तर्गत 3336 आवेदकों को ऋण वितरण किया गया।
- राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से **राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019** दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई।
- राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019** दिनांक 17.12.2019 से प्रभावी की गई है जिसमें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षो के लिए एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी व मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। योजनान्तर्गत नवम्बर, 2020 तक 2176 प्रकरणों में स्टाम्प डयूटी व भूमि रूपान्तरण से सम्बन्धित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये।
- सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को सुदृढ़ बनाने एवं निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने तथा त्वरित स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियां एक ही स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम-2011'** में संशोधन करते हुये **''वनस्टॉप शॉप''** प्रणाली की स्थापना बी.आई.पी में की जा रही है। इसके अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक **''बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट''** का गठन किया गया है, जो निवेश प्रस्तावों से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/ अनुमतियों हेतु मंत्रिपरिषद के स्थान पर निर्णय प्रदान करेगा।
- संबंधित विभागों के अधिकारियों की सेवाओं को बी.आई.पी. में पार्ट टाइम बेसिस पर प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव की ओर से दिनांक 01.12.2020 को आदेश जारी किया जा चुका है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् विभागों के साथ समन्वय कर 14 विभागो के द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के लिये शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित कार्य पूर्ण किया जायेगा।
- **राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्** की स्थापना हेतु अधिसूचना दिनांक 08.11.2019 को जारी की गई। राज्य में स्थित विभिन्न उद्यमों द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, वस्त्र, जैम्स एण्ड ज्वैलरी, लघु खाद्योत्पाद तैयार किये जाते हैं किन्तु उनकी जानकारी एवं पंजीयन के अभाव में निर्यात करने का मार्ग सुलभ नहीं हो पाता था। इसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादों का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता था। **राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्** की स्थापना के पश्चात् सभी प्रकार के निर्यातक अपना पंजीयन इसमें करा सकेंगे एवं इसके माध्यम से ही सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्राप्त कर निर्यात कर सकेंगे।
- राज्य में उद्यमों के विभिन्न विभागों से संबंधित विवादों को त्वरित गति से सुलझाने के लिए **द्वि-स्तरीय डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मेकेनिज्म 11.07.2019** को बना दिया गया है। इस मेकेनिज्म के तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उद्यमों के विवादों का निस्तारण किया जा रहा है।
- राज्य में CSR फंड के सदुपयोग हेतु **राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण** का गठन किया गया है।
- माह दिसम्बर, 2018 से 20 नवम्बर, 2020 तक लगभग रुपये

8,888 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 11748 के प्रस्तावित रोजगार सृजन के 27 निवेश प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं।

- **एकल खिड़की व्यवस्था** के तहत दिसम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2020 तक 15497 आवेदनों (प्रस्तावित निवेश रुपये 18,770 करोड़) के लिये अनुमति जारी की गई।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य की MSME को बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2020 से Intellectual Property Facilitation Centre प्रारम्भ किया गया है।
- रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले **नये औद्योगिक क्षेत्र** जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं जिनकी भूखण्ड आवंटन की दर निर्धारित की जा चुकी है, परन्तु आवंटन हेतु खोले नहीं गये हैं एवं भविष्य में स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दरों को तर्क संगत बनाने हेतु जनवरी 2020 में नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की आरक्षित दरें 20-25 प्रतिशत तक कम हो सकेंगी।
- रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पारदर्शी तरीके से आवंटन हेतु भूखण्डों का आवंटन **ई-नीलामी** की प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है।
- रीको द्वारा माह जुलाई, 2020 में **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा** देने हेतु समर्पित औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र 50 हैक्टेयर से छोटी एवं 10 हैक्टेयर से बडी भूमि पर विकसित किए जाएगें एवं इन औद्योगिक क्षेत्रों में 250-700 वर्गमीटर के छोटे भूखण्ड आवंटन हेतु नियोजित किये जायेगें। उक्त नीति के अन्तर्गत तीन एम.एस.ई. औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि रघुनाथपुरा (अजमेर), उनियारा (टोंक), एवं बड़गांव (सिरोही) में विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- रीको द्वारा माह जुलाई, 2020 में बच्चों के देखभाल की सुविधा हेतु **क्रेच (पालना-घर) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन** का नीतिगत निर्णय किया गया है। उक्त नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार को 1 रुपये टोकन लीज राशि पर भूमि आवंटित की जायेगी। साथ ही स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) जिसमें क्रेच की सुविधा चाहने वाले स्थानीय उद्यमी सदस्य होंगे, को भी नियमानुसार भूमि आवंटन औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर पर किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।
- रीको के द्वारा दिनांक 01.08.2020 के पश्चात् भूखण्डों की नीलामी में आवंटित भूखण्डों की 75 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए वर्तमान में 3 या 7 किश्तों के स्थान पर 11 किश्तों की सुविधा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की गई है।
- ऑनलाइन स्वत: नामान्तरकरण सुविधा के तहत बनाये गए सॉफ्टवेयर का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15.10.2020 को उद्घाटन किया गया। प्रथम चरण में जयपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालयों में यह सुविधा शुरू की गयी है।
- राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा नवीन एवं अनुभवजन्य पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाए जाने के उद्देश्य से अधिसूचना दिनांक 09 सितम्बर, 2020 के द्वारा **'राजस्थान पर्यटन नीति, 2020'** को राज्य में लागू किया गया है।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पर्यटन सेक्टर को Thrust Sector घोषित कर पर्यटन क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक लाभ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन सेक्टर की Enterprises को सम्परिवर्तन शुल्क तथा विकास शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
- दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2019 तक कुल निवेश राशि रुपये 4731.85 करोड़ के **312 पर्यटन इकाइयों के प्रोजेक्ट अनुमोदित** किये गये।
- राज्य सरकार एवं एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम एचआरआरएल की 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की **राजस्थान रिफायनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना-** पचपदरा, जिला बाडमेर के कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2020 को मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति का गठन किया गया।
- राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु रुपये 17275 करोड़ के 123 क्रयादेश (परचेज ऑर्डर) जारी किये गये एवं रुपये 4204 करोड़ का व्यय किया गया।
- वर्ष 2019-20 में **प्रधान खनिज** के 11 ब्लॉक्स क्षेत्रफल 585 हैक्टेयर की ई-नीलामी की गई जिनमें से 2 ब्लॉक में उच्चतम बोली प्राप्त हुई तथा **अप्रधान खनिज** के 160 प्लॉट्स की सफल ई-नीलामी की गई। वर्ष 2020-21 में प्रधान खनिज लाईमस्टोन के 3 ब्लॉक क्षेत्रफल 1244 हैक्टेयर ई-नीलामी प्रक्रिया में है। इसी प्रकार अप्रधान खनिज के 475 प्लॉट क्षेत्रफल 853 हैक्टेयर ई-नीलामी हेतु उपलब्ध है।
- खनिज अन्वेषण को गति देने के लिये State Mining Exploration Trust (राज्य खनिज अन्वेषण न्यास) के गठन की अधिसूचना दिनांक 15.09.2020 को जारी।

आपदा प्रबंधन

- बाढ़ नियंत्रण व बचाव कार्य के उपकरण हेतु जल संसाधन विभाग को 7.61 करोड़ रुपये, जंगलों में लगने वाली आग के नियंत्रण

हेतु वन विभाग को 2.67 करोड़ रुपये एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के क्षमता संवर्धन हेतु 9.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर राशि हस्तांतरित की गई।

- वर्ष 2019 में बाढ़ से विभिन्न विभागों की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 7170 कार्य स्वीकृत कर 178.55 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। वर्ष 2020 में 4240 कार्य स्वीकृत कर 77.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

विधि एवं विधिक कार्य

- विधि (राजकीय वादकरण) विभाग द्वारा **राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष** अधिनियम, 1987 (संशोधित अधिनियम 2020) राजस्थान विधानसभा से दिनांक 07.03.2020 को पारित करवाया गया।
- राज्य में 1 विशिष्ठ न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की स्थापना की गई।
- 6 विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) की स्थापना की गई।
- 6 पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई।
- 13 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की गई।
- 11 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।
- 5 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।
- 4 विशिष्ठ न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालयों की स्थापना की गई।
- 1 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया गया।
- जिला एवं सेंशन न्यायाधीश जयपुर महानगर, द्वितीय की स्थापना की गई। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय की स्थापना की गई।
- 2 पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। 1 पॉक्सो न्यायालय की स्थापना की गई। 7 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की गई।
- 5 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।
- 7 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की गई।
- 12 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना की गई। 6 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई।
- 10 विशिष्ठ न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालयों की स्थापना की गई।
- 2 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया गया।
- प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर 332 **विधिक सेवा क्लिनिक** स्थापित किये गये जो One Stop Centre के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगें। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित महिला सहायता समूह से कनेक्ट होगें।

स्वायत्त शासन

- प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से दिनांक 20.08.2020 को **''इन्दिरा रसोई योजना''** का शुभारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत आमजन को 8 रूपये प्रति थाली में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है व राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 96.85 लाख व्यक्ति लाभान्वित।
- निकायों के वार्डों का डीलिमिटेशन व निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र/राजस्व ग्राम को चतुर्थ श्रेणी की 17 नगरपालिकाएं दिनांक 19.06.2020 को घोषित की गई:- **बस्सी (जयपुर), पावटा (जयपुर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), बानसूर (अलवर), मण्ड़ावरी (दौसा), भोपालगढ़ (जोधपुर), जावाल (सिरोही), सीकरी (भरतपुर), उच्चैन (भरतपुर), सरमथुरा (धौलपुर), बसेडी (धौलपुर), सपोटरा (करौली), सुल्तानपुर (कोटा), अटरू (बारां), लालगढ़-जाटान (श्रीगंगानगर), बामनवास (सवाईमाधोपुर)।**
- राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 में संशोधन करते हुये राज्य के पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को रिहायशी कॉलोनी में भूखण्ड आवंटन हेतु आरक्षण का प्रावधान करने के लिये गजट में अधिसूचना जारी की गई।
- अस्थायी रूप से रह रहे गाडिया लौहारों को 50 वर्गगज भूमि नि:शुल्क आवंटन के अधिकार निकाय स्तर पर प्रदान किये गये। घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु को 81 तथा गाडिया लौहारों को 642 पटटे जारी किये गये।
- विधानसभा भवन में एक **आधुनिक डिजिटल म्यूजियम** का

निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे महापुरुषों के योगदान सहित प्रदेश के राजनैतिक आख्यान को भी प्रदर्शित करेगा। करीब 21,000 वर्ग फीट में बनने वाला यह म्यूजियम राजस्थान विधानसभा के प्रथम व द्वितीय तल में प्रदर्शित होगा।

- नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को समाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी, 2019 को जारी की गई।
- राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जन साधारण का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने की दृष्टि से सभी **नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या का पुन:निर्धारण** किया गया है। जिससे समस्त नगरीय निकायो में वॉर्डो की संख्या में वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 3 बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि, बढ़ते कार्यभार एवं हैरिटेज महत्त्व को देखते हुये अधिसूचना दिनांक 18.10.2019 द्वारा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 2-2 नगर निगम नवगठित किये गये।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा समस्त नगर निकायों को कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि रुपये 1897.41 करोड़ एवं ढांचागत विकास/निर्माण व अन्य कार्यो हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बेसिक अनुदान राशि रुपये 430.70 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बेसिक अनुदान राशि रुपये 1083.13 करोड़ व परफोरमेंस अनुदान राशि रुपये 200.30 करोड़ का नगरीय निकायों को आवंटन किया गया।
- वर्ष 2020-21 में चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि रुपये 1564.89 करोड़, पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बेसिक अनुदान राशि रुपये 778.75 करोड एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत रुपये 929.50 करोड़ का नगरीय निकायों को आवंटन किया गया।
- 29 शहरों मे सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज व ग्रीन स्पेस घटक पर 1798 करोड़ के व्यय किये गये।
- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2018 से अब तक कुल 4545 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 4212 समूहों को रिवॉल्विंग फंड जारी करवाया गया, जिसमें से 1812 स्वयं सहायता समूहों को स्व-रोजगार हेतु अनुदानित ब्याज दर पर बैंक ऋण प्रदान किया गया। स्वरोजगार हेतु 3425 व्यक्तियों को अनुदानित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **पीएम स्वनिधि** के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं, रेहडी, ठेले वाले, रिक्शा वाले, पान वाले एवं फुटकर व्यवसाइयों को उनके व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत अनुदानित ब्याज दर पर 10,000 रुपये का ऋण बैंको के माध्यम से स्वीकृत कराया जा रहा है। वर्तमान में 32,104 पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 15,882 को रुपये 15.88 करोड़ राशि के ऋण वितरित किये गये।
- स्ट्रीट वेंडर्स के पक्ष में प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत मंजूर 10,000 रुपये तक के स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
- **आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण** 6 शहरों सिरोही (213.92 करोड़), आबू रोड़ (263.98 करोड़), फतेहपुर (114.90 करोड़), रतनगढ़ (182.44 करोड़), लक्ष्मणगढ़ (47.45 करोड़) एवं सरदारशहर (196.70 करोड़) के लिए सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्यो हेतु 1019.39 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ। प्रतापगढ़ शहर में सीवरेज कार्य हेतु 190.60 करोड़ रुपये का कार्यादेश दिनांक 28.10.2020 को जारी किया गया।
- आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण में 7 शहरों लाडनूं (174.40 करोड़), डीडवाना (87.39 करोड़), मकराना (142.98 करोड़) एवं कुचामन (319.43 करोड़), खेतड़ी (79.63 करोड़), मण्डावा (106.12 करोड़) एवं बांसवाड़ा शहर (281.36 करोड़) की निविदाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में।
- सीवर व सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रुपये 88 करोड़ की लागत के आधुनिक मशीने/सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई।
- अग्निशमन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं भिवाड़ी के लिये **एरियल हाइड्रोलिक लेडर** क्रय की स्वीकृति जारी की गई। नगरीय निकायो में फायर ब्रिग्रेड 200 वाहन क्रय की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति, साईनेज लाईसेन्स, फायर एन.ओ.सी. प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाईसेन्स, नाम हस्तान्तरण, सीवर कनेक्शन, 90A भू-रूपान्तरण, ऑनलाईन सेवाओं के पोर्टल विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर के साथ MOU किया गया। ऑनलाइन भवन मानचित्र अनुमोदन प्रणाली, ट्रेड लाईसेंस एवं ऑटो रिन्यूवल, फायर एन.ओ.सी., भू-रूपान्तरण (90A), सीवर कनेक्शन ऑनलाइन सेवा प्रारम्भ कर दी गई हैं।
- जयपुर शहर के परकोटे को UNESCO द्वारा विश्व हेरिटेज सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया है।

नगरीय विकास

- **मेट्रो 1 बी** का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 23.09.2020 को किया गया है। इससे मेट्रो सेवा का विस्तार बड़ी चौपड़ तक हो गया है।

- कोटा शहर में चल रहे डेयरी व्यवसाय एवं पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए न्यास द्वारा **देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना** विकसित की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए हैं। वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए नगर विकास न्यास द्वारा अण्टाघर चौराहा, एरोड्राम सर्किल एवं गोबरिया बावडी चौराहे पर अण्डरपास का निर्माण कार्य, सिटी माल के सामने अनन्तपुरा तिराहे पर, इन्दिरा गांधी तिराहे पर ऐलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के ऐतिहासिक अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चेरिटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.07.2019 जारी की गयी।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अधिशेष आवासों का निस्तारण प्रथमत: ई-ऑक्शन के माध्यम से 30 सितम्बर, 2019 से प्रारम्भ होकर 23 नवम्बर, 2019 तक किया गया। जिसके तहत 35 दिवस की अवधि में **1010 आवासीय सम्पत्तियों का विक्रय** किया जाकर आवासन मण्डल को कुल रुपये 162.50 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। जिसे एक अन्तर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 04.12.2019 से प्रत्येक बुधवार को **''बुधवार नीलामी उत्सव''** आयोजित किये गये जो कोविड-19 लॉकडाउन तक अनवरत जारी रहे। इस उत्सव में कुल 1982 आवासीय एवं 131 व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण से 410.61 करोड रुपये की प्राप्ति हुई।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर योजना के हल्दीघाटी मार्ग स्थित सैक्टर 16 में पन्नाधाय सर्किल के पास 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर **वृहद कोचिंग हब** विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को शिलान्यास किया गया है।
- **मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना –** आवासन मण्डल के प्रताप नगर योजना में राज्य के शिक्षकों एवं प्रहरियों हेतु 20,925 वर्ग मी. पर क्रमश: 288-288 (कुल 576) बहुमंजिले आवासों की योजना में नियोजित 6 ब्लॉक्स में 55.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 18 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
- **मानसरोवर योजना में ''सिटी पार्क'' का विकास –** एशिया की सबसे बड़ी आवसीय मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क **''सिटी पार्क''** को विकसित करने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना लगभग 52.42 एकड़ भूमि पर नियोजित की जाकर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसका **शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय** द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया। योजना में लगभग 40,000 वर्ग मी. भूमि पर ''फाउन्टेन स्क्वायर'' नियोजित किया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज डीड (पट्टा), नाम हस्तांतरण/नाम प्रतिस्थापन लीज मुक्ति प्रमाण पत्र एवं उपविभाजन एवं पुनर्गठन सेवाए ऑनलाइन प्रारम्भ की गई है जो कि जेडीए पोर्टल पर संचालित हैं।

परिवहन

- 11 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों यथा- कोटा, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, चितौड़गढ़, पाली, बीकानेर एवं उदयपुर तथा 2 जिला परिवहन कार्यालयों यथा-झालावाड़ एवं डीडवाना कुल 13 परिवहन कार्यालयों में **ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स** के निर्माण कार्य पूर्ण किये तथा 17 जिला परिवहन कार्यालयों में ट्रेक्स के निर्माण हेतु रुपये 25.14 करोड़ आवंटित किये गए।
- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा, जयपुर में ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रेक्स से सम्बन्धित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की स्थापना की जा चुकी है।
- **सड़क सुरक्षा फण्ड** से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर के **ट्रोमा सेन्टर** में गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना एवं क्रमोन्नत सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग को **ब्लैक स्पॉट निवारण** तथा पुलिस विभाग को ई-चालान व्यवस्था/50 बॉडी वॉर्न कैमरे/100 डैश कैमरे/सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राशि अनुमोदित की गयी।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **ट्रोमा स्टेबलाइजेशन इकाई** की स्थापना हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को रुपये 4.80 करोड़ का आवंटन किया गया।
- पुलिस विभाग द्वारा जयपुर से भीलवाडा (प्रथम चरण) के बीच

10 स्थानों पर ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडिंग सिस्टम विद स्पीड डिटेक्शन कैमरों हेतु 60 कैमरों की स्थापना के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से रुपये 8.85 करोड़ का आवंटन किया गया।

- जयपुर शहर के 11 मुख्य प्रवेश/निकास मार्गों पर गेन्ट्री लगाकर ट्रेफिक नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही के लिए ए.एन.पी.आर. कैमरों की स्थापना हेतु पुलिस विभाग को समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से रुपये 6.68 करोड़ का आवंटन किया गया।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक सुझाव हेतु हितधारक विभागों (सार्वजनिक निर्माण/स्वायत्त शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवहन एवं शिक्षा विभाग) के माननीय मंत्रीगण की एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का दिनांक 25.11.19 को गठन किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की समीक्षा हेतु अन्तर्विभागीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया।
- परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर वाहन तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सॉफ्टवेयर, ई-रवन्ना को एकीकृत किया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य की जनता को बेहतर एवं अच्छी यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में **875 नई सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें** क्रय की जाकर माह फरवरी, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि में बस बॉडी निर्माण पश्चात् वाहन आगारों को आवंटित की गयी।
- राजस्थान राज्य की जनता को सुलभ, सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण सहित यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से **48 इलेक्ट्रिक बसें** अनुबंध पर लेने के लिए निगम द्वारा अनुबंध किया जा चुका है।
- ड्राईविंग लाईसेंस आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अंगदान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न को अनिवार्य कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अंगदान हेतु सहमति देने वाले आवेदकों का प्रतिशत 2 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है।
- प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी राजकीय/पंजीकृत निजी अस्पताल गुड सेमेरिटन को न रोके अथवा पंजीकृत एवं भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें जब तक की गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा संबंधी न हो तथा पं. परमानंद कटारा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (1989) 4 एससीसी 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसरण में घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जावे।
- राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में 50 प्रतिशत रियायत के स्थान पर दिनांक 04.02.2020 से (100 प्रतिशत) नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।
- सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक धारकों को अर्द्धसैनिक बलों (BSF/CRPF/RAC) के शौर्य पदक धारकों की तरह निगम की सभी श्रेणी की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा दिनांक 20.5.2020 से प्रदान की गई।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से राज्य के गृह रक्षा स्वयं सेवकों (Home Guards) को राज्य सीमा में निगम की साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में (स्वयं की यात्रा हेतु) किराये में 25 प्रतिशत रियायत दिनांक 09.09.2020 से दी गई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 6.43 लाख आवास स्वीकृत किए गए। प्रगतिरत एवं नव स्वीकृत आवासों में से 5.02 लाख आवास पूर्ण किए गए। आवास निर्माण पर 5410.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- अच्छी गुणवत्ता के आवास निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों मे कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता हेतु 17645 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना में 6542 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 3231 कार्य पूर्ण एवं 2527 कार्य प्रगतिरत है। इन कार्यो पर 579 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य के प्रत्येक जिले में एक **महात्मा गांधी आदर्श ग्राम** का चयन कर उसे गांधीवादी जीवन मूल्यों के अनुसरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के अभिसरण के आधार पर समुदाय के सहयोग से समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना को 27.11.2019 को आरम्भ किया गया। इन आदर्श ग्रामों को 17 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर समग्र रूप से विकसित किया जायेगा।
- एमएलएलैड, डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी, स्व-विवेक, एमजीजेवीवाई योजनाओं में 2145.42 करोड़ रुपये व्यय कर 67 हजार स्वीकृत कार्यो में से 38 हजार कार्य पूर्ण किये गये, शेष कार्य प्रगतिरत।
- **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** की वर्ष 2020-21 व 2021-22 की आवंटित राशि में से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये की राशि हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपकरण, भवन इत्यादि) से संबंधित कार्यो में ही उपयोग ली जावेगी।
- राज्य में गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय

का विनियमन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा **राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019** जारी किये गये। देश में नियम लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। इन नियमों के अन्तर्गत 6 बायोडीजल उत्पादकों एवं 10 बायोडीजल खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया।

- राज्य द्वारा पंजीकृत देश के प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का दिनांक 07.11.2020 को शुभारम्भ किया गया। राज्य में विक्रय हेतु प्रतिदिन 2.20 लाख लीटर बायोडीजल का उत्पादन प्रारम्भ हुआ।
- वर्तमान में प्रदेश में 295 ब्लॉकों में **राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्)** परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, 22,735 ग्रामों में 1.84 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 21.42 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित किये गये।
- 1.39 लाख स्वयं सहायता समूहों को रुपये 916.40 करोड़ आजीविका संवर्धन हेतु उपलब्ध कराये गये।
- राजीविका के माध्यम से 1.16 लाख स्वयं सहायता समूहों को रुपये 1,298 करोड़ का (75,950 स्वयं सहायता समूहों को प्रथम एवं 40,050 स्वयं सहायता समूहों को एक से अधिक बार) बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया।
- राजीविका अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की 75,306 महिलाओं द्वारा 11.63 लाख मास्क बनाये गये एवं 34,481 राशन किट जरूरतमंदों को उपलब्ध कराये गये।
- **पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** की शर्त को हटाने के प्रस्ताव को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित कर इसकी अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी की गई।
- 57 पंचायत समितियों तथा 1456 नवीन ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया। नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2167 पद सृजित किये गये।
- 15 अगस्त, 2019 (स्वतंत्रता दिवस) से 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर **''महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर''** आयोजित किये गये तथा शिविरों में 1.38 लाख पट्टे जारी किये गये।
- राज्य में जल संरक्षण को बढावा देने के लिये **राजीव गांधी जल संचय योजना** प्रारंभ की गई। योजना के प्रथम चरण मे कुल 1.88 लाख कार्य चिह्नित कर 18,297 कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। 15,780 कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण घटक) अन्तर्गत दिनांक 17.12.2018 से 30.10.2020 तक रुपये 943.68 करोड़ व्यय किये जाकर 5.71 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया।
- **महात्मा गांधी नरेगा योजना** में 17 दिसम्बर, 2018 के पश्चात 7864.21 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। 7.73 लाख कार्य पूर्ण कर 15,875 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- **महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत** प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक कार्य चारागाह विकास, खेल मैदान, मॉडल तालाब, फार्म पौण्ड एवं टांका एवं श्मशान घाट/कब्रिस्तान विकास कार्य तथा प्रत्येक राजस्व गांव में भी एक गांव चार काम के तहत इसी प्रकार के कार्य प्राथमिकता से करवाये जा रहे हैं।

राजस्व एवं उपनिवेशन

- प्रतिवर्ष दिनांक 15 अक्टूबर को **राजस्व दिवस** का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया जाकर माह अक्टूबर, 2020 में उक्त दिनांक को राज्य में राजस्व दिवस का आयोजन किया गया।
- 05 उपखण्ड, 07 तहसीलों, 04 उप तहसीलों एवं 224 नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया।
- **राजस्व अधिकारी मोबाईल एपलिकेशन** के माध्यम से ऑनलाईन तहसीलों में सभी फसलों की ऑनलाईन गिरदावरी की जा रही है। ई–मित्र के माध्यम से ऑनलाईन गिरदावरी की नकल जारी की जा रही हैं।
- ऑनलाईन तहसीलों में पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर **स्वत: नामान्तरकरण** की कार्यवाही पायलट आधार पर तहसील चौमूं, जिला जयपुर में शुरू की गई थी। दिनांक 15.10.2020 को राजस्व दिवस पर जिला जयपुर की शेष ऑनलाईन तहसीलों में भी स्वत: नामान्तरकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- राज्य की 339 तहसीलों में **जमाबन्दियों का कम्प्यूटराइजेशन** किया जा रहा है। ई–धरती सॉटवेयर के माध्यम से जमाबन्दी सेग्रिगेशन का कार्य करवाया जा रहा है। वर्तमान में 254 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिला जयपुर, सीकर, चूरू, झुन्झुनूं, जैसलमेर, झालावाड़ तथा अजमेर जिला पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो चुका है।
- जनवरी 2019 में राज्य की मात्र 67 तहसीलें ऑनलाइन थी। इसके पश्चात् आदिनांक तक राज्य की कुल 187 तहसीलों के **राजस्व रिकॉर्ड** को **ऑनलाइन** किया जा चुका हैं। जिनको सम्मिलित करते हुए राज्य की कुल 254 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका हैं।
- राज्य के 11 जिलों (बूंदी, सिरोही, बारां, करौली, नागौर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जालौर, झुंझुनूं, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर) में नवीन मेडिकल कॉलेज हेतु लगभग 121.66 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आवंटन किये जाने की स्वीकृति जारी की गई।
- राजस्थान भू–राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित

ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आवंटित भूमि का पट्टेदार द्वारा समयावधि में उपयोग नही किये जाने पर आवंटन निरस्त करने के संबंध में दिनांक 19.09.2019 को अधिसूचना जारी की गयी।

- **स्वामित्व योजना** के अंतर्गत राज्य में 85 सतत् प्रणाली संदर्भ केन्द्र (Continuous Operation Reference Stations) के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सर्वे ऑफ़ इंडिया के द्वारा इन केन्द्रों का तकनीकी अनुमोदन किया जा रहा है। योजना के अनुसार वर्ष 2021-23 में राज्य के 46543 ग्रामो में नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन कर प्रोपर्टी कार्ड जारी किये जाएंगे। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को **प्रोपर्टी कार्ड** जारी किये जाने के क्रम में प्रारंभिक तौर पर जैसलमेर जिले में किया जा रहा है।
- उपनिवेशन विभाग द्वारा 2934 आवंटियों को भूमि की समस्त राशि जमा करवाने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

सिंचाई

- जल संसाधन विभाग में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर दिसम्बर, 2018 से अब तक 3803.48 करोड रुपये व्यय किये गये।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर 17,448 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- **नर्मदा नहर परियोजना** पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान सीमा में वितरिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात इस परियोजना पर 200.11 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।
- **परवन परियोजना** से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पेयजल, वन्य अभ्यारण एवं तापीय विधुत परियोजना हेतु जल उपलब्ध होगा। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् इस परियोजना पर 922.54 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।
- **धौलपुर लिफ्ट परियोजना** से धौलपुर, राजाखेड़ा, सैपऊ के 234 गांवों में 35,850 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना पर माह दिसम्बर, 2018 से अब तक 279.15 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।
- **नवनेरा बैराज परियोजना** पर माह दिसम्बर, 2018 के पश्चात् 151 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
- ल्हासी, गागरिन, राजगढ़, तकली, गरड़दा एवं हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 42,798 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2018 से अब तक 217.45 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
- **बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना** के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के अभियंताओ को प्रशिक्षण प्रदान करवा डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। 13 बाधों की डीपीआर तैयार कर अनुमोदन हेतु CWC को प्रस्तुत की गई है। जिसमें से 7 डीपीआर का अनुमोदन कराया जाकर निविदा आमंत्रित की गई है। समयबद्ध प्रयासों द्वारा बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना में शामिल 18 राज्यों में **राजस्थान प्रथम स्थान** पर है।
- राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2018 मे राज्य को प्राप्त 18 वां स्थान के विरुद्ध वर्ष **2020 मे दूसरा स्थान** प्राप्त हुआ है।

सिंचित क्षेत्र विकास

- राज्य सरकार के अथक प्रयासों से भारत सरकार द्वारा **गंगनहर परियोजना** के **खाला निर्माण** से शेष रहे 73,100 हैक्टेयर क्षेत्र को गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय में सम्मिलित करते हुए कुल 1.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र हेतु राशि रुपये 353.40 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 31.12.2019 को प्राप्त की गई है।
- वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान 21,940 हैक्टेयर क्षेत्र में राशि 127.82 करोड़ रुपये व्यय कर पक्के खालों का निर्माण पूर्ण करवाया गया।
- चम्बल की नहरों के जीर्णोद्वार हेतु नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत राशि 66.79 करोड़ रुपये व्यय कर 102 किलोमीटर नहरों की लाईनिंग पूर्ण की गयी।

कर्मचारी कल्याण

- **ई-पेंशन** की शुरुआत की गई है जिसके तहत कर्मचारी द्वारा बहुत ही सरल-साध्य ऑनलाइन पेंशन आवेदन किया जा सकेगा तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भी पेंशन विभाग को ऑनलाइन पेंशन प्रकरण भिजवा सकेगा और पेंशन विभाग द्वारा भी पेंशन ऑनलाइन जारी कर संबधित कार्यालयाध्यक्ष व कर्मचारी को ऑनलाइन प्रेषित कर दिये जायेंगे। इससे समय तथा व्यय की बचत होगी।
- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत 2,137 आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई एवं 532 प्रकरणों में

शिथिलता प्रदान कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

- मृतक आश्रित के आवेदन पत्र 2 वर्ष तक संबंधित विभागों में प्रतीक्षा रखने के प्रावधान को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13.10.2020 को जारी कर समाप्त किया गया हैं। अब मृतक आश्रित को जिस विभाग में पद रिक्त होगा वहां शीघ्र नियुक्ति मिल सकेगी।
- कर्मचारियों/अधिकारियों को राहत देते हुए नियम 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण हेतु राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेश की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करके विकेन्द्रित करने की कार्यवाही हेतु अधिसूचना दिनांक 18.2.2020 तथा अधिसूचना दिनांक 07.07.2020 जारी की गयी।

कला, साहित्य एवं संस्कृति

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्तीवर्ष के अवसर पर दिनांक 07 फरवरी, 2019 को विख्यात गांधीवादी डॉ. एस.एन. सुब्बाराव जी का 91वां जन्मदिवस समारोह बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर आयोजित किया गया, जिसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष से विख्यात गांधीवादी विचारकों को आमंत्रित किया गया। उक्त आयोजन में **मोहन से महात्मा** विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई गई।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 तक राज्य स्तरीय गांधी-150 का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर एवं सेन्ट्रल पार्क, जयपुर में किया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों यथा खादी प्रदर्शनी, म्यूजिक इन द पार्क, संगोष्ठी, चित्रकला, लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी तरह जिला स्तर पर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 जयन्ती वर्ष के आयोजन के क्रम में दिनांक 09 अगस्त, 2020 से दिनांक 15 अगस्त, 2020 तक **अगस्त क्रान्ति सप्ताह** का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया गया।
- महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती का 2 वर्ष तक समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। गांधी-150 के आयोजन की शृंखला में दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को महात्मा गांधी जी की जयन्ती के उपलक्ष्य में विभाग की और से शान्ति, सद्भाव एवं अहिंसा पर एक **वैश्विक-ई-सम्मेलन-2020** का आयोजन किया गया।
- प्रदेश में सौहार्द, भाईचारे एवं गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग के अधीन **शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ** का गठन किया गया है।
- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती को 2 वर्ष तक समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। दिनांक 19-20 अगस्त, 2019 को युवाओं पर केन्द्रित **राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम** (RAJIV) का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया।
- राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में बने **अभिलेख म्यूजियम** का ई-उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2020 को किया गया।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा** योजना में 8577 रेल यात्रा एवं 6882 हवाई यात्रा (कुल 15459 वरिष्ठ नागरिकों) को तीर्थयात्रा करवाई गई। वर्ष 2019-20 में प्रथम बार विदेश स्थित तीर्थ श्री पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू (नेपाल) की 2113 यात्रियों को यात्रा करवाई गई।

सुशासन

- थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने से व्यथित परिवादी के जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष राहत हेतु पेश होने पर उन्हें तत्काल राहत देने हेतु पूरे देश में पहली बार सी.सी.टी.एन.एस. में व्यवस्था कर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 01.06.2019 से पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। दिनांक 30.10.2020 तक कुल 199 प्रकरणों का पंजीकरण सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हुआ है। जिन प्रकरणों में परिवादी के थाने जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है, उनमें विभागीय कार्यवाही भी की गई है।
- पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्या सुनने व निवारण करने की दिशा में प्रत्येक पुलिस थाने पर एक **स्वागत कक्ष** बनाने का निर्णय लिया गया। 240 स्वागत कक्ष का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 248 कक्ष निर्माणधीन हैं।
- परिवादों को सीधे सी.सी.टी.एन.एस. में पंजीकृत करने के थानों को निर्देश जारी करने के साथ-साथ परिवादियों को राजकॉप सिटीज़न एप के माध्यम से परिवाद सीधे दर्ज कराने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य एवं जिला स्तर पर गंभीर व जघन्य अपराधों के अनुसंधान एवं ट्रायल के निकट पर्यवेक्षण हेतु Heinous Crimes Monitoring Unit (HCMU) स्थापित की गई हैं।
- आर्थिक अपराधों के लिए Serious Fraud Investigation

Unit (SFIU) एवं साइबर अपराधों के लिए Cyber Crime Investigation Unit (CCIU) की स्थापना की गई।

- समस्या अथवा आपातकालीन स्थिति में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित एवं आदर्श प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने की दिशा में Emergency Response Support System (ERSS) को राज्य में चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष अलवर व भरतपुर जिलों में लागू करने की योजना तैयार की जा रही है। जिलों में ईआरएसएस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 25 चौपहिया वाहन एवं 69 दुपहिया वाहन नये क्रय कर आवंटन किया जा चुका है।
- राज्य में मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग/खाप पंचायत जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष कानून लागू करने हेतु नवीन बिल लाया जाकर पास किए गए हैं, जो वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु लंबित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व पुलिस के कार्यों में पुलिस का सहयोग करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा प्रत्येक थानान्तर्गत स्थित राजस्व ग्राम में 33,847 **ग्राम रक्षक** सूचीबद्ध किये जा चुके हैं।
- अलवर जिले में से नवीन भिवाड़ी जिले का गठन, थानागाज़ी में नवीन वृत्त कार्यालय का सृजन व चूरू जिले में सुजानगढ़ में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा की स्थापना की गई है।
- संभागीय आयुक्तों को महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। प्रति माह संभाग के प्रत्येक जिले का दो दिवसीय दौरा करेंगे। रात्रि विश्राम, समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण करेंगे।
- विभागीय सचिवगण प्रतिमाह जिलों का दो दिवसीय दौरा करेंगे। रात्रि विश्राम, समीक्षा बैठक, विभागीय कार्यो का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेंगे।
- RTI कानून के क्रियान्विति के सशक्तीकरण हेतु नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन/ अपील प्रस्तुत करने तथा आवेदन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा प्राप्त होगी।
- राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधीजी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को **'राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब–राजगृह'** के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई–गवर्नेंस सेवाओं की प्रदायगी को और मजबूती प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- वर्तमान में **ई–मित्र कियोस्कों** एवं **ई–मित्र प्लस मशीनों** के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही 400 से अधिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों पर दी जा रही है।
- दिनांक 07.03.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में **मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद** (CMRETAC) का गठन किया गया।
- राज्य में संचालित समस्त योजनाओं को **सतत् विकास लक्ष्यों** (SDGs) से मेप किये जाने हेतु IFMS पर Module तैयार किया गया। इसके फलस्वरूप वर्ष 2020–21 के बजट दस्तावेजों में पहली बार सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार योजनावार प्रावधित राशि संबंधी विवरण को सम्मिलित किया गया।
- 13 सितम्बर, 2019 को **जन सूचना पोर्टल** का लोकार्पण किया गया जिसके माध्यम से आमजन को राज्य सरकार के 54 विभागों में चल रही 94 योजनाओं की 261 प्रकार की सूचनाऐं उपलब्ध करवा दी गई है।
- 1 हजार से अधिक आबादी के राजस्व गाँवों में **5855 नये ई–मित्र केन्द्र** खोले गए है।
- **ई–मित्र प्लस मशीन**, ई–मित्र की सेवाएं प्रदान करने वाली ऐसी मशीन है जिसमें आमजन स्वयं ही बैंक एटीएम की भांति विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। 14727 ई मित्र प्लस मशीनें कार्यरत है। राज्य के 33 जिलों की 328 तहसील एवं 171 उप तहसील मुख्यालयों पर ई–मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की जा चुकी है।
- राज्य में **फ्री इंटरनेट** हेतु दिसंबर, 2018 से अब तक लगभग 7000 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। अब तक कुल 9513 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिसंबर, 2018 से 2300 कैमरे लगाये गये है तथा अब तक लगभग 5021 कैमरे लगाए गए हैं।

कोविड प्रबंधन

- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कोविड–19 **आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा** उपलब्ध करायी गयी है। राज्य में 34 राजकीय संस्थानों में आरटीपीसीआर लैब के अन्तर्गत कोविड–19 की जांच की जाती है। राज्य में वर्तमान में कुल क्षमता **60 हजार टेस्ट प्रतिदिन** है।
- वर्तमान में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के नवीन सम्बद्ध चिकित्सालय को 1200 शैय्याओं का **डेडिकेटेड कोविड अस्पताल** के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें आईसीयू के 205 बेड सम्मिलित है। एस.एम.एस. चिकित्सालय में 32 बेड का एक नया इमरजेन्सी आई.सी.यू. स्थापित किया गया है, जिसमें आरयूएचएस में भर्ती कोविड मरीजों को जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है तथा जिनकी स्थिति गंभीर है, को रखा जा रहा है।
- **टोसिलीजुमेब एवं रेमडेसिविर** की दवा 6 मेडिकल कॉलेज स्तर पर उपलब्ध करवाई तथा शेष जिला अस्पतालों पर

आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की निगरानी में यह दवा प्राप्त कर रोगी को जिला अस्पताल में भी उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

- मरीजों के उपचार हेतु एनएबीएल अधिकृत निजी अस्पतालों में 5500, 8250 एवं 9900 रुपये तथा नॉन एनएबीएल निजी अस्पतालों में 5000, 7500 एवं 9000 रुपये प्रतिदिन की दर से सात से दस दिवस तक के लिए उपचार की दरे निर्धारित की गई है। इन उपचार दरों में बेड शुल्क, भोजन, पीपीई किट, सामान्य रक्त की जांच एवं एक्स-रे इत्यादि का शुल्क भी सम्मिलित है।
- वर्तमान में कोविड-19 के रोगियों के उपचार हेतु 960 वेन्टीलेटर उपलब्ध है।
- सेन्ट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन 20 उपजिला एवं 21 जिला अस्पतालों में स्थापित की जा चुकी है।
- राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध मुख्य चिकित्सालय में **लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लान्ट** स्थापित किये जा रहे है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और आरयूएचएस जयपुर, मेडिकल कॉलेजों में ये प्लान्ट दिसम्बर माह के अन्त तक प्रारंभ हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त इन चिकित्सालयों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लान्ट भी स्थापित किये गये हैं।
- राज्य में 92,906 **स्वास्थ्य मित्रों** का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर आमजन को कोविड-19 रोग के बारे में जागरूक करने एवं बचाव हेतु उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, राजस्थान पुलिस विभाग को उपकरण/पीपीई किट/मास्क/रेपिड टेस्टिंग किट/लेबोरेट्री वेंटिलेटर/सेनेटाइजर आदि के क्रय हेतु एवं लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था हेतु जिलों को 729.71 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।
- कोविड-19 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, संविदा एवं मानदेय कर्मचारी तथा स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/कारपोरेशन के कर्मचारी की कोरोना की रोकथाम की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के समय असामयिक मृत्यु होने पर रुपये **50 लाख की अनुग्रह राशि** के आदेश जारी किये गये।
- लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल एवं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह व जमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किये जाने और ऐसे स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के आवागमन को निषेध किये जाने का विधेयक विधानसभा में पारित करवाया गया।
- विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए हर जिले में जिला प्रशासन के माध्यम से कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदो को फूट पैकेटस् व ड्राई राशन सामग्री (5 किलो आटा, 1/2 लीटर खाद्य तेल, 1/2 किग्रा नमक, 1 किग्रा दाल, 1 किग्रा चावल) का वितरण करवाया गया। 39.42 लाख **ड्राई फूड पैकेट** उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा भामाशाहों के माध्यम से 1.97 करोड़, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से 1.77 करोड़ **भोजन के पैकेटस्** उपलब्ध कराये गये।
- कोविड-19 के दौरान ऐसे **निराश्रित एवं असहाय** परिवार जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें 3500 रुपये प्रति परिवार की दर से **33 लाख परिवारों** को 1144.39 करोड रुपये की एक्स-ग्रेशिया के रूपये सहायता उपलब्ध कराई गई।
- **तेन्दू पत्ता संग्रहण** जो कि दिनांक 01.04.2020 के पश्चात प्रारम्भ हो कर माह जून के मध्य तक कुल 11.61 लाख श्रमिक दिवस सृजित हुए, जिसमें 1.97 लाख कुल श्रमिकों ने कार्य किया। कारोना काल में 10 जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा एवं धौलपुर में तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ताओं द्वारा 27.15 करोड़ रुपये का नगद भुगतान जनजाति/वन निवासियों को उस समय किया गया जब राज्य में मनरेगा के कार्य भी आरम्भ नहीं हुये।
- कोविड-19 के दौरान 8.01 लाख **नवीन जॉब कार्ड** जारी कर 20.96 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया। वर्ष 2020-21 में अब तक लगभग 12 लाख अतिरिक्त परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के परिवारों को माह अप्रेल, मई व जून 2020 में **नि:शुल्क गेंहू वितरण** किया गया। जिस पर राज्य सरकार को 111 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार आया। राज्य सरकार द्वारा कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर माह अगस्त, 2020 से नवम्बर, 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के परिवारों को नि:शुल्क गेंहू वितरण किया गया। इससे राज्य सरकार पर लगभग 132 करोड़ रूपये का भार आया।
- कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 3.59 लाख **निराश्रित परिवार** जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है, उनको भी 10 किलो प्रति व्यक्ति गेंहू तथा 2 किलो प्रति परिवार चना उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई थी। उपरोक्त परिवारों को खाद्य सामग्री का आवंटन किया जाकर वितरण किया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग से अधिक चयनित 34 लाख व्यक्तियों हेतु माह अप्रेल एवं मई में 34,000 मै. टन गेहूं क्रय कर नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया।

- राज्य सरकार का ध्येय **''कोई भूखा नहीं सोये''** को ध्यान में रखकर प्रवासी तथा ऐसे व्यक्ति जिनका कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप रोजगार, उद्योग धंधे समाप्त हो गये, ऐसे 37 विशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे करवाया जाकर 24287 मै. टन गेहूं एवं 1734 मै. टन चना क्रय कर एकमुश्त 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 02 किलोग्राम चना प्रति परिवार नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया।
- प्रदेश में लॉकडाउन अवधि होने के बावजूद भी रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 22.19 लाख मै.टन **गेहूं की खरीद** कर पिछले वर्षो के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक की सर्वाधिक खरीद का नया रिकॉर्ड कायम कर 2.18 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया।
- कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार के स्थान पर स्वच्छ वायरस मुक्त टेक होम राशन के रूप में सभी लाभार्थियों को साबूत खाद्य सामग्री में गेहूं, चावल व चना दाल उपलब्ध कराया जाने का निर्णय लिया जाकर आपूर्ति की जा रही है।
- राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जयपुर द्वारा **''जीवन के लिए अमृता''** कार्यक्रम अन्तर्गत कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए गिलोय का दैनिक प्रयोग कर आमजन को गिलोय के औषधीय गुणों की जानकारी देने के लिए नि:शुल्क ब्रोशर एवं लगभग 50,000 गिलोय के पौधें वितरित किये गये।
- आयुर्वेद विभाग द्वारा दिनांक 13.03.2020 से निरन्तर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आमजन को निरन्तर वातश्लैष्मिक काढा (वासा, कण्ठकारी, हल्दी, सौंठ, भार्गी, तालांश पत्र, मधुयष्टी, तुलसी पत्र, कालीमिर्च, लौंग एव पिपली का मिश्रण) व गिलोय चूर्ण पिलाया जा रहा है। दिनांक 30.11.2020 तक 34 लाख नागरिकों एवं 7 लाख कोरोना वारियर्स को काढ़ा पिलाया जा चुका है।
- 29 हजार क्वारांटाईन रोगियों को अश्वगंधा व गिलोय चूर्ण पांच दिवस तक काढ़े के साथ वितरित किया गया जिसके परिणाम उत्साहजनक प्राप्त हुए।
- होम्योपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा Immunity Booster-ARS, ALB3 एवं लक्षणों के आधार पर दवाइयां वितरित की जा रही हैं। अब तक लगभग 10 लाख लोगों को उक्त दवा वितरित की जा चुकी है।
- यूनानी विभाग द्वारा बहीदाना, उन्नाब एवं सपीस्तान के जोशान्दा (काढ़ा) आमजन को सामान्य सर्दी-जुकाम हेतु वितरित किया जा रहा है। अब तक लगभग 3.26 लाख लोगों को उक्त जोशान्दा वितरित किया जा चुका है।
- आयुर्वेद विभाग द्वारा 10 लाख नागरिकों को वितरण हेतु संशमनी वटी, आयुष 64 केप्सूल, अगस्त हरितकी, अणु तेल एवं त्रिभुवन कीर्ति रस की निर्धारित मात्रा वाले औषध किट वितरण के लिए 4.79 करोड़ की औषधियां क्रय की गई हैं।
- सैनेटाइजर की बढ़ती मांग के मध्यनजर उनकी उपलब्धता हेतु राज्य के 80 निजी **आयुर्वेद औषध निर्माताओं** को **सैनेटाइजर बनाने के लिए प्रोविजनल लाइसेन्स जारी** किये गये।
- राज्य के समस्त चिकित्साकर्मियों के बेहतर समन्वयन हेतु समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्साधिकारी तथा नर्स-कम्पाउण्डर की सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द की गई।
- लॉकडाउन अवधि में निगम द्वारा लगभग 5 लाख मजदूरों, प्रवासियों, छात्रों, चिकित्सा कर्मियों एवं कोविड-19 के रोगियों को निर्देशों के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गयी।
- लॉकडाउन अवधि में परिवहन विभाग द्वारा लगभग 2.35 लाख पैदल श्रमिकों को रेलवे विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके गृह राज्यों में एवं राजस्थान के श्रमिकों को अन्य राज्यों से राज्य में गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया।
- कोविड-19 महामारी के दौरान मृत व्यक्ति की अस्थियों का यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके इस हेतु **''मोक्ष कलश योजना 2020'' देवस्थान विभाग** द्वारा प्रारम्भ की गई है। जिसके तहत दिनांक 25.05.2020 से 07.10.2020 तक 12,083 मोक्ष कलश व 23,673 यात्रियों को हरिद्वार यात्रा कराई गई जिसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 3.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- कोरोना महामारी (कोविड-19) से राहत हेतु खरीफ 2020 में 8 लाख 22 हजार लघु व सीमान्त कृषकों को **बाजरा संकर बीज मिनिकिट** (प्रत्येक को 1.5 किलो) एवं राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर जनजाति बीपीएल एवं अंत्योदय परिवार के 5 लाख किसानों को **मक्का** संकर किस्मों के **बीज मिनिकिट्स** (प्रत्येक को 5 किलो) का नि:शुल्क वितरण किया गया।
- कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई तालाबंदी के दौरान कृषकों को फसल कटाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टैफे द्वारा 1 अप्रेल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक 27 हजार 379 किसानों को 1 लाख 3 हजार 16 घण्टों की **ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की सेवाएं नि:शुल्क** प्रदान की गई है।

- कोरोना महामारी (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन की अवधि में दिनांक 10.04.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक **मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना** के अन्तर्गत लगभग 337 लोक कलाकारों को प्रति कलाकार राशि रुपये 2500/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- कोविड-19 महामारी के कारण **पालनहार योजना** में लाभान्वित हो रहे बच्चों का शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) नहीं हो पा रहा था, को माह दिसम्बर, 2020 तक नियमित भुगतान किये जाने हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) करवाने में छूट प्रदान की गई।
- कोविड-19 महामारी (सम्पूर्ण लॉकडाउन) के दौरान 73,141 **स्ट्रीट वेंडर्स** को रुपये 3500/- की दर से कुल रुपये 58.60 करोड़ उपलब्ध कराये गये।
- कोविड-19 के संक्रमण काल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुल 185 बार मे से 88 बार कोविड-19 पर अन्य राज्यों, माननीय प्रधानमंत्री व अन्य जिलों से **वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग** की जा चुकी है। साथ ही जिलों से तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लगभग 2493 बार से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा चुका है।
- कोरोना **जन जागरूकता अभियान** के तहत 1471 होर्डिंग्स, 15 हजार सनबोर्ड, 15 हजार सनपैक, 15 हजार फ्लैक्स बैनर, 3 हजार 500 डिजीटल वॉल पेंटिंग, 2 लाख ए4 पेपर स्टीकर, 2 लाख पोस्टर्स (18X25), 75 साइनेज पूरे राज्य में लगाए गए।
- **''नो मास्क नो एन्ट्री''** अभियान के तहत 2 अक्टूबर, 2020 से पूरे राज्य में जन आन्दोलन प्रारंभ किया गया जिसके तहत कुल 1.16 करोड़ नि:शुल्क मास्क आमजन को वितरित किये गये तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान के तहत 72.64 लाख घरों पर स्टीकर चिपकाये गये।

राज्य को प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवार्ड

- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राज्य की एक जिला परिषद को 50 लाख, दो पंचायत समिति को 25-25 लाख एवं पाँच ग्राम पंचायतों को 12-12 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया।
- वर्ष 2020 में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार एवं फिक्की द्वारा हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को Most Proactive State का अवार्ड प्रदान किया गया।
- **राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अन्तर्गत** उत्तम राज्य (सामान्य राज्य) की श्रेणी मे राजस्थान राज्य को सम्मानित किया गया है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, द्वारा **दिनांक 11.11.2020 को ऑनलाईन** समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किये गये।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) एवं राजस्थान सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट (RaCEWaRM) को साउथ आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा CII त्रिवेणी जल सम्मेलन, नई दिल्ली में दिनांक 18-19 सितम्बर, 2019 को आयोजित समारोह में एप्रिशियेसन (Appreciation) अवार्ड प्रदान किया गया।
- वर्ष 2019 में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को **सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय अवार्ड** से सम्मानित किया गया है।
- माह फरवरी, 2019 में **नेशनल वाटर अवार्ड** अन्तर्गत उदयपुर जिले को जल संरक्षण के कार्य हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ एवं आशांवित जिलों में बारां जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने के लिए दिनांक 19.12.2019 को राज्य को **प्रथम स्थान** का पुरस्कार दिया गया। सर्वाधिक आवास पूर्ण करने पर देश की सभी पंचायत समितियों में पंचायत समिति घाटोल को प्रथम स्थान प्राप्त।
- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ** योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान को श्रेष्ठ राज्य के रूप में तथा जोधपुर, नागौर को श्रेष्ठ जिला श्रेणी में 6 सितम्बर 2019 को पुन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंषा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में **पोषण अभियान** की गतिविधियों के क्रियान्वयन के आधार पर **'समग्र उत्कृष्टता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार'** के रूप में एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं 1.50 करोड़ की राशि से नई दिल्ली में दिनांक 20.08.2019 को आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।
- **प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार-2019 के** अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन और संरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत **नर्मदा नहर परियोजना** तथा 20 प्रतिशत से अधिक जल दक्षता वृद्धि श्रेणी के अन्तर्गत **इन्दिरा गांधी नहरी तंत्र में तेजपुरा माइनर पर माइक्रो सिंचाई पद्धति के** कार्यों को **राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: प्रथम व द्वितीय स्थान** से सम्मानित किया गया। ●

सहकारिता से किसान समृद्धि

किसानों को मिला हौंसला, राह हुई आसान

- ओटाराम चौधरी

राज्य की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दो वर्ष के भीतर किसानों की आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उन्नयन को सहकारिता के माध्यम से साकार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसानों के प्रति संवेदनशील एवं गांव ग्रामीण के हमदर्द मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसान को सशक्त करने की दिशा में कार्य करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की स्थापना की। किसान हित के निर्णयों से किसान एवं ग्रामीण राजस्थान के जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन की पहल का आगाज हुआ है। सरकार ने लोक कल्याण की नीति को सहकारिता के द्वारा लक्ष्य बनाकर पूरा करने का प्रयास किया है। जिसमें नवाचार एवं सुधारात्मक कदम उठाकर किसान परिवारों की भलाई के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार की किसान कल्याण के प्रति स्पष्ट नीति को दिखाती है।

राज्य सरकार ने दो वर्ष की अल्प अवधि के भीतर किसानों के समावेशी विकास की दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की है। इसमें राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना-2019, दस लाख नए सदस्य किसानों को सहकारी फसली ऋण से जोड़ना, राज सहकार पोर्टल से पारदर्शिता को बढ़ावा देना, एकीकृत किसान सेवा पोर्टल की शुरूआत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्रों की शुरूआत, यूरिया एवं डीएपी का बफर स्टॉक, बायोमैट्रिक प्रणाली से समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन खरीद, ऑनलाइन वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा, एटीएम एवं मोबाइल वैन स्थापित करना, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन, कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना, ब्याज दर को कम करना, सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण, पैक्स एवं लेम्पस को मल्टी सर्विस सेन्टर बनाना जैसी योजनाएं एवं निर्णय लागू कर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को सहकारिता के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल का दूसरा वर्ष अधिकांश समय कोरोना काल से प्रभावित रहा है। कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व वाली इस सरकार ने सहकारी समितियों के कार्यो में बदलाव की पहल कर किसानों एवं आमजन को राहत देने का विशेष कार्य किया है। राज्य सरकार ने संकट के इस दौर में किसानों के हित में निर्णय लेकर किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। संकट की घड़ी में सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाना, समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रों में बढ़ोतरी, किसानों से सीधी खरीद के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडियों का दर्जा देना, किसानों को सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना, खाद

एवं बीज का अग्रिम भंडारण, दीर्घकालीन कृषि ऋण की पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाना, 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि उपज रहन ऋण, 10 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सहित अन्य निर्णय लेकर धरती पुत्र का हौसला बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों के सशक्तीकरण के लिए सहकारिता को कृषि साख, वित्तीय समावेशन, कृषि आदान, सामाजिक सुरक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सहकारी समितियों को स्वावलम्बी बनाने जैसे सात मुख्य आधार स्तम्भों से जोड़कर कार्य कर रहे हैं।

सहकारिता द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण कार्य

- राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के द्वारा सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया फसली ऋण माफ किया गये। इस योजना से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 20.55 लाख किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित कर 7726.90 करोड़ रूपये का फसली ऋण माफ किया गया। फसली ऋण माफी-2018 एवं 2019 के तहत पात्र किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रूपये की ऋण माफी का लाभ मिला।
- फसली ऋण माफी के साथ ही सहकारी बैंकों (सीसीबी एवं पीएलडीबी) के सीमान्त एवं लघु श्रेणी के किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में अवधि पार खातों के 2 लाख रूपये के बकाया मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणों को माफ किया गया। इस योजना में सहकारी बैंकों द्वारा अब तक 29262 किसानों के 336.49 करोड़ रूपये ऋण माफ किए गए है। इन किसानों की जमीन पुन: उनके नाम हो चुकी है।
- फसली ऋण वितरण में पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना-2019 की शुरूआत की गई। इसके तहत पंजीयन से लगाकर फसली ऋण राशि वितरण को ऑनलाइन किया गया है। किसान को ऋण राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अब तक 27.87 लाख किसानों ने बायोमैट्रिक पद्धति से पंजीयन कराया है।
- राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप 12 लाख 72 हजार नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा गया है। वर्ष 2019-20 में 9 लाख 72 हजार किसानों को जोड़ा गया । इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण से जोड़ा गया। इन नए किसानों को 2553.73 करोड़ रूपए का फसली ऋण प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार के उतरदायित्व एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है। यह एकीकृत प्लेटफार्म है। जिसमें विभाग एवं संस्थाओं के कार्यो को ऑनलाइन करने की शुरूआत की गई है।
- डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने एवं ग्राहकों को उनके द्वार पर ही बैंकिग सेवाएं देने के लिए अपेक्स बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन प्रणाली को बढ़ाते हुए 700 नए एटीएम लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, साथ ही दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एटीएम वैन के माध्यम से डोर स्टेप पर बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
- किसानों से समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के लिए बायोमैट्रिक (आधार आधारित) सत्यापन से ऑनलाइन पंजीयन कर उपज खरीद की शुरूआत की गई है। इससे पात्र किसानों से खरीद सुनिश्चित हुई है।
- किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद भुगतान करने के लिए राजफैड़ द्वारा वेयर हाउस ई-रिसिप्ट सेवा का प्रारंभ किया गया। इससे अब महीनों का भुगतान दिनों में होने लगा है और अधिकांश किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो रहा है।
- किसानों को उनके खेत के समीप ही खरीद केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राजफैड द्वारा 871 खरीद केन्द्रों को क्रय विक्रय सहकारी समितियों के साथ ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर खोला गया। जहां पहले उपज खरीद के 250 से 300 केन्द्र होते थे। अब दुगुने से अधिक खरीद केन्द्रों के माध्यम से किसानों से जिन्सों की खरीद को सुनिश्चित किया गया है।
- राजफैड द्वारा मूंग, उड़द, सोयबीन, मूंगफली, गेहूं, सरसों एवं चना के समर्थन मूल्य पर 25.84 लाख मीट्रिक टन की उपज खरीदी गई। जिसका मूल्य 11 हजार 760 करोड़ रूपये है। इससे लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिला है।
- महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष 2 अक्टूबर, 2019 को

अभियान चलाकर 6500 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई-मित्र की सुविधा से जोड़ने की शुरूआत की गई। जिसका नतीजा है कि लगभग 90 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्रों की सुविधा आम लोगों को मिलने लगी हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा में वृद्धि करने के लिए रिकॉर्ड 387 (367 जीएसएस व 20 केवीएसएस) गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की है। इससे राज्य की भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी।
- सहकारी बैंकों में 715 रिक्त पदों पर राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। इससे सहकारी बैंकों की कार्य दक्षता में वृद्धि।
- केवीएसएस एवं जीएसएस के माध्यम 30 जिलों में 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में 8 करोड़ रूपये की राशि हस्तान्तरित की गई है।
- किसानों को उनके खेत के समीप कृषि उपजों के विक्रय हेतु राज्य की 550 ग्राम सेवा एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गौण मण्डी घोषित किया गया है। इससे 30 जून, 2020 तक 19 हजार 243 किसानों को लाभ मिला है तथा उनकी 6 लाख 70 हजार 580 क्विंटल उपज (16 फसल) की खरीद हुई है। जिसकी राशि 152.95 करोड़ रूपये है।
- उपज रहन ऋण योजना में 11 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर रहन ऋण उपलब्ध कराने की पहल की गई। इस योजना में 840 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा लगभग 2 हजार किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर 20.46 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में किसानों ने 1 लाख 14 हजार क्विंटल से अधिक की फसल गोदामों में गिरवी रखी है जिसका मूल्य लगभग 32 करोड़ रूपये है।
- राज्य में संचालित 34 उपभोक्ता भण्डारों एवं जयपुर में कॉनफैड को घर-घर तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य में विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के 1000 से अधिक कार्मिकों की टीम ने लॉकडाउन में 326 वैन के जरिए लगभग 12 लाख परिवारों को उचित मूल्यों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है प्रतिदिन औसतन 23 हजार परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया । इसके अलावा 1 लाख राशन किट वितरित कर परिवारों को राहत पहुंचाई है।
- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किसानों को राहत देते हुए सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण 2019-20 की चुकारा अवधि 31 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई । इससे लगभग 21 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिला।
- सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया। इस निर्णय से 30 जून तक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों का चुकारा करने वाले सभी किसानों को लाभान्वित किया गया है।
- अवधिपार ऋणी किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई। योजना के तहत ऋण का चुकारा करने पर सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया है। योजना में ऋणी किसानों का दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को 100 प्रतिशत माफ किया गया है। ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों को करीब 100 करोड़ रूपये की लागत से मल्टी सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभिक चरण में 303 सहकारी समितियों को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए समितियों की पहचान कर ली गई है।
- सहकारिता से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य की ओर कदम उठाए गए है। विभिन्न जिलों में 129 पैक्स एवं 21 लेम्पस के गठन को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन समितियों के गठन से 75 हजार से अधिक लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ा जा चुका है।

राज्य सरकार ने लगातार सहकारिता के माध्यम से निर्णय लेकर अन्नदाता का भरपूर साथ दिया है। जिसका प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 जैसी आपदा में भी दूरदर्शिता पूर्ण निर्णयों ने किसानों को राहत पहुंचाई है। ●

प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, सुरक्षित जनजीवन

सच में - 'सतर्क है राजस्थान'

- प्रकाश चंद्र शर्मा

वैश्विक महामारी के बीच 'राजस्थान सतर्क है'– यह नारा राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध राज्य की जनता को संदेश के रूप में दिया था। राजस्थान सरकार का यह जनसंदेश महामारी से जूझ रही जनता के विश्वास की बहाली का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास था । राज्य सरकार के लिए यह चुनौती भरा दौर है।

कोरोना महामारी की आहट राज्य में सुनने के उपरांत राज्य की सरकार ने 18 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा की। इसके साथ ही 25 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। राज्य की कार्यपालिका के विभिन्न संस्थानों को जिम्मेदारी देकर महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए विभिन्न स्तर पर उपाय किये गए।

प्रशासनिक उपाय

महामारी से निपटने के लिए जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया । सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ फेक न्यूज पर रोक लगाने संबंधी उपाय निर्धारित किए गए। आवश्यक सेवाओं के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों को सरकार के अग्रिम निर्देशों तक कार्य संपादन घर से करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं के विभागों में भी रोटेशन के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्मिकों की उपस्थिति की प्रभावी योजना बनाई गई। स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी, सिनेमाघर, जिम, म्यूजियम, रेस्तराँ, मंदिर और पर्यटक स्थलों को प्रशासनिक आदेशों से बंद कर दिया गया।

यात्रा संबंधी उपाय

संक्रमण वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 28 दिवस के आवश्यक आइसोलेशन प्रावधान के साथ यात्रियों का गहन निरीक्षण भी किया गया। आइसोलेशन के प्रावधानों का उल्लंघन एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही के प्रावधान भी किए गए। अन्य राज्यों में फंसे राज्य के नागरिकों को लाने के लिए बस सेवा प्रारंभ की गई। कोटा में अध्ययनरत दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को सुगम और सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों ने अभिभावकों की चिंताओं को काफी हद तक राहत पहुंचाई। अप्रैल के मध्य में आवश्यक कार्यों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ई-पास सुविधा प्रारंभ की। अनलॉक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में राज्य की परिवहन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने से राज्य की जनता को आवागमन में सुविधा मिली।

स्वास्थ्य संबंधी उपाय

स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के सूत्र का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार के लिए संकटमोचक रहा। शुरुआती चरण में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के पच्चीस प्रतिशत पलंग कोविड-19 बीमारी के मरीजों के लिए सुरक्षित किए जाने से रोगी भार का पूर्वानुमान लगाकर महामारी से प्रभावी निपटान में सहायक रहा। अगले चरण में प्रत्येक जिले में डेडीकेटेड कोविड-19 केयर ब्लॉक बनाना राज्य सरकार और चिकित्सा व्यवस्था दोनों के लिए कोरोनावायरस के विरुद्ध कारगर उपाय साबित हुआ। समय-समय पर चिकित्सा प्रशासन द्वारा आयोजित की गई मॉक ड्रिल भी वायरस के विरुद्ध लड़ाई में कारगर सिद्ध हुई। स्वास्थ्य सेवा के कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित रुपये 5000 का विशेष भत्ता कार्मिकों के प्रोत्साहन में सहायक रहा। मार्च से अगस्त, 2020 के बीच सेवानिवृत्त हो रहे स्वास्थ्य कर्मियों का सेवाकाल सितंबर, 2020 तक बढ़ाने से राज्य में उचित मानव संसाधन

की उपलब्धता के रूप में प्रभावी कदम उठाये गए। कोविड-19 में सेवा देने वाले कर्मियों को सुविधा युक्त होटल्स में ठहराने से लेकर बायोमेट्रिक उपस्थितियों को बंद करने के प्रभावी और बुद्धिमत्ता पूर्ण कदमों ने कोरोनावायरस के फैलाव को रोके रखा। कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्र का माइक्रो प्लान तैयार कर प्रभावी निपटान करने से राज्य सरकार ने कोरोनावायरस के विरुद्ध युद्ध में शुरुआती सफलता सुनिश्चित की। राज्य सरकार के कोरोना पर नियंत्रण के प्रमुख चरण निम्न रहे -

- संक्रमित व्यक्ति की पहचान और क्षेत्र का नक्शा तैयार करना।
- संक्रमित व्यक्ति को घर से सुरक्षित लेकर डेडीकेटेड कोविड केयर अस्पताल तक पहुंचाना।
- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करना।
- संक्रमित क्षेत्र का प्रभावी निषेधीकरण करना।
- संक्रमित क्षेत्र का प्रभावी सेनिटाइजेशन करना।
- एकत्रित डाटा का विश्लेषण।

राज्य में औषधि नियंत्रक की नियुक्ति और दवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित कर राज्य सरकार ने राज्य की जनता को लॉकडाउन में चिकित्सकीय राहत जनता के द्वार तक पहुंचाई। केंद्रीयकृत हेल्पलाइन नंबर जारी कर राज्य सरकार ने जनता की चिंताओं को दूर करने का सार्थक प्रयास किया, साथ ही रोजमर्रा में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत वसूलने पर प्रभावी नियंत्रण रख आम जनता को फौरी राहत पहुंचाई। राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल वैन पहुंचा कर आमजन को बीमारियों के इलाज में संबल प्रदान किया।

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के विरुद्ध राज्य का विस्तृत प्लान बनाकर लड़ाई में आगे की जीत के लिए कदम बढ़ाए जिसके प्रमुख बिंदु निम्न रहे -

- कंटेनमेंट जोन का निर्धारण
- रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन
- प्रयोगशालाओं की टेस्टिंग क्षमताओं में निरंतर बढ़ोतरी
- कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर
- क्वारेंटाइन केंद्रों का निर्धारण
- अन्य जिम्मेदारियां ।

राज्य सरकार ने कोविड-19 में सेवा दे रहे कार्मिकों की लिए 50 लाख के बीमा कवर की घोषणा कर ना केवल उन कार्मिकों वरन् उनके परिवारजनों को भी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना।

राज्य के प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 300 वेंटिलेटर युक्त बेड और ऑक्सीजन वितरण केंद्र तैयार कर सरकार ने जनता की सांसों की डोर को थामे रखा।

गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाले रेमडीसीवीर और टोसीलीजुमेब जैसे महंगे इंजेक्शनों को मुफ्त उपलब्ध करवाकर सरकार ने राज्य में समाजवाद की अवधारणा को सुनिश्चित किया। पंचायती राज संस्थानों को 60 करोड़ का राजस्व वितरित कर सरकार ने कोरोना के खिलाफ रोकथाम में जन भागीदारी की पहल की।

सरकार द्वारा समय-समय पर जनभागीदारी से जागरूकता अभियान चलाना भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायक रहा। राजस्थान सरकार ने राज्य की जनता को एक करोड़ मास्क का वितरण कर सरकार की जनता के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके साथ ही मरीजों की रिकवरी रेट के आंकड़ों का 84% को छूना, स्पष्ट परिलक्षित करता है कि महामारी से हुई भीषण लड़ाई में राज्य की जनता और सरकार ने मिलकर कमर कसी है।

विषाणु और मनुष्य का साथ युगों-युगों से चला आ रहा है। अत: अब सरकार अपने चिकित्सा संस्थानों को बदलाव के नजरिए से देख रही है। प्रत्येक जिलास्तरीय अस्पतालों में 'इनफेक्शियस डिजीज कंट्रोल यूनिट' खोलना वर्तमान और भविष्य की महती आवश्यकता है। चिकित्सा संस्थानों के प्रबंधकीय उपायों में बदलाव कर संस्थानों में नई प्राणवायु का संचार किया जा रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन्नत एवं प्रभावी बनाकर जनोपयोगी बनाया जा रहा है।

निरोगी जनता राज्य की संपूर्ण श्रम शक्ति का महत्त्वपूर्ण खजाना होती है। इसलिए राज्य सरकार सतत और भगीरथ प्रयत्न निरन्तर कर रही हैं। ●

कम्प्यूटराइजेशन से आई राजस्थान में क्रांति

कृषक-भूमिधारक वर्ग को मिलीं अनेक सौगातें

- पवन कुमार शर्मा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में जनकल्याणकारी सोच को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में किए गए त्वरित प्रयासों से राजस्थान नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं का पूरा-पूरा व सीधा लाभ आम जनता को मिल सके एवं सभी विभागों से जनता का सीधा जुड़ाव स्थापित करने के लिए देश को संचार क्रांति एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी बनाकर सरकार की कार्यप्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकहित में लागू करने का पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राज्य सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ आम जनता को तेजी से मिल सके एवं सभी विभागों से जनता का सीधा जुड़ाव स्थापित करने की दृष्टि से सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार किया है।

किसी भी राज्य के विकास की कल्पना वहां के कृषि विकास के बिना अधूरी है। कृषि प्रधान राज्य राजस्थान में कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार ने कई लोक-कल्याणकारी निर्णय लेकर कृषक वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच का परिचय दिया है।

राज्य में संचालित विविध कृषक कल्याण योजनाओं के माध्यम से जहां किसानों के सशक्तीकरण की राह आसान बनाई गई है वहीं मंडियों में उपज का सही मूल्य दिलाने, रियायती विद्युत दर एवं सरलतम ऋण-अनुदान व बीमा योजनाओं की सरकार की उदार नीति ने कृषक वर्ग में गहरा विश्वास कायम किया है।

राज्य में कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को उनके दैनंदिन कार्यों में आने वाली समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शितापूर्वक निस्तारण करने को लेकर ऑनलाइन सेवाओं को व्यावहारिक तौर पर सरलीकृत एवं विस्तारित किया गया है। इससे जहां किसानों की दौड़-भाग कम होगी वहीं बिना समय गंवाए उन्हें घर बैठे योजनाओं की समग्र जानकारी हासिल होने के साथ उनका त्वरित लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा।

कृषि ऋण आवेदनों का निस्तारण ऑनलाइन

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में पहली बार आयोजित ''राजस्व दिवस'' के अवसर पर कृषि ऋण का ऑनलाइन निस्तारण करने के निर्देश दिये है। ऋण रहन पोर्टल के जरिए काश्तकार के कृषि ऋण आवेदन को बैंक द्वारा फॉरवर्ड करने के साथ ही म्यूटेशन से लेकर ऋण उपलब्ध कराने जैसी समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही सम्पादित हो जाएगी। इस पोर्टल के जरिए कृषि ऋण रहन से संबंधित आवेदनों का निस्तारण पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार के स्तर पर ऑनलाइन ही किया जाना संभव हो सकेगा। यही नहीं आवेदन की प्रगति की जानकारी भी आवेदक को मोबाइल एप के जरिए घर बैठे हासिल हो जाएगी।

काश्तकार को मिलेगी गिरदावरी की ई-हस्ताक्षरित नकल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के हाथों 19 अगस्त को राजस्व अधिकारी मोबाइल एप का लोकार्पण किया गया है जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन गिरदावरी की शुरुआत समूचे राजस्थान में हो गई है। गिरदावरी के संबंधित सभी इन्द्राज पटवारी के स्तर पर हो जाने के पश्चात् गिरदावर, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर स्वीकृत मापदण्डानुसार गिरदावरी की जांच मोबाइल एप से ऑनलाइन ही किया जाना संभव हो गया है।

अब तक किसानों को गिरदावरी की नकल के लिए पटवारी के पास जाकर प्रमाणित प्रति लेनी होती थी लेकिन गिरदावरी की ई-हस्ताक्षरित नकल की सुविधा मिल जाने से काश्तकारों को उपज का बेचान, मुआवजा, कृषि ऋण न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कृषक कल्याणार्थ चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गिरदावरी की ई-हस्ताक्षरित नकल की सुविधा की सौगात राजस्व दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के हाथों ई-लोकार्पण कर प्रदान की गई।

अब स्वत: होंगे नामान्तरकरण

वर्तमान सरकार ने उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज पंजीयन उपरान्त राजस्व जमाबन्दी में नामान्तरकरण की प्रक्रिया को स्वचालित करने की व्यवस्था शुरू की है। इस महत्त्वपूर्ण कदम से आमजन को अपने दस्तावेजों की रजिस्ट्री के पश्चात् नामान्तरकरण के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दस्तावेज के पंजीकरण के पश्चात स्वत: ही नामान्तरकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी और जमाबन्दी में नामान्तरकरण आदिनांक हो जाएगा। इस प्रक्रिया की सौगात भी राजस्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को दी।

राजस्व रिकॉर्ड नकल व नक्शे भी ऑनलाइन

किसान एवं भूमिधारक वर्ग को कई बार अपनी जमीन के नक्शे के लिए दौड़-भाग करनी होती थी। उनकी राह आसान करते हुए राजस्थान सरकार की ओर से आमजन को राजस्व रिकॉर्ड की नकल एवं जमीनों के नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के समस्त राजस्व एवं भू-अभिलेख व नक्शों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य अंतिम चरण में है। अब तक राज्य की 339 तहसीलों में से 249 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड के बेहतरीन संधारण को लेकर तहसील स्तर पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। अब तक 218 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का कार्य पूरा कराया जा चुका है।

राजस्थान के 529 उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन कराया जा रहा है जिसमें विगत वर्षों के पंजीकृत हो चुके दस्तावेजों को स्कैन करवाया जा रहा है। इसमें आमजन को सहज रूप से उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसी क्रम में सभी राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों का जोड़ा जा रहा है।

केस प्रबंधन प्रणाली से पक्षकारों की राह हुई आसान

राजस्थान के कृषक एवं भूमिधारक वर्ग को बेहतर कानूनी मंच के रूप में ''राजस्व मंडल'' की सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं सहज रूप से उपलब्ध कराने को लेकर ऑनलाइन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस आधुनिकृत व्यवस्था से पक्षकारगण को राजस्व अदालतों से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर ही हासिल होने लगी हैं।

प्रदेश में इन भगीरथी प्रयासों की सफल क्रियान्विति से कम्प्यूटरीकरण के रूप में क्रांतिकारी पहल का आगाज हुआ है। निश्चय ही इन दूरदर्शी एवं सर्वकल्याणकारी सोच के साथ रखी गई राजस्थान के विकास के सपनों की सफलता की मजबूत बुनियाद समूचे देश में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

राजस्थान में राजस्व मण्डल से लेकर उपखण्ड न्यायालयों के समस्त वादों को Generalized Court Management System (GCMS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक मंच पर लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस पर सभी राजस्व न्यायालयों की दैनिक कॉज लिस्ट, केस की वर्तमान स्थिति, निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। कोर्ट कार्यों में पारदर्शिता के तहत राजस्व मण्डल द्वारा बेंच अलॉटमेंट मॉड्यूल लॉच किया गया है जिसमें मंडल अध्यक्ष सभी सदस्यों के लिए बैंच का आवंटन करते हैं जिसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित की जाती है। जीसीएमएस कार्यप्रणाली, पक्षकार, अभिभाषक एवं सरकारी तंत्र के लिए बहुउपयोगी कदम सिद्ध हो रही है जिससे जहां आमजन को त्वरित लाभ मिलने लगा है वहीं प्रकरणों की प्रगति के संबंध में पलक झपकते ही जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो जाती है।

राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा

राज्य के राजस्व न्यायालयों में वाद दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। राज्य के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े हुए हैं। जीसीएमएस के जरिए केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिवक्ताओं के माध्यम से उनकी एसएसओ आईडी लॉगइन कर कराई जाती है। इससे जहां समय एवं श्रम की बचत होगी वहीं कोर्ट कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

सम्मन भी ऑनलाइन भिजवाए जाएंगे

राजस्व मंडल की ओर से प्रतिदिन भेजे जाने वाले नोटिस (सम्मन) जो तहसीलदार के स्तर पर तामील कराए जाते हैं, उन्हें ई-साइन कर ऑनलाइन भिजवाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। यह नोटिस अब सीधे संबंधित तहसीलदार के कम्प्यूटर पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। सम्मन संबंधित को तामील हो जाने की सूचना पुन: स्कैन कर तहसीलदारों के मार्फत राजस्व मंडल को भिजवाया जाएगा। ●

मुख्यमंत्री ने चार टीएसपी जिलों में किया योजना का शुभारंभ

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 'इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण' योजना की शुरुआत महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। स्वस्थ एवं पोषित बच्चे देश का भविष्य हैं। गर्भवती महिला को उचित पोषण मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। राज्य सरकार की यह महत्त्वपूर्ण योजना माताओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के साथ-साथ बच्चों के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्त्व के संबंध में जागरूकता भी बढ़ाएगी।

श्री गहलोत 19 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चे को उचित पोषण देने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारम्भ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना में जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने द्वितीय प्रसव के समय महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है, उसे ध्यान में रखते हुए परिवार के लोग गर्भवती एवं धात्री महिला तथा बच्चे के पोषण का पूरा ख्याल रखें।

पूरे प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू होगी योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना की घोषणा इस वर्ष के राज्य बजट में 13 मार्च को की गई थी। फिलहाल यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के चार अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में लागू करेगी।

प्रतिवर्ष 77 हजार से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित

योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष करीब 77 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके तहत 43 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। इसमें वित्त, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। श्री गहलोत ने योजना के लोगो, पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया। योजना के शुभारम्भ के अवसर पर चारों जिलों की दो-दो लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में एक-एक हजार रुपए के चेक दिए गए।

लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में छह हजार रुपए मिलेंगे

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में 6 हजार रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। श्रीमती भूपेश ने श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भेजा गया बधाई संदेश पढ़कर सुनाया। प्रदेश की मातृ शक्ति ने इस योजना के लिए राज्य सरकार को साधुवाद दिया है। योजना के तहत 1 नवम्बर, 2020 एवं इसके बाद जन्मे दूसरे बच्चे के समय गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। ●

प्रधानमंत्री की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस

राजस्थान : कोरोना से जंग में सभी पैरामीटर्स में आगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 नवम्बर को राजस्थान सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉंफ्रेंस की। इस वीडियो कॉंफ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रबंधन के जिन महत्त्वपूर्ण पैरामीटर्स पर चर्चा की, राजस्थान का प्रदर्शन उन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट रहा है।

मृत्यु दर एक प्रतिशत से नीचे

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर कोरोना प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना से जंग जीतने के मामले में बताए गए सभी मापदंडों पर राजस्थान अग्रणी रहा है और अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में मृत्यु दर लगातार एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। राज्य में वर्तमान में मृत्यु दर 0.89 प्रतिशत ही है। राजस्थान में मृत्यु के कारणों के विस्तृत विश्लेषण की व्यवस्था कोरोना के शुरुआती दौर से ही की हुई है।

राजस्थान में आरटीपीसीआर से हो रही है शत-प्रतिशत जांचें

श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि पूरे विश्व में आरटीपीसीआर टेस्ट सबसे विश्वसनीय हैं। देश के सभी राज्यों में राजस्थान की तरह शत-प्रतिशत टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट की बजाय आरटीपीसीआर पद्धति से होने चाहिए। देश में राजस्थान एवं तमिलनाडु दो ही राज्य हैं जहां शत-प्रतिशत जांचें आरटीपीसीआर पद्धति से ही की जा रही हैं। राजस्थान में आरटीपीसीआर से लगभग 42 लाख जांचें की जा चुकी हैं। केस पॉजिटिविटी रेट राज्य में 5.8 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत 6.89 प्रतिशत से काफी बेहतर स्थिति में है। राज्य सरकार शीघ्र ही इसे 5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। साथ ही प्रतिदिन जांच क्षमता भी 60 हजार तक पहुंचाई जा चुकी है।

ऑक्सीजन की उपलब्धता को पुख्ता किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी लेवल तक भी सुदृढ़ किया गया है। अस्पतालों में बड़े ऑक्सीजन प्लांट, पाइपलाइंस, ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर्स, स्टोरेज आदि क्षमताओं को व्यापक रूप से बढ़ाया गया है। इसका परिणाम है कि राज्य में आवश्यकता से कहीं अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता है।

आईसीयू, ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर्स व्यवस्था को बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की पहली पीक में ही आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड तथा वेंटिलेटर्स की क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया था। इसी का परिणाम है कि हम दूसरी लहर में भी कोरोना से प्रभावी रूप से लड़ पा रहे हैं। राज्य में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड में से 26 प्रतिशत, आईसीयू बेड में से 44 प्रतिशत तथा वेंटिलेटर्स में से 18 प्रतिशत पर ही वर्तमान में रोगी हैं। इससे जाहिर है कि जरूरत से कहीं ज्यादा स्पेयर क्षमता भी मौजूद है।

दृढ़ इच्छाशक्ति से उठाए कदमों की देशभर में हुई सराहना

श्री गहलोत ने वीसी में अवगत कराया कि राजस्थान ने सामाजिक जागरूकता लाने के लिए कई चरणों में जागरूकता अभियान चलाए हैं। वर्तमान में 2 अक्टूबर से बड़े स्तर पर प्रभावी जन आन्दोलन निरंतर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य प्रभावी कदमों के रूप में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, देश का पहला राज्य जिसने मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया। ●

केन्द्रीय दल के साथ कोरोना प्रबंधन पर चर्चा

राजस्थान का कोरोना प्रबंधन देशभर में एक मिसाल

कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान ने जिस दृढ़ इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता, मानवीय नजरिये और सतर्कता के साथ काम किया है, वह एक मिसाल है। वर्तमान में सभी राज्यों में कोरोना का अलग-अलग ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल से उपचार किया जा रहा है। इससे रोगियों और चिकित्सक समुदाय में भ्रांति बनी रहती है कि कौनसा ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल अधिक कारगर है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इस दिशा में पहल करे और आईसीएमआर के माध्यम से देशभर के लिए एक समान चिकित्सा प्रोटोकॉल निर्धारित करे।

श्री गहलोत 2 दिसम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान के कोरोना प्रबंधन को देखने आए केन्द्रीय दल के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 'राजस्थान सतर्क है' को ध्येय वाक्य बनाकर कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन की शुरुआत की। राजस्थान ही वह प्रदेश है जिसने भीलवाड़ा मॉडल देश को दिया और कन्टेनमेन्ट जोन को सख्ती से लागू कर, डोर-टू-डोर सघन सर्विलांस, अधिक से अधिक जांच, पुख्ता कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्वारेंटीन जैसे सख्त उपायों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाबी पाई। रिकवरी दर अच्छी रखने के साथ ही मृत्यु दर को लगातार 1 प्रतिशत से भी नीचे रखने में राज्य कामयाब रही है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान कोरोना के सभी पैरामीटर्स पर बेहतर स्थिति में है।

हर वर्ग को दी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए हमने देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। इस दौरान प्रवासियों के सुगम आवागमन, उनके ठहराव और भोजन की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश की करीब तीन-चौथाई आबादी को नि:शुल्क गेहूं और चना उपलब्ध कराया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत करीब 80 लाख लोगों को तीन माह की पेंशन के रूप में करीब 1950 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया। सामाजिक सुरक्षा की किसी भी सरकारी योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब एवं जरूरतमंद करीब 33 लाख लोगों को 3500 रुपये की नकद सहायता प्रदान की। लॉकडाउन एवं उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए जाने वाले लोगों को 'नि:शुल्क मोक्ष कलश स्पेशल बस' की सुविधा जैसा मानवीय निर्णय किया।

संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मगुरूओं, सन्त-महन्तों, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सकों सहित सभी वर्गों को कोरोना की जंग में साथ

शून्य से 60 हजार की जांच क्षमता, आरटीपीसीआर से कर रहे हैं सभी जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का पहला मामला आने तक जहां हमारी जांच क्षमता शून्य थी, वह हमारे सतत प्रयासों से बढ़कर 60,000 हो गई है। अब हर जिले में जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारी सरकार सभी जांच सबसे विश्वसनीय आरटीपीसीआर पद्धति से कर रही है। देश में राजस्थान और तमिलनाडु ही ऐसे राज्य हैं, जहां शत-प्रतिशत जांच इसी पद्धति से किए जा रहे हैं। हम जांच क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जांचें कर, प्रभावी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की कड़ाई से पालना कर संक्रमण के फैलाव को रोका जाए।

मजबूत किया मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर

श्री गहलोत ने कहा कि हमने आपदा को अवसर में बदलते हुए राजधानी से लेकर निचले स्तर तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड एवं वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन के उत्पादन एवं आपूर्ति को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम कोविड रोगियों की सीटी स्केन जांच कर रहे हैं ताकि उनमें संक्रमण के प्रभाव का सही आंकलन किया जा सके और उसके अनुरूप उन्हें उपचार मिल सके। कोरोना के दुष्प्रभावों के उपचार के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक्स की व्यवस्था, डे-केयर सुविधा जैसे नवाचार भी किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में यह सब सुविधाएं नि:शुल्क मिल रही हैं। निजी अस्पतालों में उचित दरों पर इलाज के लिए दरों का निर्धारण कर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जो उपचार के दौरान रोगियों की सहायता कर रहे हैं।

लिया। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने वाला राजस्थान पहला राज्य है।

हमने मास्क लगाने के लिए जनआंदोलन चलाकर इसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही, मास्क की अनिवार्यता के लिए कानून भी लेकर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू, विवाह आदि समारोहों में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति, उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि बढ़ाने जैसे कड़े फैसले लिए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रभावी जागरूकता अभियान संचालित करने के साथ ही मास्क लगाने के जनआंदोलन के लिए स्थानीय निकाय विभाग को नोडल विभाग बनाया।

विषम आर्थिक स्थिति के बावजूद नहीं रखी कोई कमी

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण राजस्थान सहित पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। इसके बावजूद कोरोना के प्रबंधन में राज्य सरकार ने संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखी है। हर वर्ग को राहत देने के साथ ही हम जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना से कोई मौत न हो और आजीविका भी सुचारू रहे। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वे इस विषम परिस्थिति में राज्यों को अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय दल ने राजस्थान की व्यवस्थाओं को देखकर जो सुझाव दिए हैं उनमें से अधिकतर पर राजस्थान पहले से ही काम कर रहा है। अन्य जो भी सुझाव दल ने दिए है, राज्य सरकार उन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अब निजी लैब में 800 रुपये में हो रहा कोरोना टेस्ट

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना हैल्थ वॉरियर्स के मनोबल को ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आमजन को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के उददेश्य से 'नो मास्क-नो एन्ट्री' तथा कोरोना के विरूद्ध जनआंदोलन जैसा सफल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ मास्क वितरित किए गए हैं। प्रदूषण से कोरोना रोगियों को बचाने के लिए राजस्थान में पटाखों पर बैन लगाया गया। शुरूआत में 4 हजार रुपये में होने वाले कोरोना टेस्ट को हमारी सरकार ने आम आदमी की पहुंच में ला दिया है और अब यह निजी लैब में 800 रुपये में ही हो रहा है।

केन्द्र से मिले अधिक सहयोग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने में और अधिक सहयोग करे। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में अन्य रोगियों को उपचार पहुंचाने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। राज्य सरकार कोरोना प्रबंधन की गहन मॉनिटरिंग कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने अब तक 105 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की हैं।

केन्द्रीय दल ने की राजस्थान के प्रयासों की सराहना

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में किए जा रहे कोरोना प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1 प्रतिशत से भी कम है, जो काफी बेहतर है। मुख्यमंत्री स्वयं गंभीरतापूर्वक कोरोना प्रबंधन की लगातार गहन समीक्षा कर महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं, जिनके चलते राजस्थान कोरोना की इस लड़ाई में अन्य कई राज्यों के मुकाबले आगे है। उन्होंने प्रदेश में शत-प्रतिशत टेस्ट आरटीपीसीआर पद्धति से किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान ने कई नवाचार करते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए गए जनआंदोलन एवं जन जागरूकता अभियान की भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की।

डॉ. पॉल ने मृत्यु दर 0.5 प्रतिशत तक लाने, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने, प्रभावी कन्टेनमेन्ट जोन, गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सीरो सर्वे एवं क्वारेंटीन व्यवस्थाओं पर सुझाव भी दिए। केन्द्रीय दल में केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशेषाधिकारी श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त निदेशक एनवीबीडीसीपी डॉ. अवधेश कुमार भी सम्मिलित थे। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना को लेकर राजस्थान के प्रबंधन से अवगत कराया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, एडीजी कानून-व्यवस्था श्री सौरभ श्रीवास्तव, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ●

'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलेगा निरन्तर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बार फिर 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान शुरू किया है। यह काम सिर्फ कुछ दिन तक ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरन्तर जारी रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्यस्तरीय कोर ग्रुप जिलों में की जा रही कार्रवाई तथा अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें।

श्री गहलोत 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर 'शुद्ध के लिए युद्ध' तथा कोविड-19 की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नम्बर-181 तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मौके पर ही मिलावट की जांच के लिए शुरू की गई मोबाइल लैब का उपयोग इस अभियान में प्रभावी रूप से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के कुशल प्रबंधन के कारण विगत दिनों में पॉजिटिव केसों की संख्या एवं मृत्यु दर में कमी आई है। इन प्रयासों को लगातार जारी रखा जाए। साथ ही आगामी दिनों में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि संभागीय मुख्यालयों के मुख्य कोविड अस्पतालों में आईसीयू सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। नर्सिंग सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए इन्टेंसिव केयर एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। आरयूएचएस अस्पताल में 5 नवम्बर से आईसीयू के 35 और बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि जिलों में जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लाउड स्पीकर, पोस्टर, स्टीकर, बैनर के साथ ही अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर हो रहा है। ●

गुड गवर्नेन्स के लिए सभी विभाग अपनाएं पेपरलैस सिस्टम

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समय, धन एवं संसाधनों की बचत के लिए आईटी एवं पेपरलैस गवर्नेन्स को वर्तमान की जरूरत बताया है। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलैस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ें। इससे न केवल संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन का संकल्प साकार होगा बल्कि आमजन को भी बेहतर सर्विस डिलीवरी हो सकेगी। वित्त विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई ई-पेन्शन तथा ई-लेखा प्रणाली का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने पेंशन एवं लेखा प्रणाली के सरलीकरण के लिए तैयार किए गए ई-पेंशन तथा ई-लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को जटिलता भरी औपचारिकताओं से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी तथा 30 से 35 साल तक सेवा कर रिटायर होने वाले कार्मिकों को मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही कार्मिकों के वेतन, मेडिकल, यात्रा आदि बिलों, संवेदकों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में सुगमता होगी।

ई-पेंशन एवं ई-लेखा सिस्टम पेपरलैस गवर्नेन्स की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही सरकारी भुगतान सिस्टम में सुधार होगा। ई-पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन स्वीकृति के लिए 40 पृष्ठों का जटिल प्रपत्र नहीं भरना होगा।

राज्य सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) शुरू की गई थी। ई-कुबेर, पे-मैनेजर, ई-ग्रास, राजकोष आदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को और सशक्त बनाया गया है। ई-पेंशन प्रणाली से हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 25 हजार से अधिक कार्मिकों को अपना पेंशन आवेदन पत्र भरने में 15 मिनट से भी कम समय लगेगा। ●

पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों के लिए 2167 नवीन पद सृजित

राज्य सरकार ने नवगठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में कार्यों के संचालन के लिए 2167 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का 3 नवम्बर को अनुमोदन किया।

विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाधिकारी - प्रथम और सहायक लेखाधिकारी - द्वितीय के 57-57 पद, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक कर्मचारी के 114-114 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 1426 पदों सहित कुल 2167 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती से नवगठित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का कार्य संचालन सुचारु रूप से चल सकेगा। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को इन पदों पर नियुक्ति के लिए अवसर मिलेंगे। नवसृजित पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावित पदों पर नियुक्तियों से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 77.14 करोड़ रुपये का वित्तीय भार अनुमानित है। ●

रिफाइनरी परियोजना के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़मेर में निर्माणाधीन पेट्रोलियम रिफाइनरी पूरे राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा सपना है जिसके साकार होने से राज्य में आर्थिक विकास नई बुलंदियों को छुएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को समय पर पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए परियोजना की सहभागी कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के साथ सभी स्तर पर पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए।

श्री गहलोत ने 3 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से रिफाइनरी परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा की। दो घण्टे से अधिक चली बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से एचपीसीएल कम्पनी की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। सरकार इस परियोजना को हर हाल में तय समय पर पूरा करना चाहती है। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब कम्पनी और सरकार एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें।

जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर पूरा होगा रिफाइनरी का काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान रिफाइनरी को पूरी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के आधार पर पूरा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले कार्यकाल में जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को समयबद्ध रूप से पूरा किया गया था। रिफाइनरी की तय समय पर स्थापना के लक्ष्य को भी उसी की तर्ज पर हासिल किया जाएगा।

अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए विशेष मॉनिटरिंग

श्री गहलोत ने कहा कि परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर हो रही है। इससे रिफाइनरी के विषय में सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ ही अन्तर्विभागीय मुद्दों का त्वरित समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ भी समन्वय किया जाएगा। सरकार तथा कम्पनी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

अधिकारियों को रिफाइनरी के कार्यों में पूरा सहयोग देने के निर्देश

श्री गहलोत ने प्रसन्नता जाहिर की कि अभी तक परियोजना के निर्माण कार्य अपेक्षा से अधिक तेज गति से हुए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण दुनियाभर में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन जैसी स्थितियों के कारण इस काम में बाधाएं आईं फिर भी रिफाइनरी का काम लक्ष्य के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को रिफाइनरी के काम में उनकी भूमिका के विषय में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए ताकि परियोजना के निर्माण कार्यों की गति बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों से परियोजना क्षेत्र के गांवों में अपेक्षित विकास कार्यों में भी गति लाने को कहा ताकि स्थानीय लोगों का परियोजना के साथ लगाव बढ़े और स्थानीय समुदाय इस प्रोजेक्ट के सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के निवासियों के लिए बाड़मेर रिफाइनरी एक बड़ा सपना है जिसके लिए उन्होंने बहुत लम्बा इंतजार और संघर्ष किया है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मुकेश सुराणा ने बताया कि कोविड-19 महामारी का रिफाइनरी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5200 लोग काम कर रहे हैं और आने वाले तीन माह में इनकी संख्या 10 हजार से अधिक हो जाएगी।

राजस्थान रिफाइनरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शेखर गायकवाड़ ने रिफाइनरी परियोजना की विशेषताओं, कोविड-19 के असर, निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रोजेक्ट के निर्माण पर 4700 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हो चुका है और विभिन्न निर्माण सामग्री के लिए 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। ●

'अभी मास्क ही वैक्सीन है' कोरोना वॉरियर्स वाहन रैली

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि जब तक कोरोना की दवा या वैक्सीन नहीं आये तब तक केवल और केवल 'मास्क ही वैक्सीन' है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार मास्क 90 प्रतिशत तक कोरोना संक्रमण की आशंका को रोक सकता है।

डॉ. शर्मा ने 2 नवम्बर को कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत कोरोना वॉरियर्स की वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल जन जागरूकता और सावधानी से ही कोरोना को हराया जा सकता है। राजस्थान में 2 मार्च को पहला कोरोना केस सामने आते ही राज्य सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर दी थी उसके बाद से अब तक विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही राज्य सरकार कोरोना से बचाव के निर्णय ले रही है।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सतर्कता के चलते प्रदेश में मृत्युदर की दर में निरंतर कमी आ रही है। कोरोना पॉजिटिव के नेगेटिव होने के बाद भी कई तरह की घातक बीमारियों की आशंका बनी रहती है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है। वाहन रैली के रूप में कोरोना वॉरियर्स का यह प्रयास जन जागरूकता आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही परिणाम है कि देशभर में राजस्थान द्वारा अपनाई सतर्कता और सजगता को सराहा गया है। इस अवसर पर अतिथियों का कोरोना बचाव किट और पौधे देकर स्वागत और सम्मान किया। वाहन रैली में करीब 200 वाहन शामिल हुए। ●

खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य में खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न पहली बार हुई नियुक्तियां

प्रदेश में खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है। प्रदेश के खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में यह पहली बार हुआ है।

प्रवर्ग 'क' के 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान शिक्षा विभाग एवं तकनीकी अभियांत्रिकी सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। इनमें से 6 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस एवं 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है।

इसी प्रकार प्रवर्ग 'ख' में 11 खिलाड़ियों को पुलिस उप निरीक्षक, एक खिलाड़ी को आबकारी रक्षक, पांच खिलाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा एक खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-द्वितीय के पद पर नियुक्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को वर्तमान में मिलने वाले दैनिक भत्ते को भी दोगुना करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 300 रुपये के स्थान पर 600 रुपये मिलेंगे।

श्री गहलोत के महत्त्वपूर्ण निर्णयों से प्रदेश में खेलों का नया वातावरण तैयार होगा और खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ●

कोरोना संक्रमण को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाए

जागरूकता अभियान का मोमेंटम बरकरार रखें

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि त्यौहारी सीजन एवं सर्दी के मौसम को देखते हुए कोविड-19 को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएं। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिली कामयाबी को बरकरार रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं अधिक भीड़ एकत्रित नहीं करने जैसे उपायों पर पूरा फोकस रखा जाए।

श्री गहलोत 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री का पता लगाकर वे जिन लोगों के सम्पर्क में आए हों, उनकी टेस्टिंग की जाएं। उन्होंने कहा कि किसी परिवार में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने पर परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट किया जाए। पोस्ट कोविड लक्षण वाले मरीजों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाई जाएं। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों के सैम्पल टेस्ट करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोरोना से मृत्युदर पिछले दिनों में अचानक बढ़ी है। ऐसे में प्रदेश में भी किसी तरह की ढ़िलाई नहीं बरतें। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए उसके अनुरूप तैयारियां पहले से ही रखने के निर्देश दिए। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अधिकारियों की टीम बनाकर विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने को कहा।

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर शुरुआत से ही जो मोमेंटम अभी तक प्रदेश में बना हुआ है उसकी गति धीमी नहीं हो इस बात का पूरा ध्यान रखें। जन आंदोलन एवं कोरोना जागरूकता अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर जिलों में सीएमएचओ, पीएमओ एवं अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की नियमित तौर पर प्रभावी समीक्षा करें। उन्होंने हेल्पलाइन नम्बर '181' का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि आमजन इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। उन्होंने गैर कोरोना बीमारियों के इलाज के लिए शुरू की गई 550 मोबाइल ओपीडी वेन का रोगियों के उपचार में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने एवं इनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान की प्रगति एवं उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी ली।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कोविड-19 को लेकर जिला स्तर पर पर्याप्त मॉनिटरिंग पर जोर दिया। तहसील मुख्यालय स्तर तक सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सुपर स्प्रेडर्स पर विशेष फोकस करते हुए अभियान चलाकर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति एवं विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान की प्रगति के बारे में भी प्रस्तुतीकरण दिया। शासन सचिव, स्थानीय निकाय श्री भवानी सिंह देथा ने कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभागवार प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत तीन हजार के करीब वाहनों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पोस्टर, बैनर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ●

अनिवार्य एफआईआर नीति से पुलिस के प्रति विश्वास में इजाफा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि थानों में हर फरियादी की सुनवाई सुनिश्चित करने तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने की दिशा में राजस्थान ने जो नवाचार किए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने थानों में प्रत्येक फरियादी की एफआईआर दर्ज करने के लिए 'फ्री रजिस्ट्रेशन नीति' अपनाने का साहस दिखाया है। इससे परिवादों के पंजीकरण में भले ही बढ़ोतरी हुई हो लेकिन इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि वास्तविक रूप में अपराध भी बढ़े हों।

श्री गहलोत 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर 'महिला एवं बाल सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए कर्तव्य एवं अधिकार' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में इस नीति को लागू करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जल्द ही इस संबंध में वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने की राजस्थान की अनिवार्य एफआईआर नीति को अपनाने के लिए देशव्यापी वातावरण बनें, इसके लिए राजस्थान राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार आयोजित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा पूरे देश के लिए अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है। खासकर महिला उत्पीड़न की घटनाएं हम सभी के लिए चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं पर हमेशा तत्परता से जमीनी स्तर तक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की है। अलवर के थानागाजी प्रकरण में पुलिस ने जिस तरह अपनी प्रोफेशनल एप्रोच से अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाबी पाई और पीड़िता को समय पर न्याय दिलाया, दुष्कर्म के अन्य मामलों में यह प्रकरण राज्य पुलिस के लिए तफ्तीश का मॉडल बनें।

श्री गहलोत ने कहा कि अनिवार्य एफआईआर की नीति, सभी पुलिस जिलों में स्पेशल इनवेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन के गठन, थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण तथा उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग जैसे कदमों के कारण राज्य में पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिलने में मदद मिली है।

वेबिनार में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बालकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन आदि के माध्यम से उनकी चिकित्सकीय एवं विधिक काउंसलिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति योजना लागू की है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में थानों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की दिशा में सराहनीय पहल की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को 'गुड टच-बैड टच' तथा बाल अधिकारों की रक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर ने प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने तथा इस विषय पर जनचेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 'आवाज' के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स श्री आर.पी. मेहरड़ा ने आभार व्यक्त किया। ●

गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को पूरे सम्मान और सेवाभाव के साथ मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'इंदिरा रसोई' का शुभारम्भ किया। सूचना क्रांति के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती 'सद्भावना दिवस' के अवसर पर नारी सशक्तीकरण की प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर प्रारम्भ हुई इस योजना से हर वर्ष करीब 4.87 करोड़ लोगों को ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा।

श्री गहलोत ने प्रदेशभर के 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि महान् नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबों, पिछड़ों, वंचितों एवं असहाय लोगों के कल्याण के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीस सूत्री कार्यक्रम प्रारम्भ किया। भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति जैसा सफल अभियान चलाया। उनकी स्मृति में राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ किया है। यह योजना हमारी संवेदनशील सोच का परिचायक है।

लाभार्थियों ने कहा बाजार में 10 रुपए की एक रोटी इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जोधपुर, जयपुर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, सिरोही, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर प्रारम्भ हुई इंदिरा रसोई को संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से भी बात की। लाभार्थियों ने इस योजना की शुरुआत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में जहां 10 रुपए में एक रोटी मिल पाती है वहीं इस योजना के माध्यम से गरीबों को मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जनकल्याणकारी भावना को दर्शाता है।

जनकल्याण की योजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने इस योजना में सहयोग करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को साधुवाद देते हुए कहा कि 'कोई भी भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण की ऐसी योजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। कोरोना के दौर में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने सेवा की भावना के साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में आगे बढ़कर जो सहयोग किया वह सराहनीय है।

स्थानीय स्वाद के अनुसार मिलेगा भोजन

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में लोगों को सम्मानपूर्वक बैठाकर ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता पर विशेष

ध्यान दिया जाएगा। साथ ही योजना में पूर्ण पारदर्शिता रखने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। भोजन का मेन्यू सभी स्थानों पर एक जैसा न होकर स्थानीय स्वाद के अनुसार होगा।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के सम्मान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। अब स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी योजना की शुरुआत करना एक बेहतरीन पहल है।

योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं अस्पताल जैसे स्थानों पर प्राथमिकता के साथ की जा रही है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 20, कोटा एवं जोधपुर में 16-16, अजमेर, बीकानेर एवं उदयपुर में 10-10, भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में पांच, 34 नगर परिषदों में तीन-तीन तथा 169 नगर पालिका क्षेत्रों में एक-एक रसोई प्रारम्भ की जाएगी। योजना पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ●

प्रदेश की पर्यटन नीति से मिलेगा पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पर्यटन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। इससे प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। प्रदेश में करीब 20 साल बाद लाई जा रही पर्यटन नीति से कोविड-19 के कारण संकट का सामना कर रहे पर्यटन क्षेत्र को पुन: पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री गहलोत ने पर्यटन विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों से भी संवाद किया और पर्यटन को गति देने के लिए उनके सुझाव भी जाने।

श्री गहलोत ने कहा कि मेले एवं उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ज्यादा से ज्यादा देशी एवं विदेशी पर्यटक इनसे जुड़ सकें इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाएं। पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़, बूंदी उत्सव सहित अन्य मेलों एवं उत्सवों की नए सिरे से ब्रांडिंग की जाएं। इनमें नई सोच के साथ ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे पर्यटक आकर्षित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बड़ी संख्या में प्राचीन एवं पुरामहत्त्व के धार्मिक स्थल हैं। अधिकारी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन धार्मिक स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने कहा कि भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पानी की समस्या दूर करने के लिए स्थायी हल निकाला जाएं।

श्री गहलोत ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर लपकों की समस्या के कारण सैलानियों के द्वारा ठगी की शिकायतें भी सामने आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर साफ-सफाई एवं सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएं।

पर्यटन राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोरोना के इस समय में वर्चुअल सेमिनार, मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन जैसे नवाचार अपनाए जा सकते हैं। नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार है जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के कारण पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अनलॉक के तहत जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियों को अनुमत किया जा रहा है वैसे-वैसे इस क्षेत्र को भी गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि पर्यटन क्षेत्र से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इसका राज्य की जीडीपी में बड़ा योगदान है। विभाग प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ●

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता से हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि थानों में प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई हो और उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े।

श्री गहलोत 7 अक्टूबर रात को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा कर रहे थे। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित अपराधों, संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने आदि विषयों पर गहन समीक्षा की और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा एफआईआर दर्ज करने की नीति लागू की है। उच्च स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि इस्तगासों के जरिए दर्ज होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में अदालत के जरिए 156(3) के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर की संख्या 31 प्रतिशत से घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गई है।

श्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए प्रदेश के सभी 41 पुलिस जिलों में गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन का असर है कि दुष्कर्म तथा पोक्सो केसेज की तफ्तीश में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पहले जहां इन अपराधों के अनुसंधान में पुलिस को औसत रूप से 278 दिन का समय लगता था वहीं इस यूनिट के गठन तथा मॉनिटरिंग के कारण इस समय में 40 प्रतिशत तक कमी आई है और अब 113 दिन का औसत समय लग रहा है।

श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से थानों में हर फरियादी की एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की जो व्यवस्था की हुई है उसी प्रकार की व्यवस्था सभी राज्यों में करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण तथा जघन्य अपराधों की जांच के लिए गठित यूनिट की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग जागरूकता अभियान चलाएं। इसमें राजीविका से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं का सहयोग लिया जाए। श्री गहलोत ने कम्यूनिटी पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए सीएलजी को और सक्रिय करने, ग्राम रक्षकों को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं लेने के निर्देश भी दिए।

गृह सचिव जांच अधिकारी नियुक्त

बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने बताया कि डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में बीते दिनों हुए घटनाक्रम से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए गृह विभाग के शासन सचिव श्री एन.एल. मीना को नियुक्त किया गया है।

बैठक में बताया गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि एफआईआर दर्ज होने के आंकड़ों में वृद्धि का अभिप्राय अपराधों में वृद्धि से नहीं लगाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि राजस्थान के थानों में लंबित जांचों का प्रतिशत सबसे कम है।

मुख्यमंत्री ने अलवर के थानागाजी में हुए बलात्कार प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश की सराहना भी की जिसके कारण अपराधियों को सींखचों के पीछे तक पहुंचाने में सफलता मिली। ●

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना : मेट्रो फेज-1बी का ई-लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का 23 सितम्बर को वीसी के माध्यम से ई-लोकार्पण किया और वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रवाना की। जयपुर शहर के परकोटे में मेट्रो फेज वन-बी के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.12 किलोमीटर तक यह मेट्रो ट्रेन चलेगी।

लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो चलने से जयपुर आने वाले पर्यटकों को परकोटे के अन्दर आवागमन में आसानी होगी और यातायात पर दबाव भी कम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 सितंबर, 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मेट्रो फेज वन-बी का शिलान्यास किया था तब इस फेज के ढाई साल में पूरा होने की उम्मीद थी लेकिन सरकार बदलने के बाद काम की गति धीमी हो गई और मार्च, 2020 में यह पूरा हुआ।

मेट्रो चलाने में हमने घाटा या मुनाफा नहीं देखा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में 2010 में मेट्रो का काम शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मेट्रो ट्रेन चलाने में घाटा या मुनाफा नहीं देख रही है क्योंकि लोगों को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराना सरकारों की सामाजिक जिम्मेदारी है।

मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाशी जाएं

मुख्यमंत्री ने मेट्रो फेज-वन बी को पूरा करने में दिए गए सहयोग के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कम लागत वाले मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट को प्रदेश में शुरू किए जाने की संभावनाएं देखने का भी आग्रह किया। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना में जोधपुर एवं बीकानेर जैसे शहरों को जोड़ने की भी मांग की ताकि वहां भी शहरी विकास के काम हो सकें।

ट्रेन ऑपरेटर शैफाली की हौसला अफजाई की

श्री गहलोत ने जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एवं डीएमआरसी को जयपुर शहर के परकोटे का हैरिटेज लुक बनाए रखते हुए भूमिगत रेल लाइन का काम पूरा करने के लिए बधाई दी। परियोजना में योगदान देने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों को भी बधाई दी। उन्होंने प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन की ऑपरेटर सुश्री शैफाली से बात कर उनकी हौसला अफजाई की।

सस्ती एवं आरामदायक यात्रा सुलभ होगी

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि जयपुर में जब मेट्रो की शुरुआत हुई तब किसी भी टू-टियर शहर में मेट्रो ट्रेन नहीं थी। पिछली सरकार के समय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इच्छा शक्ति से ही यह संभव हो पाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भूमिगत मेट्रो शुरू होने से जयपुर के लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित,

प्रदूषण रहित, सस्ती एवं आरामदायक यात्रा सुलभ होगी। इससे परकोटे में ट्रैफिक जाम से भी काफी हद तक निजात मिलेगी।

मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी एवं किशनपोल विधायक श्री अमीन कागजी ने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से कार्यक्रम में संबोधन दिया।

हैरिटेज को संरक्षित रखते हुए किया भूमिगत लाइन का काम

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भास्कर सावंत ने बताया कि हैरिटेज में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए यह विश्व स्तरीय परियोजना पूरी की गई है। उन्होंने बताया कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 12 किमी. की यात्रा अब 26 मिनट में पूरी हो जाएगी। महत्त्वपूर्ण कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आर्ट गैलेरी भी बनाई गई है। भूमिगत लाइन में अत्याधुनिक टनल वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। बड़ी चौपड़ एवं छोटी चौपड़ स्टेशनों पर सभी खंदों से स्टेशन में प्रवेश के लिए द्वार बनाए गए हैं। दोनों स्टेशनों को राजस्थान की वास्तुकला के अनुरूप भव्य एवं आकर्षक रूप दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों स्टेशनों पर कुल 18 एस्केलेटर एवं 6 लिफ्ट लगाई गई हैं। परियोजना की कुल लागत 1126 करोड़ रही।

वीसी के माध्यम से लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़े केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार शहरी यातायात के विकास के साथ ही अफोर्डेबल एवं लो-कोस्ट मेट्रो परियोजनाओं पर फोकस कर रही है। इसका लाभ टू-टियर शहरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देशभर में 910 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन का काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी डॉ. मांगू सिंह ने उम्मीद जताई कि मेट्रो फेज वन-बी शुरू होने से जयपुर शहर का परिदृश्य बदलेगा और यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छी यातायात सुविधा मिलेगी। जयपुर मेट्रो के निदेशक (ऑपरेशन) श्री मुकेश कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्रा के लिए समस्त इंतजाम किए गए हैं। ●

राज्य सरकार का ध्येय : निरोगी राजस्थान

आरयूएचएस अस्पताल में नए आईसीयू वार्ड, 6 जिलों में लैब, एमडीएम अस्पताल में कैंसर वार्ड का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि इसके संक्रमण को किसी भी स्तर पर छिपाया नहीं जाएं क्योंकि इलाज में देरी से यह रोग घातक हो जाता है। जिन लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को छिपाने के लिए समय पर जांच और इलाज नहीं करवाया उन्हें बाद में गंभीर बीमार होकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है।

श्री गहलोत 28 नवम्बर को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) अस्पताल, जयपुर में 70 बेड वाले नए कोविड आईसीयू, 6 जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट लैब तथा मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में अत्याधुनिक कैंसर उपचार वार्ड तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच की दर 800 रुपये प्रति सैम्पल कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की अधिकाधिक जांच और समुचित इलाज के लिए पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और अब हर जिले में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। टोंक, प्रतापगढ़, राजसमन्द के नाथद्वारा, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बूंदी में टेस्ट लैब का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोरोना की निःशुल्क जांच के लिए लैब कार्यशील कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी को छिपाने की बजाय समय पर जांच और इलाज करवाना चाहिए।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोरोना महामारी से लोगों का जीवन और आजीविका को बचाया जाएं। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों से राजनैतिक मतभेदों

को दूर रखकर सरकार के साथ खड़े होने तथा रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में शुरुआत से ही प्रदेश के हर वर्ग ने राज्य सरकार का भरपूर साथ दिया है, जिसके चलते हम राजस्थान में बेहतरीन प्रबंधन कर पाए हैं।

निजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच की दर 800 रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में राजस्थान और तमिलनाडु ही दो राज्य हैं जहां कोरोना की जांच के लिए 100 प्रतिशत टेस्ट सबसे विश्वसनीय पद्धति आरटी-पीसीआर से किए जा रहे हैं। सभी जिलों में निःशुल्क सरकारी जांच व्यवस्था के साथ ही हमने निजी लैब और अस्पतालों में न्यूनतम दर पर आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। अब निजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच की वर्तमान दर को 1200 रुपये से घटाकर 800 रुपये प्रति सैम्पल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय 'निरोगी राजस्थान' बनाने का है जिसके लिए अभियान शुरू किया गया था। इस बीच मार्च माह में कोरोना संक्रमण फैल गया लेकिन अब इस अभियान को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में स्वास्थ्य मित्रों का भी चयन किया गया है जिनका निरोगी राजस्थान अभियान में सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है।

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह सभी वर्गों को साथ लेकर कोरोना महामारी का सामना किया है उसके लिए पूरे देश में मुख्यमंत्री श्री गहलोत की सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में जांच सुविधा होने से आम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने का सुझाव दिया। डॉ. जोशी ने कहा कि हर स्तर के स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी को फोन से विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिलने से स्वास्थ्य ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में नए आईसीयू वार्ड के बाद अब यहां कुल 205 आईसीयू बेड उपलब्ध हो गए हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त 70 बेड वाले आधुनिकतम आईसीयू वार्ड पर 8 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत आई है। इसके साथ ही यहां 1,000 ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध हैं और सीटी-स्कैन की सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जिसके हर एक जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर लैब स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में ये टेस्ट लैब संचालित भी कर दी गई हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 38 सरकारी और 23 निजी लैब में कोरोना की जांच की जा रही है। राजस्थान ने एक दिन में 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है। ●

विधानसभा में कोविड प्रबंधन

- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

कोरोना का पहला मामला 17 नवम्बर 2019 को चीन में सामने आया था, जिसे ठीक एक साल पूरा हो गया है। दुनिया में अब तक इससे बचाव की कोई वैक्सीन नहीं आई है। उम्मीद है वेक्सीन जल्द ही लोगों तक पहुंच जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इससे बचाव का प्रबंधन ही वैक्सीन है। कोरोना अर्थात् कोविड-19 के बचाव प्रबंधन में सफल रहते हुए सत्र पूरा कराने वाली संसदीय संस्थाओं में राजस्थान विधानसभा को अग्रणी कहा जा सकता है। हालांकि यह चुनौती आसान नहीं थी कोरोनाकाल में राजस्थान विधानसभा का सत्र अगस्त में शुरू हुआ। पहले छह माह में सत्र बुलाने की बाध्यता के बावजूद बमुश्किल एक-दो प्रदेशों में संसदीय संस्थाओं के सत्र आहूत हो पाए थे। यहां तक कि विधायी कार्य पूरा कराना भी एक चुनौती बना हुआ था, जबकि विधायी कार्य प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाता है।

राजस्थान विधानसभा के सत्र से पहले जहां भी सत्र का आयोजन हुआ, वहां सत्र के दौरान आने वाले विधायकों और कर्मचारियों के लिए बेहद सख्ती वाले प्रावधान किए गए थे। दूसरे देशों में भी संसदीय संस्थाओं ने डिजिटल तरीके से ही सत्र की औपचारिकताएं पूरी कराई थीं। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सत्र भी राजस्थान विधानसभा के सत्र के बाद हुए। संसद के सत्र के आयोजन के लिए गहन और लंबा विचार मंथन का दौर चला, उसके बाद ही सत्र का आयोजन हो पाया। प्रदेश में सत्र के आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने न केवल सजगता बरती, बल्कि सत्र के सहजता से संचालन के लिए सभी व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी किया। यहां तक कि कोविड-19 से संक्रमित विधायक को भी सत्र में भाग लेने के लिए अलग से व्यवस्था कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मान

बढ़ाया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. जोशी ने सत्र के दो चरणों में कई महत्त्वपूर्ण विधायी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कराकर सफल प्रबंधन का रास्ता प्रशस्त किया। इसके बाद तो कई राज्यों की विधानसभाओं के सत्रों का आयोजन हुआ। हालांकि यह सुखद रहा कि किसी भी जगह संसदीय संस्थाओं के सत्रों के आयोजन से कोविड-19 के प्रवेश को बढ़ावा नहीं मिला।

विधानसभा सत्र के दौरान सभी 200 विधायक आसानी से और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकें इसके लिए 315 सीटों का इंतजाम किया गया। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रखा गया। इसी बदलाव के बीच सरकार के विश्वासमत से लेकर कृषि कानूनों व अन्य महत्त्वपूर्ण विधायी कार्य पूर्ण कराए गए।

सत्र की शुरुआत से पहले कोविड-19 के संक्रमण को लेकर प्रदेश के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने इसकी भयावहता को देखते हुए बचाव के उपायों की सुनिश्चितता पर जोर दिया परन्तु विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी के निर्देशों की अनुपालना कर सचिव श्री प्रमिल कुमार माथुर के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी टीम ने सत्र के लिए प्रबंधन में पूरी सजगता और मुस्तैदी बरतते हुए सफलता हासिल की। यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि विधानसभा स्टाफ ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आक्रामक नीति को अपनाया।

कोरोनाकाल में ही सत्र के अलावा राज्यसभा के तीन सदस्यों के लिए चुनाव का अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य भी विधानसभा में सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। कोविड-19 की चुनौती को देखते हुए डॉ. सी. पी. जोशी द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों की पालना में पक्ष-विपक्ष सभी ने विधानसभा सचिवालय का पूरा साथ दिया। कोई व्यवधान या खतरा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मास्क पहनने, थर्मोस्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे आवश्यक इंतजाम किए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जोशी के दिशा-निर्देश पर कोविड प्रबन्धन का बेहतर तरीके से पालन कराया गया। इसी का नतीजा रहा कि विधानसभा सत्र के दो चरणों के दौरान कोविड-19 का वायरस विधानसभा की सुरक्षात्मक दीवार में सेंध तक नहीं लगा पाया।

कोविड-19 का सदन में प्रवेश नहीं हो, इसके लिए विधानसभा सदस्यों, अधिकारियों और अन्य सभी की गाड़ियों को सेनेटाइज करके ही परिसर में प्रवेश कराया गया। हर द्वार पर सेनेटाइज करने के लिए मशीन लगाई गई ताकि कोई भी अपने साथ कोविड-19 वायरस को सदन में नहीं ले जा सके। हर द्वार पर हाथों को सेनेटाइज करने के लिए सेनेटाइजर का पूरा प्रबंध किया गया। सदन और विधानसभा परिसर में कोई कागज और फाइल बिना सेनेटाइज हुए नहीं जाने की सख्त हिदायत की पालना भी बेहतर तरीके से कराई गई।

आमतौर पर पहले जितने लोग सत्र के दौरान अन्य विभागों से विधानसभा में आते थे उनके मुकाबले तकरीबन 10 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया गया। विधायकों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों की पूरी टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ विधानसभा में तैयार रखा गया। यदि कोई विधायक संक्रमित हो जाये तो उसे सत्र में भाग लेने का पूरा मौका मिल सके, इसके लिए भी प्रबंध किये गये और उनसे अन्य विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया। यहां तक कि पीपीई किट और कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए भी पुख्ता इंतजामात किये गए। सत्र की विधायी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इसके सफल संचालन में कोविड-19 वायरस कोई बाधा नहीं बन पाया। संक्षिप्त में कहा जाए तो कोविड-19 वायरस हार गया और इससे बचाव के प्रयासों से विधानसभा का प्रबंधन जीत गया। ●

जल संसाधन में राज्य की देशभर में सराहना

- मनमोहन हर्ष

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में जल संधाधन विभाग ने प्रदेश के काश्तकारों के दूरगामी हितों के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ अनेक ऐतिहासिक कार्य कर विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। जहां एक ओर प्रदेश के विभिन्न भागों में किसानों के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के सृजन पर हजारों करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, वहीं समय की मांग के अनुरूप जल की बचत और संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास करते हुए बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को लागू कर प्रदेश में कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की संस्कृति विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की सोच के अनुरूप अंतिम छोर पर बैठे काश्तकारों के सरोकारों को ध्यान में रखकर जल संसाधन तंत्र के आधुनिकीकरण, पारदर्शी तरीके से जल प्रबंधन एवं नहरी पानी के वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने में भी विभाग ने विगत दो सालों में अलग हटकर कार्य किया गया है, जिसके कारण राजस्थान को देशभर में सराहना मिली है। प्रदेश में जल संचयन प्रबन्धन, सहभागिता दृष्टिकोण से समेकित जल संसाधन प्रबन्धन, सौर पम्पों से सूक्ष्म सिंचाई तथा सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन जैसे विशिष्ट कार्यों से सकारात्मक परिणाम हासिल किए गए हैं। इन कार्यों से जहां किसान वर्ग को बड़ा फायदा हुआ है, वहीं इनकी बदौलत राजस्थान को मौजूदा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी नवाजा गया है।

परियोजनाओं पर 3 हजार 803 करोड़ के व्यय से 17 हजार 448 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा

मौजूदा सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 में कार्य आरम्भ करने के बाद जल संसाधन विभाग ने प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर अब तक 3803.48 करोड़रुपये का व्यय किया है। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किसान वर्ग के लिए 17 हजार 448 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागु किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान सीमा में वितरिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान सरकार द्वारा इसके लिए 200.11 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। झालावाड़ जिले में परवन परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पेयजल, वन्य अभ्यारण एवं तापीय विधुत परियोजना के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए गत दो सालों में राज्य सरकार ने 922.54 करोड़ रुपये खर्च करते हुए कार्यों को नई दिशा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा धौलपुर लिफ्ट परियोजना से धौलपुर, राजखेड़ा और सैपऊ के 234 गांवों में 35 हजार 850 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजन के लिए 279.15 करोड़ रुपये तथा कोटा जिले में नवनेरा बैराज के कार्यों के लिए भी 150.99 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में ल्हासी, गागरिन,

सात प्रतिष्ठित पुरस्कारों ने बढ़ाया प्रदेश का मान

प्रदेश को नवम्बर 2020 में जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2019 के तहत सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों मे तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित ऑन-लाईन समारोह में राजस्थान की ओर से जल संसाधन विभाग के शासन सचिव श्री नवीन महाजन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह गत करीब 15 माह की अवधि में राजस्थान को राष्ट्रीय पर मिला सातवां बड़ा पुरस्कार था। इससे पहले राजस्थान को सितम्बर 2019 में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन के तहत दो पुरस्कार हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। जल संरक्षण, वृद्धि एवं संरक्षण की श्रेणी में नर्मदा नहर परियोजना सांचौर के लिए प्रथम तथा पानी के उपयोग की दक्षता 20 प्रतिशत बढ़ाने की श्रेणी में आईजीएनपी स्टेज-2 के अन्तर्गत तेजपुरा माईनर के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला था। फरवरी 2020 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिंचाई और शक्ति के सीबीआईपी पुरस्कार-2020 के तहत एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रणाली तथा सहभागी सिंचाई प्रबंधन श्रेणी में सम्पूर्ण राजस्थान को पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार अगस्त 2020 में जल इनोवेशन शिखर सम्मेलन में जल नवाचार पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य जल बोर्ड की श्रेणी में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड तथा नव प्रौद्योगिकी का समावेशन की कैटेगरी में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

राजगढ़, तकली, गरड़दा एवं हथियादेह जैसी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विकास पर 217.45 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इन परियोजनाओं से 42 हजार 798 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना में देश में पहला स्थान

देश में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी-डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) में 18 राज्यों को शामिल किया गया है। देश के इन सभी राज्यों से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सजग प्रयासों से राजस्थान पहले पायदान पर काबिज हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत जल संसाधन विभाग में समय की आवश्यकता के अनुरूप परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कुशल एवं श्रेष्ठ मानव संसाधन तैयार के पहलू पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

डीआरआईपीके तहत विभाग के चयनित अभियंताओं को विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है, जो विभागीय प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल में विभाग द्वारा 13 बाधों की डीपीआर तैयार कर अनुमोदन के लिए सीडब्ल्यूसी-सेन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी गई है, इनमें से 7 डीपीआर का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिनकी निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है।

आधुनिकीकरण से नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट में दूसरा स्थान

राज्य सरकार द्वारा गत दो सालों में प्रदेश में राष्ट्रीय हाईड्रोलोजी परियोजना के तहत आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि इस परियोजना में इस साल (2020) राजस्थान ने राष्ट्रीय फलक पर 18वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर छलांग लगाने में कामयाबीं हासिल की है। इससे पहले वर्ष 2018 में राजस्थान इस प्रोजेक्ट में देश में 18 वें स्थान पर था। आधुनिकीकरण की बानगी देखें तो गत दो सालों में प्रदेश में 147 स्वचालित वर्षामापी यंत्र व 112 स्वचालित नदी/बांध गेज संयंत्र स्थापित किये गए हैं। इनके माध्यम से आमजन को सतत् एवं सटीक डाटा सेटेलाईट की सहायता से आनलाइन उपलब्ध होंगे।

पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए स्काडा सिस्टम

जल संसाधन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से जल प्रबंधन तथा नहरी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में प्रथम बार स्काडा सिस्टम को बीसलपुर बांध पर लागू कर इसकी मॉनिटरिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया गया है। पाली जिले में जवाई बांध तथा बूंदी जिले में गुढ़ा बांध के अलावा गंग-भांखडा नहर प्रणाली एवं नर्मदा नहर परियोजना को भी स्काडा सिस्टम के तहत लाने के लिए कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जबकि माही बांध की निविदा प्रक्रियाधीन है।

माइक्रो इरिगेशन – जल संरक्षण का मंत्र

प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं जल की बचत के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मौजूदा कार्यकाल में अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने की पहल की है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत कुल 4.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 10 से 12 प्रतिशत क्षेत्र के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त हो रही वर्तमान सब्सिडी के अलावा 5 से 25 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के तरीकों में पारंगत हो सके। इसके साथ ही प्रदेश के 10 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू की जा रही है।

कोरोना काल में रोजगार के अवसरों से राहत

जल संसाधन विभाग ने कोविड महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की दृष्टि से संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए गए है। विभाग ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न विकट स्थितियों में ग्रामीणों को राहत देने के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 50 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया। इसके तहत करीब 25 लाख मानव दिवस सृजित कर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया गया। इसी प्रकार कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद कार्यों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए संवेदकों की लम्बित देनदारियों के भुगतान को भी विभाग द्वारा पूरी तवज्जो दी गई। कार्यों पर लगे श्रमिकों, सामग्री आपूर्ति एवं परिवहन में लगी श्रम शक्ति को दैनिक खर्चों के भुगतान और व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में आसानी हुई। इस दिशा में विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर वित्त विभाग के सहयोग से मई 2020 में लगभग 2750 लाख रुपये तथा जून 2020 में लगभग 32 हजार 143 लाख रुपये का भुगतान संवेदकों को उनकी लम्बित देनदारियों के विरूद्ध किया गया।

सरहिन्द फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की री-लाईनिंग का ऐतिहासिक कार्य

राज्य सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल में जल संसाधन विभाग की कुछ और महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों की बात की जाए तो जल उपयोगिता दक्षता वृद्धि की दृष्टि से सरहिन्द फीडर और इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की री-लाईनिंग का ऐतिहासिक कार्य सम्पादित किया गया है। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान वाटर सैक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एनडीबी द्वारा वित्त पोषित), राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (जायका द्वारा वित्त पोषित), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पहल जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी विशेष रहे हैं। ●

प्रवासी पक्षियों के स्वागत को तैयार सांभर झील

- धर्मिता चौधरी

भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील के सौन्दर्य में उस समय चार चांद लग जाते हैं जब सुदूर देशों से आये हुए प्रवासी पक्षी पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं।

जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सांभर झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुस्तैदी के साथ तैयारियां कर ली हैं। पिछले वर्ष सांभर झील में बोटयूलिज्म नामक बीमारी होने से हजारों की तादाद में पक्षियों की मौत हो गयी थी। इस बार ऐसा नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन सचेत एवं सतर्क है। पिछले साल की परिस्थितियों को देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए झील किनारे अस्थाई रेस्क्यू सेन्टर बनाया गया है। इसके अलावा वाटर पोण्ड ट्रीटमेन्ट के लिए टेन्ट भी लगाया गया है।

पिंजरों को किया जा रहा है अपग्रेड

सांभर झील के प्रबंधन हेतु एक योजना बनाई गई है जिसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्टेंडिंग कमेटी कोर मैनेजमेन्ट ऑफ सांभर लेक की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसके तहत वन विभाग द्वारा घायल पक्षियों के त्वरित उपचार हेतु काचरोदा नर्सरी में अस्थायी रेस्क्यू सेंटर स्थापित कर उसे दुरूस्त कर दिया गया है। काचरोदा नर्सरी को बर्ड रेस्क्यू सेन्टर डिक्लेयर करवाने के प्रयास भी जारी है। इसके साथ ही घायल पक्षियों के लिए लाए गए पिंजरों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में रतन तालाब पर अस्थायी रेस्क्यू सेन्टर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है जिसमें रेस्क्यू, पिंजरें, कमरे, आईसीयू समेत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

सांभर झील व आसपास के क्षेत्रों में जीपीएस आधारित एप्स की सहायता से निरन्तर की जा रही है गश्त

काचरोदा नर्सरी में जागरूकता शिविर आयोजित कर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान, बी.एन.एच.एस., एस.ए.सी.ओ.एन., एन.आई.एच.एस.ए.डी., आई.वी.आर.आई. आदि भारत सरकार एवं

राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से शोध एवं बचाव आदि कार्यों के लिए समन्वय भी किया जा रहा है। सांभर झील एवं आस-पास के जल क्षेत्रों में निगरानी हेतु जी.पी.एस. आधारित एप्स की सहायता से निरन्तर गश्त की जा रही है जिसके आधार पर प्रतिदिन गश्त किए गए क्षेत्र का ट्रेक गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। प्रवासी पक्षियों की निगरानी एवं गणना, घायल एवं बीमार पक्षियों की पहचान, एकत्रीकरण, उपचार, प्राकृतिक आवास में छोड़ने तथा आस-पास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान हेतु वन विभाग के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के तीन दल गठित किए गए है।

ग्रामवासियों को भी किया जा रहा है जागरूक

निगरानी एवं गणना कार्यक्रमों के साथ नजदीकी ग्रामवासियों को भी सांभर झील एवं उसमें आने वाले प्रवासी पक्षियों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। ग्रामवासियों को खुले में मृत जानवर नहीं डालने, आवारा कुत्तों से पक्षियों को बचाने हेतु सक्रिय योगदान देने तथा घायल पक्षी पाए जाने पर वन विभाग को सूचित करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

जयपुर, अजमेर, नागौर तक फैली इस झील के माध्यम से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। अरावली के शिष्ट और नाइस के गर्त में भरा हुआ गाद ही नमक का स्रोत है। गाद में स्थित विलयशील सोडियम यौगिक वर्षा के जल में घुलकर नदियों द्वारा झील में पहुंचता है और जल के वाष्पन पश्चात् झील में नमक के रूप में रह जाता है। ●

यह शिल्प राजस्थान की उन दिव्य आत्माओं का अभिनंदन है जिन्होंने अपने अंगदान करके जरूरतमंद लोगों को जीवन और उम्मीद दी है। ''वो साथ नहीं पर साथ रहें''।

अपनी जीवन यात्रा के बाद भी मैं यही रह जाऊंगा। किसी अन्य के साथ एकात्मकता में जीवित रहूंगा, यही जीवन चक्र है, जो अनंत है।

यह शिल्प जयपुर के प्रसिद्ध जंतर-मंतर से प्रेरित है और इसमें चित्रित जीवन ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता, करुणा और प्रेम का संदेश है।

अंगदाता स्मारक

अंगदाता दिवस 27 नवम्बर को अंगदाता स्मारक का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। पृथ्वीराज रोड स्थित तिराहे पर स्मारक का निर्माण किया गया है। मानव सेवा के लिए अंगदान करने वाले अंगदाताओं के योगदान को दर्शाने वाला यह स्मारक लोगों के लिए प्रेरणादायक है।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

"कोई भी भूखा नहीं सोए" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम

इन्दिरा रसोई योजना

8 रुपये में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन

स्व. राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त, 2020 से योजना प्रारंभ

दोपहर का भोजन : सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक
सायं का भोजन : सायं 5 बजे से रात 8 बजे तक

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित सम्पादक- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा ● मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, बी-3, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 84, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां